Page No 1

(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 2] षष्ठम विधान सभा के द्वितीय सत्र का दूसरा दिवस [संख्या 2

बुधवार

दिनांक 7 सितम्बर, 1977

विधान सभा की बैठक म. पू. 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री लक्ष्मण सिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न। श्री जगदीश चन्द्र शर्मा।

बुनकर बस्ती सुजानगढ़

1. श्री जगदीश चन्द्र शर्मा (रतनगढ़) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

उद्योग विभाग द्वारा सुजानगढ़ की बुनकर बस्ती का निर्माण कब और कितनी लागत से करवाया गया था ? क्या यह बुनकर बस्ती बनकर पूर्ण हो चुकी है ? यदि हां, तो किन किन बुनकरों को बस्ती में अलाटमेंट हो चुका है ? यदि नहीं, तो इस बस्ती के निर्माण कार्य को कब तक पूर्ण किया जा रहा है ?

राज्य मंत्री, उद्योग (श्री कैलाश मेघवाल) : सुजानगढ़ बुनकर बस्ती का निर्माण वर्ष 1960-61 में प्रारम्भ किया गया था जिसके लिए 1,20,000) रुपये ऋण एवं 60,000) रुपये अनुदान स्वरूप स्वीकृत किये जाने का प्रावधान था। बुनकर बस्ती अपूर्ण होने के कारण किसी भी बुनकर को अलाटमेंट नहीं हुआ है।

निर्माण कार्य पूर्ण किये जाने की वर्तमान में कोई योजना नहीं है।

श्री जगदीश चन्द्र शर्मा : इस बस्ती के निर्माण की स्वीकृत एस्टीमेटेड कास्ट क्या थी, मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करें।

श्री कैलाश मेघवाल : एस्टीमेटेड कास्ट के आंकड़े तो अभी मेरे पास उपलब्ध नहीं हैं लेकिन जो योजना थी उसके अनुसार एक मकान पर 2,800) रुपया ऋण था और उसके साथ 1200) रुपया अनुदान की राशि थी। इसी आधार पर यह सारी योजना बनी थी।

श्री जगदीश चन्द्र शर्मा : मंत्री महोदय, बड़ा घोटाला हुआ है सुजानगढ़ बुनकर बस्ती के निर्माण में। जब से यह बुनकर बस्ती बनी है तब से ही क्या मंत्री महोदय अधिकारियों से सम्बन्धित समस्त मामले की जांच करवाने का विचार करेंगे ?

श्री कैलाश मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, इस सारे मामले की जांच रिपोर्ट सरकार के पास उपलब्ध है। निर्माण में जो प्रथम किश्त दी जाती है वह योजना की स्वीकृति पर दी जाती है। दूसरी किश्त जो दी जाती है वह नींव तक चुनाई हो जाती है तब दी जाती है। तीसरी किश्त तब दी जाती है जब छत तक मकान बन जाते हैं। ऐसी स्थिति में तीनों किश्तें 1,20,000 की चुका दी गई थीं। उसके बाद तत्कालीन एस. डी. एम. श्री एस. डी. जोशी तथा निर्माण विभाग के श्री एस. सी. शर्मा ने इस बात का प्रमाण पत्र दे दिया था कि बस्ती का पूर्ण निर्माण हो चुका है। पूर्ण निर्माण हो चुकने के बाद ही अनुदान की राशि के देने का प्रावधान था। उसके बाद यह मालूम पड़ा कि बस्ती का निर्माण पूर्ण नहीं हुआ है और बस्ती केवल छत तक बनी है तो उसके बाद जांच की गई और उसके बाद अनुदान की जाने वाली राशि रोक ली गई। इन दोनों अधिकारियों, जिन्होंने रिपोर्ट दी थी, के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है। यह कार्यवाही राजस्थान के कार्मिक विभाग के अन्तर्गत विचाराधीन है।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : क्या कार्यवाही की जा रही है और क्या विचाराधीन है? स्पष्ट मालूम होता है कि सरकारी कर्मचारियों ने आपकी आंख में धूल झोंकी है।

कई माननीय सदस्य : आपकी आंखों में धूल झोंकी है।

श्री मूलचन्द डागा : सरकार की आंख में धूल झोंकी है। आपने कार्यवाही क्या की है और क्या विचाराधीन है? मैं समझा नहीं हूं कि क्या कार्यवाही की है?

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहता हूं·····

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय, आपका उत्तर पर्याप्त है।

नेक्स्ट। श्री प्रद्युम्न सिंह।

बिक्री कर के सम्बन्ध में निर्णय

2. श्री **प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा) :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान में बिक्री कर समाप्त करने से राज्य सरकार को प्रति वर्ष कितना नुकसान होगा?

(2) राज्य सरकार बिक्री कर समाप्त करने के बारे में कब तक निर्णय ले लेगी?

वित्त मंत्री (श्री आदित्येन्द्र) : (1) सन् 1977–78 के बजट अनुमानों के अनुसार बिक्री कर समाप्त करने पर राज्य सरकार को एक वर्ष में करीब 88 करोड़ रुपये की हानि होती है। भविष्य में हानि बढ़ने की ही सम्भावना है।

(2) यह एक महत्वपूर्ण विषय है और राज्य सरकार निर्णय लेने के पूर्व केन्द्रीय सरकार द्वारा गठित इनडाइरेक्ट टैक्सेशन इन्क्वायरी कमेटी की रिपोर्ट की प्रतीक्षा करना चाहेगी।

एक माननीय सदस्य : घोषणा-पत्र के आधार पर...

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं मंत्री महोदय से छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं। क्या सरकार यह महसूस करती है कि बिक्री कर को समाप्त करना व्यवहारिक रहेगा ? दूसरी बात मैं पूछना चाहूंगा, व्यापारियों के अन्दर आपके घोषणा-पत्र को लेकर एक भ्रान्ति फैली हुई है कि बिक्री कर सरकार समाप्त कर रही है तो क्या सरकार यह महसूस करती है कि बिक्री कर को समाप्त करना व्यवहारिक रहेगा ?

श्री अध्यक्ष : Hypothetical question.

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहूंगा···

श्री अध्यक्ष : पूछिये, लेकिन है हाई-पोथेटिकल। अभी कर नहीं लगा और आप सोच रहे हैं।

श्री मूलचन्द डागा : यह तो नीति सम्बन्धी प्रश्न किया गया है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, कर तो आलरेडी लगा हुआ है। इसको समाप्त करने की बात है। क्या समाप्त करने से राज्य के डवलपमेंट में एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा ? क्या सरकार बिक्री कर को समाप्त कर देगी तो उसका राज्य के डवलपमेंट पर एडवर्स इफेक्ट नहीं होगा ?

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) : अध्यक्ष महोदय, जो कमेटी बैठी है वह जांच करके निर्णय देगी। तो क्या यह सही है कि वह इसी बातों पर विचार करेगी कि बिक्री कर को समाप्त किया जाय या नहीं ? किया जाय। तो इसका क्या विकल्प है ताकि राज्य सरकार की आमदनी खत्म न हो और राज्य का विकास पैरेलाइज न हो ? जब तक जांच की पूरी रिपोर्ट नहीं आये तब तक के लिये कोई निर्णय सरकार लेगी ?

श्री मूलचन्द डागा : जनता पार्टी ने अपने घोषणा-पत्र में इस सम्बन्ध में बिल्कुल स्पष्ट कहा है। क्या उस वायदे को अब आप पूरा करेंगे ? मुख्य मंत्री जी बतायेंगे कि क्या वे उस वायदे को पूरा कर रहे हैं या वायदे से मुकर जाने की शुरूआत हो रही है ?

श्री आदित्येन्द्र : जनता पार्टी ने चुनाव घोषणा-पत्र में जो वायदे किये हैं उन वायदों को जनता पार्टी पूरा करेगी··

(व्यवधान)

जनता पार्टी वायदे से मुकरना नहीं चाहती है। परन्तु जैसा मैंने कहा है अगर इसको समाप्त कर दिया जाता है तो 88 करोड़ रुपये के घाटे की सम्भावना है और अगले वर्ष और भी अधिक घाटा होगा। तो इस पर पूरी तौर से विचार किया जायगा। यह मामला केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है। केन्द्रीय सरकार चाहती है कि इस सम्बन्ध में कोई निर्णय ऐसा होना चाहिये जो तमाम प्रान्तों के लिये यूनिक हो।

श्री प्रद्युम्नसिंह : एक सवाल छोटा सा और पूछना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय यह बता दें····

(व्यवधान)

एक सवाल है छोटा सा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय ने अलाऊ कर दिया है।

(७)

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

आपको कब तक उम्मीद है ? गवर्नमेंट ग्राफ इंडिया के इन्डीकेशन इस सम्बन्ध में राज्य सरकार को कब प्राप्त हुये हैं। इस कमेटी की रिपोर्ट कब तक सरकार के पास आ जायेगी ? आपका कोई प्रतिनिधि उस कमेटी में है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष : हाईपोथेटिक।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय हाइपाथेटिक कैसे है ? कोई इन्डीकेशन तो आपको मिले होंगे। मेरा स्पेसिफिक क्वेश्चन है कि आपका प्रतिनिधि उस कमेटी में है या नहीं ? यह कैसे हाईपोथेटिक हो गया ? अगर आपका कोई प्रतिनिधि नहीं है, तो आप कह दीजिये, नहीं है। एक सीधा सा सवाल है—आप कह दीजिये नहीं है····

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन।

श्री आदित्येन्द्र : इस कमेटी की रिपोर्ट इस वर्ष के अन्त तक प्राप्त होने की सम्भावना है। उसके बाद ही विचार किया जायगा।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्रमिक सहकारी समिति, भीम एवं संजीवनी सहकारी क्रय-विक्रय समिति, फतेहनगर को दिया गया ऋण

3. **श्री भंवर लाल शर्मा** (हवा महल, जयपुर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि श्रमिक ठेका सहकारी समिति, भीम (उदयपुर) एवं संजीवनी सहकारी क्रय-विक्रय समिति, फतेहनगर (उदयपुर) को राजस्थान स्टेट को-आपरेटिव बैंक लि. जयपुर से ऋण दिया गया है ? यदि हां, तो कब कब व कितना कितना दिया गया ? तथा यह ऋण किसने स्वीकृत किया ?

(2) भीम व फतेहनगर की सहकारी समितियों को दिये गये ऋण की पृथक् पृथक् ब्याज राशि कितनी हुई ?

(3) इन समितियों ने ब्याज व मूल ऋण की राशि में से कब कब कितना कितना रुपया जमा कराया ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(4) क्या यह सही है कि श्रमिक ठेका सहकारी समिति, भीम को दिये गये ऋण को राइट ऑफ कर दिया गया है ? यदि हां, तो राइट ऑफ करने के क्या कारण हैं ?

(5) क्या राज्य सरकार वसूली नहीं किये जाने के कारणों की जांच कर दोषी व्यक्तियों को दण्डित करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राज मंत्री, सहकारिता (श्री कैलाश मेघवाल) : (1) जी नहीं। श्रमिक सहकारी समिति, भीम को राजस्थान स्टेट को-आपरेटिव बैंक लि. द्वारा कोई ऋण नहीं दिया गया है। केवल संजीवनी क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि., फतेहनगर, (उदयपुर) को राजस्थान स्टेट को-आपरेटिव बैंक लि., जयपुर के माध्यम से निम्न प्रकार ऋण राष्ट्रीय सह-

Page No 5

(5)

(श्री कैलाश मेघवाल)
कारिता विकास निगम दिल्ली द्वारा स्वीकृत किया गया है:–

क्रमांक	दिनांक स्वीकृत ऋण	राशि
1	2	3
1.	29–9–71	3,06,000
2.	25–8–72	1,51,000
3.	30–8–72	78,280
4.	7–9–72	42,230
5.	11–10–72	1,68,000
6.	26–10–72	1,96,000
7.	23–11–72	19,82,750
8.	23–11–72	81,800.00
9.	2–12–73	1,46,575.50

श्री खेतसिंह : एक ही सवाल सारा समय खा जाएगा, अध्यक्ष महोदय।

श्री कैलाश मेघवाल : कितना कितना दिया गया है, यह बता रहा हूँ।

श्री मूलचन्द डागा : ऐसे प्रश्न का जवाब लिखित में दे दिया जाता है ताकि देख सकें और पढ़ लें। इतने बड़े सवाल का जवाब मौखिक नहीं होता।

श्री कैलाश मेघवाल : प्रश्नकर्ता ने जिस तरह से सवाल किया है उसी तरह से जवाब दे रहा हूं। मैं अभी खत्म करता हूं।

(व्यवधान)

मैं जल्दी ही समाप्त कर रहा हूं।

श्रीमती उजला अरोडा : पहले भी कभी आपने लिख कर दिया है क्या ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मंत्री महोदय का उत्तर सुनिए।

श्री कैलाश मेघवाल :

1	2	3
10.	18–12–72	98,460.00
11.	26–12–72	20,600.00
12.	29–12–72	1,65,000.00
13.	19–1–73	28,838.75
14.	31–1–73	15,000.00
15.	15–2–73	15,000.00
16.	22–2–73	27,192.00
17.	22–2–73	39,300.00

श्री खेतसिंह : टोटल बता दें आप।

श्री कैलाश मेघवाल : नम्बर 30 तक है। आखिर में 5–3–75 तक कुल 32,80,000.00 रुपया दिया गया है।

(क्रम संख्या 18 से 30 तक जो सदन में नहीं पढ़ा गया निम्न प्रकार है) :

1	2	3
18.	5–2–73	27,300.00
19.	16–3–73	49,200.00
20.	23–3–73	57,000.00
21.	23–4–73	87,800.55
22.	25–4–73	40,730.00
23.	30–4–73	5,200.00
24.	7–5–73	36,500.00

Page No 6

(6)

(श्री कैलाश मेघवाल)

1	2	3
25.	30-5-73	83,500.00
26.	11-6-73	54,650.00
27.	31-10-73	3,12,754.05
28.	12-1-74	2,93,362.05
29.	18-1-74	3,60,000.00
30.	5-3-75	4,00,000.00

(2) श्रमिक सहकारी समिति लि. भीम को कोई ऋण नहीं दिया गया एवं संजीवनी क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि. फतेहनगर को उपरोक्तानुसार 32,80,000 रुपये ऋण दिया गया है।

(3) श्रमिक ठेका सहकारी समिति लि., भीम द्वारा ऋण व सूद चुकाने का प्रश्न ही नहीं उठता। संजीवनी क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि., फतेहनगर द्वारा निम्न प्रकार से चुकारा किया गया है।* इसमें केवल ब्याज का चुकारा है इसमें मूल नहीं चुकाया गया है। इसका भी टोटल बता देता हूं, ब्याज का है 1,42,959.21 रुपया।

(4) जी नहीं। क्योंकि श्रमिक ठेका सहकारी समिति लि., भीम को कोई ऋण नहीं दिया गया इस कारण राइट ऑफ करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(5) राज्य सरकार के समक्ष संजीवनी क्रय-विक्रय सहकारी समिति की पर्फोरमेन्स एवं उसके प्रबन्ध में सुधार का प्रश्न विचाराधीन है।

श्री रामकरण सिंह (कोटपूतली) : अध्यक्ष महोदय, इसमें जो राशि दी गयी है उसका चुकारा नहीं हुआ उसके बावजूद बराबर देते गये ? इसमें किस अधिकारी या किस व्यक्ति का इन्ट्रेस्ट था जिसकी वजह से बीच में नहीं रोक सके ?

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल, जयपुर) : इस सोसायटी के अध्यक्ष कौन है ?

(व्यवधान)

श्री गिरधारी लाल भार्गव (किशनपोल, जयपुर) : डागा जी तो नहीं थे कहीं ?

(व्यवधान)

श्री कैलाश मेघवाल : संजीवनी क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि. के पदाधि-

* निम्नलिखित उत्तर सदन में नहीं पढ़ा गया—

क्र.सं.	दिनांक भुगतान	मूल	ब्याज	योग
1.	29-3-72	–	6,413.43	6,413.43
2.	25-8-72	–	11,443.55	11,443.55
3.	31-3-73	–	25,102.23	25,102.23
4.	31-3-76	–	100,000.00	100,000.00
			1,42,959.21	1,42 959.21

(श्री कैलाश मेघवाल)
कारियों के खिलाफ जांच की गई है और आगे की कार्यवाही विचाराधीन है। मैं इनके नाम बता देता हूं :

1. श्री प्रकाशमल चतुर, संचालक

2. श्री सोभागमल कटारिया, ऋण अधिकारी

3. श्री जसवन्त सिंह सिंघवी, चीफ कैमिस्ट

4. श्री फतेहलाल राविया, पर्चेज क्लर्क

5. श्री भोपालसिंह कटारिया, स्टोर कीपर।

श्री रामकरण सिंह : मेरे प्रश्न का जवाब नहीं मिला, अध्यक्ष महोदय। मैं जानना चाहता हूं कि क्लियरेंस नहीं था उसके बावजूद पेमेन्ट होता रहा, इसका क्या कारण है ?

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो ऋण दिया गया है इसका प्रथम चुकारा किश्तों में वसूल किया जाता है। वह दो साल के बाद वसूल होता है। दो साल तक उससे क्लियरेंस लेना चाहते हैं तो इस बीच में जो स्वीकृत ऋण होता है वह चुकाया जाता रहता है।

श्री रामकरण सिंह : इसका मतलब यह है, यह मान लिया जाय कि दो साल के अन्दर किसी भी प्रकार की अनियमिततायें होती रहें और सरकार जनता का पैसा लुटाती रहे ?

श्री अध्यक्ष : आपके पास खास जानकारी हो तो मंत्री महोदय को दे सकते हैं।

एक माननीय सदस्य : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि यह प्रकाशचन्द्र जैन क्या बैंक के भी अध्यक्ष हैं ?

(व्यवधान)

श्री कैलाश मेघवाल : यह प्रकाशचन्द्र जैन कांग्रेस के सक्रिय कार्यकर्ता थे और उनकी ही समिति थी जिसको यह ऋण दिया गया है।

श्री कौशल किशोर जैन : कोआपरेटिव बैंक के चैयरमैन कौन थे ?

श्री रतनलाल वर्मा (भिनाय) : यह जो 32 लाख का ऋण दिया गया है इसकी कोई जानकारी नहीं की गई है कि वसूली क्यों नहीं हुई ? इसमें क्या प्रगति है, इसकी जानकारी नहीं है ? ये तो कांग्रेसी ही थे जिन्होंने घोटाला किया है। यह कांग्रेसियों की ही सरकार थी, जिन्होंने देश को खाया है और किसानों को डुबाया है।

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : अध्यक्ष महोदय, यह उचित नहीं है कि प्रश्न-काल में पार्टी का नाम लिया जाय और यह कहा जाय कि कांग्रेस पार्टी ने घोटाला किया है। व्यक्ति विशेष का नाम लीजिये।

श्री कौशल किशोर जैन : मैं यह जानकारी चाहता हूं मंत्री महोदय से कि बैंक के चैयरमेन कौन थे जिनके समय में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है ?

श्री नरेन्द्रपाल सिंह (मावली) : अध्यक्ष महोदय, यह मेरे क्षेत्र का सवाल है लेकिन हवामहल से आने वाले माननीय सदस्य ने यह पूछ लिया है। इस प्रश्न के सम्बन्ध में काफी प्रश्न आपके सामने आ गए हैं और मंत्री महोदय ने जवाब भी दिए हैं। उसी तरह से . . .

श्री मूलचन्द डागा : आप भाषण दे रहे हैं या प्रश्न पूछ रहे हैं ?

श्री नरेन्द्रपाल सिंह : मैं भाषण के द्वारा आपको बता देना चाहता हूं कि कांग्रेस का काला मुंह इसमें था . . .

(व्यवधान)

प्रकाशमल उस वक्त कांग्रेस के अध्यक्ष थे और चोर कम्पनी के मेम्बर भी थे . . .

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : अध्यक्ष महोदय, मैं फिर निवेदन करूंगा कि प्रश्न काल के समय में कांग्रेस पार्टी का नाम न लें, व्यक्ति विशेष के खिलाफ आरोप है तो उनका नाम लें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य कृपया स्थान ग्रहण करें।

नेक्स्ट क्वेश्चन।

श्री ओंकार लाल चौहान।

श्री ओंकारलाल चौहान : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न सं. 4 रह गया है।

श्री अध्यक्ष : मेरी भूल हो गई, क्षमा करिए। श्री रामप्रसाद लड्ढा।

महुआ खुर्द तहसील के भू. पू. सरपंच को भूमि का आवंटन

4 **श्री रामप्रसाद लड्ढा (मांडल)** : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि महुआ खुर्द तहसील बनेड़ा के भूतपूर्व सरपंच बालूराम जाट ने आराजी नम्बर 9039 रकबा साढ़े नौ बीघा का आवंटन कर लिया ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त आराजी में नाथों का श्मशान है और उसने गांव वालों का मार्ग भी रोक दिया है ?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त आराजी के थोर भी लगा दिया है ? अगर यह सही है, तो राज्य सरकार क्या कदम उठा रही है ?

राज्य मन्त्री, राजस्व (श्री कैलाश मेघवाल) : (1) जी नहीं। ग्राम महुआ खुर्द में कुल खसरा नम्बरों की संख्या 1449 है। ऐसी दशा में 9039 नम्बर का कोई खसरा नंबर इस ग्राम में नहीं है। खसरा नंबर 1039 रकबा 9 बीघा 10 विस्वा का है। यह श्री बालूराम की खातेदारी में है।

(2) आराजी नम्बर 1039 श्मशान के लिए सुरक्षित नहीं है परन्तु इसमें नाथ अपने मृतकों को गाड़ते हैं। इस उपयोग के लिए खातेदार ने इन्हें मना किया हो इस

(श्री कैलाश मेघवाल)
प्रकार की कोई शिकायत नाथों की ओर से प्राप्त नहीं हुई है। इस आराजी में आवागमन के लिए कोई आम रास्ता नहीं था, परन्तु पहले इसके चारों ओर बाढ़ नहीं थी इस कारण इधर से भी लोगों का आना-जाना था। अब इस वर्ष खातेदार ने थोर की आड़ लगा ली है। इस कारण उस आवागमन में रोक उत्पन्न हो गई है।

(3) खसरा नम्बर 1039 में खातेदार ने इस वर्ष थोर की आड़ लगाई है। इससे रास्ता तो रुका है परन्तु इस आराजी के निकट ही स्थित खातेदार के कुए के निकट से आने जाने का रास्ता है। भूमि खातेदारी की है। ऐसी दशा में इस मामले में राज्य सरकार द्वारा कोई कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

श्री रतनलाल वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि यह खातेदारी राइट्स कब मिले ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि वहां पर खसरा नं. 9039 तो नहीं है परन्तु जैसा कि मंत्री महोदय ने स्वीकार किया है 1039 नम्बर का खसरा है। इस पर किस का कब्जा है, यह जानकारी मैं सदन को देना चाहता हूं। एक बालूराम जाट भूतपूर्व कांग्रेसी है और कांग्रेस का सक्रिय सदस्य है उसने तत्कालीन सरकार से मिलीभगत करके इसको अपने नाम अलाट करवा लिया है। वहां एक श्मशान है। वहां के लोगों को परेशान करने की दृष्टि से सरपंच होने के नाते उसने उस पर कब्जा किया है। यह मेरे पास में रिपोर्ट है जिसके अनुसार गांव के लोगों को परेशान करने के लिये उसने यह कार्यवाही की है। मैं मंत्री महोदय से यह निवेदन करूंगा कि वे इस सम्बन्ध में जल्दी से जल्दी कार्यवाही करें। उसने गांव वालों को परेशान करने के लिये थोर भी लगाए हैं।

श्री रतनलाल वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि यह खातेदारी 1952 के सैटलमेन्ट के आधार पर दी गई है या अभी ताजा ताजा दी गई है ? सरपंच ने अपने पद का दुरुपयोग करके तहसीलदार से मिल कर के आवंटन करवा लिया या धारा 91 का मुकदमा करके खातेदारी करवा ली है ? आपने, मंत्री महोदय, यह स्वीकार किया है कि वहां पर मृतक गाड़ते थे इसलिये यह जमीन कब्रिस्तान की हैं या वहां श्मशान है। सरपंच ने अपने पद का दुरुपयोग किया है, इसकी जांच की जानी चाहिये। जो आम रास्ता है जिसे उसने रोक दिया है, वह आम रास्ता खुलना चाहिये यदि वहां पर श्मशान है, तो उस जमीन को श्मशान के लिए ही रखा जाना चाहिये।

एक माननीय सदस्य : मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि जो मार्ग रखा था, उसको आज बंद कर दिया गया है–क्या राज्य सरकार उस मार्ग को खुलवायेगी ?

श्री कैलाश मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, जो स्थिति है, वह मैंने बता दी है। वर्तमान में यह भूमि उसके खाते में है। उसकी खातेदारी भूमि होने की वजह से जो जवाब दिया गया है वह पर्याप्त है।

श्री रतनलाल वर्मा : वह सरपंच था और उसने अलाट करवायी है ?

श्री कैलाश मेघवाल : सदस्य महोदय का यह कयास है कि यह खातेदारी अभी करायी गयी है तो मैं इसकी जानकारी करवा लूंगा।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

ग्राम लटूरी की जल-प्रदाय योजना

5. **श्री ओंकारलाल चौहान (अटरू) :** क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि ग्राम लटूरी तहसील सांगोद में जल प्रदाय योजना का सर्वे हो चुका है ? यदि हां, तो कब तक राज्य सरकार इस नल योजना को प्रारम्भ कर देगी ?

राज्य मन्त्री, जन स्वास्थ्य (श्री महबूब अली) : जी नहीं।

श्री ओंकार लाल चौहान : अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ने पेयजल व्यवस्था के लिए पांच करोड़ रुपयों का प्रावधान रखा है। क्या राज्य सरकार इस योजना को हाथ में लेगी ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में जल व्यवस्था अच्छी तरह से चल सके ?

श्री महबूब अली : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि उस गांव की आबादी निर्धारित नार्म्स के अन्तर्गत नहीं आती है और वहां की आबादी दो हजार से कम है। इसके अलावा एक मील के अन्दर ही वहां पर एक कुआ उपलब्ध है जिसमें मीठा पानी है। इसके लिए प्राथमिक सर्वे करवाया गया था और उसमें यह सब बातें सामने आयी हैं। इसलिए उसको नहीं लिया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती उजला अरोड़ा।

बंदियों को सुविधा

6. **श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर, ग्रामीण) :** क्या कारागृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य सरकार आजीवन कैद की सजा भुगतने वाले बंदियों को राहत एवं सुविधाएं प्रदान करने हेतु कोई योजना बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या ? और नहीं, तो क्यों नहीं ?

(2) क्या बन्दियों को दी जाने वाली छूट की गणना प्रतिमास उनके हिस्ट्री टिकट्स पर की जाती है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(3) क्या समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा सजा में जो छूट दी जाती है वह बन्दियों की समय से पूर्व रिहाई का विचार करते समय भुगती हुई सजा में सम्मिलित की जाती है अथवा नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(4) क्या यह सही है कि कारागार उद्योगशाला में बन्दियों द्वारा निर्मित की जाने वाली वस्तुओं का पारिश्रमिक बन्दियों को दिया जाता है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(5) क्या सरकार बन्दियों का पारिश्रमिक उनके परिवार के सदस्यों को देने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

राज्य मन्त्री, कारागृह (श्री विज्ञान मोदी) : (1) लम्बी अवधि के बन्दियों को कारागार में स्वस्थ वातावरण देने के प्रयास निरन्तर किये जाते हैं ? उन्हें इस अवधि में

(श्री विज्ञान मोदी)
उन उद्योगों का प्रशिक्षण दिया जाता है जो उनके पुनर्वास में सहायक हों ? बन्दियों को अच्छे व्यवहार के आधार पर खुले शिविर में भेजने की व्यवस्था भी है ।

(2) राजस्थान प्रिजन्स रूल्स, 1951 के पार्ट 3 के नियम 5 के अन्तर्गत दिए जाने वाले साधारण रेमीशन का अंकन उक्त राजस्थान प्रिजन्स रूल्स, 1951 के पार्ट 3 के नियम 14 के अन्तर्गत उनके हिस्ट्री टिकट में त्रैमासिक रूप में किए जाने का प्रावधान है जो निरन्तर किया जाता है ।

(3) जी नहीं । अवधि पूर्व रिहाई के समय बन्दी द्वारा भोगी हुई दंडावधि तथा उसके द्वारा अर्जित रेमीशन पर ही विचार किया जाता है । बंदी को अपने अपराध के लिये न्यूनतम $\frac{2}{3}$ अवधि का कारावास भोगना आवश्यक है । सरकार द्वारा दिये गये रेमीशन के आधार पर उसकी पूरी सजा की अवधि में कमी हो जाती है ।

(4) जी हां । बन्दियों द्वारा कारागृह उद्योगशालाओं में निर्धारित कार्य पूरा करने के पश्चात् अतिरिक्त कार्य पूरा करने पर पिचहत्तर पैसे प्रतिदिन का भुगतान किए जाने का प्रावधान है । सरकार इसमें वृद्धि करने का विचार कर रही है ।

(5) बंदी द्वारा अर्जित पारिश्रमिक उसके खाते में जमा किया जाता है, उसका उपयोग बंदी की इच्छा पर रहता है ।

श्रीमती उजला अरोडा : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो प्रश्न पूछे थे उनका समुचित उत्तर मंत्री महोदय ने मुझे नहीं दिया है ।

मेरा पहला प्रश्न था कि आजीवन कैद की सजा भुगतने वाले बन्दियों को क्या राहत और सुविधाएं प्रदान करने का सरकार विचार रखती है ? इसके लिए क्या राज्य सरकार ने कोई योजना बनाई है ? परन्तु इसका कोई समुचित उत्तर प्राप्त नहीं हुआ । अध्यक्ष महोदय, जो सुविधाएं बंदियों को दी जा रही हैं वे बहुत ही कम हैं । उनके पास जाड़े में जूते नहीं होते, पूरे कपड़े नहीं होते । बरसात और गर्मियों में उनसे कड़ी सर्विस ली जाती है । बरसात में छाते की व्यवस्था नहीं की जाती है । आठ घंटे की ड्यूटी ली जाती है । मैं चाहती थी कि मन्त्री महोदय इसका समुचित उत्तर देते कि इनको ये सुविधायें उपलब्ध कराई जायेंगी या नहीं ?

दूसरा जो मेरा प्रश्न था, अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जो उसका उत्तर दिया है, उससे मैं सन्तुष्ट नहीं हूं, यह कहने में मुझे झिझक नहीं है । बंदियों को जो छूट दी जाती है, वह देने के लिए उनसे पैसे की डिमांड की जाती है । जेल अधिकारियों को पैसा मिल जाता है तो उनके टिकट में रेमीशन लिख दिया जाता है । यह जो अव्यवस्था है उसको भी मन्त्री महोदय अविलम्ब दूर करें ।

तीसरा मेरा प्रश्न यह है कि सरकार द्वारा जो छूट दी जाती है, जैसे गांधी शताब्दी पर अभी राज्य सरकार द्वारा बन्दियों को छूट देने की घोषणा की गई है, वह छूट इन बन्दियों को नहीं मिल पाती है । इनके जो नियम हैं वे आसान नहीं हैं इसलिए जो छूट सरकार देना चाहती है वह बन्दियों को उपलब्ध नहीं हो पाती है । इसके लिए सरकार को तुरन्त व्यवस्था करनी चाहिये

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

और सरल नियम बनाने चाहिये चाहे तो एडवाइजरी कमेटी के माध्यम से या अन्य किसी प्रकार से। जो छूट दी जाती है वह कैदियों को मिलनी चाहिये वरना यह सरकार की केवल घोषणा मात्र ही रह जायेगी। यह उचित नहीं है। मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगी कि मन्त्री महोदय इस पर ध्यान दें।

चौथा मेरा प्रश्न कैदियों के पारिश्रमिक के सम्बन्ध में था...

श्री मूलचन्द डागा : क्या माननीय सदस्या ही प्रश्नों का जवाब दे रही हैं?

श्री शंकरलाल : इतने लम्बे प्रश्नों का जवाब भी लम्बा होना चाहिये ?

श्रीमती उजला अरोड़ा : मेरे क्वेश्चन भी हैं और साथ ही सुझाव भी, दोनों हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहती हूं कि कैदियों को पारिश्रमिक केवल मात्र 75 पैसा दिया जाता है। कैदियों को 8 घंटे कड़ा परिश्रम करना पड़ता है। उसके बाद जो 75 पैसा पारिश्रमिक के बतौर दिया जाता है वह अपर्याप्त है। इसको बढ़ाने के लिए क्या मन्त्री महोदय विचार करेंगे? क्या इसके बारे में वे सदन में घोषणा करेंगे ?

श्री विज्ञान मोदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या के प्रश्न का जहां तक सवाल है, उन्होंने जिन बातों को पूछा है···

श्री अध्यक्ष : कृपया आपस में बात नहीं करें।

श्री विज्ञान मोदी : उनका मैंने जवाब दिया है।

एक माननीय सदस्य : कैदियों के बारे में पूछा गया है।

श्री विज्ञान मोदी : जहां तक उनको सुविधा देने की बात है, यह स्पष्ट कर दिया गया है कि ऐसे कैदियों को दो तिहाई सजा भुगतना आवश्यक है। अब पूछा जा सकता है कि फिर स्टेट रेमीशन का औचित्य क्या है ? तो मसलन यदि उसको 20 वर्ष की सजा मिली है और वह अपने अर्जित रेमीशन सहित 15 वर्ष की सजा पूरी कर ले तो जहां तक स्टेट रेमीशन का सवाल है, यदि वह कुल 5 वर्ष का हो तो उसको एडवाइजरी बोर्ड में रखने की जरूरत नहीं है। वह ऐसे ही रिहा कर दिया जा सकेगा।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री चिरंजीलाल गर्ग (पुष्कर): अध्यक्ष महोदय, अगर किसी को आजीवन कारावास होता है, उसके लिए जो कार्यवाही होती है, मैं समझता हूं कि··

श्री खेतसिंह : एक प्रश्न मैं भी पूछ लूं। पैरोल पर जो छोड़े जाते हैं, उनके कुछ नियम बने हुए हैं ? अगर हैं, तो आपने अभी जो पैरोल पर लोगों को छोड़ा है, उनको नियम के अन्तर्गत रिहा किया है ?

श्री विज्ञान मोदी : जी हां। नियमों के अन्तर्गत ही छोड़े गये हैं।

श्री चिरंजीलाल गर्ग : आजीवन कारावास जिन लोगों को होता है उनकी अर्जी को आप कब तक कर देते हैं ?

श्री विज्ञान मोदी : अगर खुली जेल में जाते हैं तो वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट व

(श्री विज्ञान मोदी)
एस. पी. की राय के आधार पर व उसके आचरण के आधार पर भेजा जाता है।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट।

जिला बाड़मेर की उण्डू-कुपलिया क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना

7. **श्रीमती मदन कौर (पचपदरा)** : क्या जन स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) बाड़मेर जिले में उण्डू-कुपलिया क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना कब स्वीकृत की गई थी? इस पर अब तक कितनी धन राशि व्यय की जा चुकी है?

(2) इस योजना में कितने और कौन कौन से गांव लाभान्वित होने प्रस्तावित थे?

(3) मौजूदा में कितने और कौन कौन से गावों को पानी उपलब्ध कराया जा सकता है? क्या इन गांवों को नियमित रूप से पर्याप्त पानी उपलब्ध कराया जाता रहा है? यदि हां, तो महीने में कितने दिन गांव खोखासर, परेउ, गिड़ा और कुपलिया को पानी उपलब्ध कराया जाता है?

(4) क्या ऊपर वर्णित ग्रामों के लिए पीने के पानी का कोई अन्यत्र साधन उपलब्ध है? यदि नहीं, तो राज्य सरकार के पास उण्डू-कुपलिया नल योजना को सुचारु रूप से चलाने की क्या योजना है और उसे कब तक क्रियान्वित कर दिया जावेगा?

राज्य मंत्री, जन स्वास्थ्य (श्री महबूब अली) : (1) क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना उण्डू-कुपलिया दिनांक 28-11-70 को स्वीकृत की गई थी। योजना पर अब तक 36.30 लाख व्यय किया जा चुका है।

(2) योजना के अन्तर्गत ग्राम उण्डू केसुला, हीरा की ढाणी, खोकसर, सिमरखिया, परेउ, कुम्पालिया, निम्बा की ढाणी, खारड़ा सारड़, सोरड़ा, गिरा व पोत्रा की ढाणी लाभान्वित होने थे।

(3) वर्तमान में ग्राम उण्डू, लेसुला, हीरा की ढाणी, निम्बा की ढाणी, पावा की ढाणी, खोकसर, गिरा, सिमरखिया, एवं सोरड़ा में नियमित रूप से जल उपलब्ध कराया जा रहा है। ग्राम परेउ एवं कुम्पालिया में जल वितरण में बार बार ग्रामीणों द्वारा पाइप की तोड़ फोड़ के कारण व्यवधान होता रहता है।

(4) योजना के अतिरिक्त पीने के पानी के लिए बरसात के टांकों का साधन है। ग्राम खारड़ा चारण में शीघ्र ही पाइप लाइन लगाई जावेगी एवं ग्राम परेउ एवं कुम्पालिया में लगातार जल वितरण के लिए लाइन की सुरक्षा व्यवस्था में अधिक सतर्कता वरती जा रही है।

श्रीमती मदन कौर : अध्यक्ष महोदय, वहां जो नल जाते हैं, उनको तोड़ने का कोई सवाल नहीं है। आपने कहा है कि वहां हौज बने हुए हैं। उससे एक किलोमीटर तक पाइप लाइन जोड़ी नहीं गई है। मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहती हूं कि इस साल ग्रीष्म से पहले राज्य सरकार ने हीरा की ढाणी में एक बूस्टर लगाया था। खारड़ा सारड़, खारड़ा चारण की ढाणी में नल लगा हुआ है। सवाल यह है कि क्या राज्य सरकार को पता है

Page No 14

(14)

(श्रीमती मदन कौर)
कि जो ग्रामों में नल लगाये गये हैं, उनमें मिट्टी भरी हुई है इसलिए उनमें पानी ही नहीं आया ?

श्री महबूब अली : माननीय सदस्या ने जो सवाल किया है, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि जहां तक पानी के नलों का सवाल है जो जंगलों में पशु चराते हैं, उनके पशुओं के लिए पानी की जरूरत होती है, तो जहां से पानी की पाइप लाइन जाती है वहां वह गैंती मारकर पाइप लाइन तोड़ देते हैं। वहां पर तालाव बना कर वह पानी पिलाते हैं। इससे टेल एण्ड पर जो गांव होते हैं वहां पर पानी नहीं पहुंचता है। पांच पांच किलोमीटर तक गार्ड लगे हुये हैं। जहां तक मैन्टेनेंस की समस्या है, मैं सदस्या महोदया को कहना चाहूंगा कि थोड़ी सी कमियां जरूर हैं, उसके लिए अधिकारियों से पूछा जा रहा है। इस सम्बन्ध में ध्यान दिया जा रहा है। इसके अन्दर किसी प्रकार की कोताही नहीं की जाएगी।

श्री शंकरलाल (जैतारण) : आपको जानकारी दी गई है कि पाइप लाइन में रेती भरी हुई थी और आप कुछ और बता रहे हैं। क्या आप उसकी जांच करवायेंगे। जो माननीय सदस्या कह रही हैं ? जहां पानी की किल्लत है और पशुओं के पीने के पानी की बात है, क्या यह सही है कि बाड़मेर जिले में जहां पर आप पानी देते है, वहां पशुओं को पीने का पानी पिलाने से मना किया जाता है ?

श्री महबूब अली : प्रश्न यह है, जहां रेवड़ चरने के लिए जाते हैं वहां कोई पाइप लाइन होती है तो वह गैंती मारकर उस पाइप लाइन को तोड़ लेते हैं। इस तरह से वह पशुओं को पानी पिलाने के लिए निकाल लेते हैं।

श्री शंकरलाल : मैं वह नहीं कह रहा हूं। मेरा कहना यह है कि जहां मनुष्यों को पीने के लिए पानी दिया जाता है, वहां पशुओं को पीने के लिए पानी नहीं दिया जाता है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्ता।

श्रीमती मदन कौर : अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय मन्त्री महोदय से तीन सवाल पूछे थे। पहला यह है कि ग्राम परेउ और परेउ से खोकसर तक कोई एक बार भी शिकायत मिली कि लोगों ने नल तोड़ा ? दूसरा सवाल यह है कि ग्राम हीरा की ढाणी से पानी की सप्लाई हटाई गई तो क्यों हटाई गई ? तीसरा यह है कि गर्मी के दिनों में इन दोनों गांवों को नल योजना से क्यों नहीं जोड़ा गया ?

श्री महबूब अली : जहां तक पाइप लाइन तोड़ने का प्रश्न है, इस प्रकार की कोई सूचना मेरे पास नहीं है। यह सब गांव पाइप लाइन से जोड़ दिये गये हैं।

श्रीमती मदन कौर : माननीय अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने स्वयं पहले माना है कि पाइप लाइन नहीं डाली गई है।

मुख्य मन्त्री (श्री भैरोंसिंह शेखावत) : पाइप लाइन डाली गई थी, लेकिन चोरी हो गई है और चोरी का मुकदमा रजिस्टर हुआ है।

श्रीमती मदन कौर : लेकिन, मुख्य मंत्री जी, उस गांव में पीने का पानी उपलब्ध न हो

Page No 15

(15)

(श्रीमती मदन कौर)
तो उसके लिए कोई व्यवस्था तो की जानी चाहिए ?

श्री एच. एन. शर्मा (वेगू) : इसका उत्तर तो आपको अपनी सरकार से पूछना चाहिए।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : अब आप वहां पर पानी की कोई व्यवस्था तो कर दीजिये।

श्री शंकरलाल : आपने पीने के पानी के लिए इतनी घोषणाएं की हैं····

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मूल रूप से योजनाएं भारत सरकार की हैं उनमें यह प्रावधान नहीं है कि मवेशियों को और मनुष्यों को किस अनुपात में पानी दिया जाय। इस पर गम्भीरता से विचार किया जा रहा है और साथ ही योजनाओं में जो कमियां रह गई हैं उन कमियों को पूरा करने का प्रयत्न किया जायगा।

श्रीमती मदन कौर : क्या····

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वूस्टर लगाया कब था ?

श्रीमती मदन कौर : जनवरी, 77 में।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : और हटाया कब गया ?

श्रीमती मदन कौर : इसकी जानकारी नहीं है।

श्री परस राम मदेरणा (भोपालगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, रीजनल प्लान जो जेठाणा का है उसमें भी कोई इनहेरेन्ट डिफेक्ट है। कई वार योजनाएं बन चुकी हैं, डी.पी.ए.पी. के अन्दर भी बनती हैं, लेकिन 35 गांवों के अन्दर योजनाए बनती हैं और पानी 15 गांवों को ही मिल पाता है और वहां पर भी पानी नहीं पहुँच पाता है। वूस्टर लगाया गया यह तो ठीक है लेकिन उसको हटाये जाने का क्या कारण है ? दूसरे 15 गांवों में से दो गांवों को ही क्यों छोड़ दिया गया ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वूस्टर क्यों हटाया गया इसकी जानकारी करा दी गई है। जो इस योजना में टैक्निकल कमियां हैं उनको पूरा करने का प्रयत्न किया जायगा।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।
श्री गिरधारीलाल भार्गव।

परिवार नियोजन में ज्यादतियों के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायतें

श्री गिरधारीलाल भार्गव (किशनपोल, जयपुर) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) राज्य सरकार को परिवार नियोजन की ज्यादतियों के सम्बन्ध में अब तक कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

(2) क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा यह घोषणा की गई थी कि नसबन्दी के जो मामले खराब हो गये हैं उनका समुचित उपचार राज्य सरकार द्वारा कराया जावेगा और जिन मामलों में नसों को दुबारा जुड़वाना सम्भव होगा उनके लिये आवश्यक व्यवस्था की जावेगी ? यदि हां, तो

(श्री गिरधारी लाल भार्गव)
ऐसे कितने मामले राज्य सरकार द्वारा अब तक निपटा दिये गये हैं ?

(3) क्या राज्य सरकार के ध्यान में यह तथ्य है कि परिवार नियोजन के जो मामले बिगड़ गये हैं उनसे सम्बन्धित व्यक्तियों को उचित धनराशि मुआवजे के तौर पर दी जावेगी ? यदि हां, तो ऐसे कितने मामलों में कितनी कितनी मुआवजे की राशि दी गई ?

चिकित्सा मंत्री (श्री ललित किशोर चतुर्वेदी) : (1) राज्य सरकार को परिवार नियोजन के बारे में अब तक 684 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। ये शिकायतें दो प्रकार की हैं:--

1. शिकायतें जिनमें नसबन्दी करवाने के बाद व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है—

इस वर्ग की 26 जून, 1975 से अब तक 123 शिकायतें प्राप्त हुई हैं उनमें से 75 मामलों में प्रत्येक को 5000 रुपये तक की अनुग्रह पूर्वक सहायता राशि एक्सग्रेसिया नियमों के अनुसार दी जा चुकी है।

2. शिकायतें जिनमें नसबन्दी करवाने के बाद व्यक्तियों के काम्पलीकेशन हो गई—

दूसरे वर्ग की शिकायतों की संख्या 561 है जिसके लिए संबंधित अधिकारियों को समुचित उपचार की व्यवस्था करने हेतु आवश्यक आदेश प्रसारित कर दिये गये हैं तथा जिन मामलों में रिकनेलाइजेशन की आवश्यकता है उनको करवाने की निःशुल्क व्यवस्था हेतु निर्देश भी दिये जा चुके हैं। राज्य के समस्त मेडिकल कालेज से सम्बन्धित पांचों अस्पतालों में रिकनेलाइजेशन की व्यवस्था है।

जबरन नसबन्दी करने के मामले में प्राप्त हुई शिकायतों को दूसरे विभागों द्वारा सम्बन्धित जिलाधीशों को जांच हेतु भेज दिया गया है। जिन शिकायत कर्ताओं ने एक्सग्रेसिया सहायता के लिए लिखा है उनको मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (परिवार-नियोजन) के पास जिला कमेटी में आवश्यक निर्णय लेने हेतु भेजा गया है और इस प्रकार के बहुत से मामलों में जिला कमेटी के निर्णय के अनुसार एक्सग्रेसिया सहायता प्रदान कर दी गई है।

(2) जी हां। दिनांक 1-4-76 से 31-7-77 तक 121 मामलों का रिकनेलाइजेशन किया गया है।

(3) जी हां। एक्सग्रेसिया रूल्स के तहत ऐसे मामलों में उचित धनराशि देने का प्रावधान है। नसबन्दी के बाद जटिलता के कारण जिन व्यक्तियों की दुर्भाग्यवश मृत्यु हो गई है उनके परिवार को 5000/- रुपये तक की राशि दी जा चुकी है. तथा जिन व्यक्तियों को जटिलता के कारण लकुआ आदि हो गया है उनको भी 5000/-रु. तक की एक्सग्रेसिया राशि दी जा चुकी है और शेष के बारे में कार्यवाही जारी है। इसमें अब तक 3,06,770/- तक की राशि दी जा चुकी है। इसके अलावा जटिलता के कारण जिन व्यक्तियों की परेशानियां खड़ी हो गई उनको भी जिला स्तर पर ही जिला कमेटियों द्वारा जांच कर निःशुल्क उपचार व 500 रुपये तक की आर्थिक सहायता दी गई है।

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)
शेष बचे हुए मामलों पर भी इसी प्रकार कार्यवाही की जा रही है।

अब तक प्राप्त सूचना के अनुसार 40,797/— रुपये का खर्चा एक्सग्रेसिया मद से काम्पलीकेशन्स के मामलों में किया गया है।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : अध्यक्ष महोदय, श्री भंवरलालजी शर्मा को तीन सौ एप्लीकेशन्स छबड़ा और छीपा बड़ौद की दी गई थीं, क्या वे सब माननीय मंत्री जी के पास पहुंच गई हैं ? ऐसा तय किया गया था कि श्री भंवरलालजी शर्मा को इस सम्बन्ध में जो भी शिकायतें हों वह दे दी जायं। तो क्या वे सारी शिकायतें, तीन सौ एप्लीकेशन्स राज्य सरकार को मिल चुकी हैं ? एक पांचू नाम का व्यक्ति था उसकी अकाल मृत्यु हो गई थी।

(व्यवधान)

श्री श्योपतसिंह मकासर : माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसे बहुत से कर्मचारी हैं जिनको नसबन्दी नहीं कराने से या तो कम्पलसरी छुट्टी पर भेज दिया गया या सस्पेन्ड कर दिया गया या नौकरी से हटा दिया गया। ऐसे केसेज के बारे में सरकार का क्या विचार है ?

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : अध्यक्ष महोदय, नसों को दुबारा जोड़ने के जो केसेज बाड़मेर के जोधपुर भेजे जाते हैं उनको केवल रेलवे फेयर मिलता है। इसके अलावा और कोई सुविधा नहीं दी जाती। उनको ठहरने और खाने-पीने की सुविधा देने के बारे में भी सरकार कन्सीडर करेगी ?

श्री श्योपतसिंह मकासर : पहले मेरा जवाब आने दें।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : जिन राज्य कर्मचारियों को नसबन्दी के अपराध के कारण नौकरी से अलग किया गया था सरकार उन सारे केसेज को देख रही है, और कई केसेज में स्क्रूटिनी करने के बाद नौकरी में वापस लिया गया है। ऐसे भी समाचार मिले है कि कई कर्मचारियों का स्थानान्तरण भी कर दिया गया, उनको भी निरस्त किया गया है।

श्री ओंकारलाल चौहान : ऐसे कितने व्यक्ति हैं जिनको वापस नौकरी पर लगाया गया है ? मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करें।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : मैंने जो प्रश्न पूछा था उसका उत्तर नहीं मिला है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री ओंकारलाल।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, एक एक कर के प्रश्न पूछें। नहीं तो मन्त्री महोदय उत्तर कैसे देंगे। पहले एक प्रश्न का उत्तर सुन लें फिर सप्लीमेन्ट्री पूछें।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया है।

श्री अध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करें। आपका जवाब आ चुका है।

श्री ओंकार लाल चौहान : मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करें कि जिन व्यक्तियों को इन्क्वायरी के बाद निर्दोष पाया गया, उनकी क्या संख्या है? जिन व्यक्तियों ने कर्मचारियों पर ज्यादतियां कीं, उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : अभी संख्या उपलब्ध नहीं है।

श्री खेतसिंह (शेरगढ़) : मैं यह जानना चाहता हूं कि किसी आदमी के चार बच्चे हैं और उसका आपरेशन हो चुका है। अब यदि वह अपनी नस वापस जुड़वाना चाहता है, तो आप उसे पर्मिशन देते हैं या नहीं?

एक माननीय सदस्य : आप सिफारिश कर दें तो हो जायेगा।

मुख्य मंत्री (श्री भैरों सिंह शेखावत) : माननीय सदस्य ऐसी सिफारिश करेंगे तो विचार करेंगे।

श्री खेतसिंह : मैं सिफारिश की नहीं, आपकी पालिसी की बात कहता हूं। आपकी क्या पालिसी है ऐसे मामलों में?

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : मेरी बात का जवाब नहीं आया। मैंने जो 300 दरख्वास्तें श्री भंवर लाल को दीं, उनका क्या हुआ?

श्री अध्यक्ष : आप मंत्री महोदय को विवश नहीं कर सकते किसी बात का उत्तर देने के लिये।

श्री खेतसिंह : हम जानना चाहें और यह बोलें ही नहीं, तो फिर सवाल ही नहीं पूछें?

श्री दाऊ दयाल जोशी (दीगोद) : अध्यक्ष महोदय, सवाई माधोपुर का एक 15 वर्ष का लड़का अपनी मां के साथ यहां के मैन्टल हास्पिटल में इलाज करवाने के लिये आया। 16-10-76 को उससे कहा गया कि जब तक वह अपना परिवार नियोजन का आपरेशन नहीं करवायेगा तब तक उसकी मां को प्रवेश नहीं दिया जायेगा। इसकी फोटोस्टेट कापी मेरे पास है जो मैं सदन के सामने कल प्रस्तुत कर दूंगा। जब उसने परिवार नियोजन का आपरेशन करवा लिया तब 17 तारीख से उसकी मां के पागलपन का इलाज चालू हुआ। जिस डाक्टर ने ऐसी घिनौनी हरकत की है, उसके खिलाफ आप क्या कार्यवाही करेंगे?

श्री बजरंगलाल शर्मा (बनीपार्क, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री मूलचन्द डागा : प्रश्न काल में कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं होता।

श्री बजरंगलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है, मंत्री महोदय प्रश्न का उत्तर नहीं देते हैं, और आप यह व्यवस्था दे रहे हैं कि मन्त्री महोदय को किसी प्रश्न का उत्तर देने के लिये विवश नहीं किया जा सकता। मैं जहां तक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के सिद्धांत को समझ पाया हूं, उसके अन्तर्गत यह सरकार इस हाउस के प्रति जिम्मेदार है, और इसकी जिम्मेदारी है कि हाउस के अन्दर जो प्रश्न पूछे जायें,

(श्री बजरंगलाल शर्मा)
उनका उत्तर दे। जब कोई प्रश्न रेलेवन्ट हो, उसको एडमिट भी किया जाये और फिर यह कहा जाये कि सरकार उसका उत्तर देने के लिये विवश नहीं है, तो यह जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का सिद्धांत है कि सरकार इस हाउस के प्रति जिम्मेदार है, यह सिद्धांत क्या अक्षुण्ण रह जाता है? सदन में प्रश्न पूछा गया है, अगर रेलेवन्ट नहीं है, तो आप वैसा कह दीजिये, लेकिन जो रेलेवन्ट प्रश्न है उसके बारे में भी आप संरक्षण नहीं दें, तो हमारा अधिकार जो सदन के प्रति सरकार को जिम्मेदार बनाने का है, वह कहां रह जाता है? आप कृपया इसको स्पष्ट करें।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह प्रश्न बहुत विस्तृत है। अगर सदन की इच्छा हो तो प्रश्न को स्थगित किया जा सकता है। लेकिन किसी स्पेसिफिक सप्लीमेंट्री प्रश्न का उत्तर देने की स्थिति में अगर मंत्री महोदय नहीं हैं, तो उन्हें विवश नहीं किया जा सकता।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : इसका जवाब देने में क्या तकलीफ हो रही है?

श्री रघुनाथ विश्नोई : उनके पास अगर जानकारी नहीं है, तो वैसा कहें तो सही।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : अध्यक्ष महोदय, मैंने 300 एप्लीकेशन्स दी है, उनका क्या हुआ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : परिवार नियोजन के सम्बन्ध में अनेक शिकायतें आई हैं। जिन पर तत्काल कार्यवाही कर सकते थे, उन पर कार्यवाही की गई है और बाकी सारी शिकायतें श्री कानसिंह की अध्यक्षता में जो समिति बनाई गई है, उसको रेफर कर दी गई हैं। इन शिकायतों की जांच के बाद जिन व्यक्तियों को दोषी पाया जायगा, उन्हें दन्ड दिया जायेगा और जिन को सहायता देनी चाहिये, उन्हें सहायता दी जायेगी।

श्री श्योपतसिंह मकासर : आपने दुबारा नस जोड़ने की बात कही। तो क्या इसको डाक्टरी मुआयने में सही पाया गया?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अब यह तो जिनका रीकनेलाइजेशन किया गया है, उनसे जानकारी की जाये तब मालूम पड़ेगा।

श्री श्योपतसिंह मकासर : मैडिकल साइन्स की हिन्दुस्तान के अन्दर अभी इतनी तरक्की नहीं हुई है कि रीकनेलाइजेशन किया जा सके।

कई माननीय सदस्य : हुई है, हुई है।

श्री अध्यक्ष : श्री किशनसिंह भाटी।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ने क्या व्यवस्था कर रखी है? मैं तीन आदमियों को कलेक्टर के पास ले गया, कलेक्टर साहब ने डी.एम.एच.ओ. के पास भेज दिया और उन्होंने एक और अधिकारी के पास भेज दिया, जिन्होंने कहा कि हमारे पास तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, आप इन्हें जयपुर ले जायें। अब उन लोगों के पास जयपुर आकर इलाज कराने को पैसा ही नहीं है, तो अब वह किस को रोयें?

श्री शंकरलाल : जनता पार्टी को रोयें, और किसको रोयें?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मुख्य मंत्री का उत्तर पर्याप्त है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : जितने भी प्रार्थना-पत्र हमारे पास आये हैं, उन सब पर हमने विचार किया है । अब कौनसे प्रार्थना-पत्र कानसिंह कमीशन को भिजवाये हैं, वहां पहुंचे कि नहीं, इसकी जानकारी करा लेंगे । आफिशियल रूप से जो जानकारी मेरे पास आई है, वह मैंने उपलब्ध करा दी ।

श्री अध्यक्ष : जब सभी मामले कानसिंह कमीशन के पास भेज दिये गये, तो अब आपत्ति क्या है ?

श्री किशनसिंह भाटी (जैसलमेर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय स्वास्थ्य मंत्री से पूछना चाहता हूं कि····

श्री रघुनाथ विश्नोई : आपरेशन करवाने के बाद असहाय हो गये हैं, उनके कैसेज भी कानसिंह कमीशन के पास पहुंच गये ?

श्री किशनसिंह भाटी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं स्वास्थ्य मंत्री से पूछना चाहता हूं कि परिवार नियोजन अभियान के अन्तर्गत क्या कुंवारों का भी आपरेशन करने के इन्स्ट्रक्शन थे ?

दूसरा, क्या ऐसे भी राज्य सरकार अथवा गवर्नमेंट आफ इन्डिया के इन्स्ट्रक्शन्स थे, कि जिन आदमियों का आपरेशन नहीं होना चाहिये, जैसे कि किसी को डायबिटीज की बीमारी हो, ऐसे लोगों का भी परिवार नियोजन का आपरेशन किया जाये ? अगर ऐसा नहीं है, तो ऐसे लोगों के आपरेशन करने वालों के खिलाफ क्या एक्शन लिया जायेगा ? जैसा माननीय मुख्य मंत्री जी ने बताया कि सभी मामले कानसिंह कमीशन के पास भेज दिये गये हैं, तो क्या इस प्रकार के केसेज भी कमीशन के पास आये हैं ? अगर नहीं आए हों, तो मैं जानकारी दे दूं ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप दे दीजिये । आप कानसिंह समिति को लिखकर भेज दीजिये ।

श्री किशन सिंह भाटी : अगर ऐसे केसेज आये हैं, तो कृपया उनका नाम बताएं । जैसलमेर के ऐसे दो केसेज मैं बता सकता हूं ।

श्री अध्यक्ष : आप कानसिंह कमीशन को लिखकर भेज दीजिये । अब इस पर काफी चर्चा हो गई है ।

(व्यवधान)

श्री रतन लाल वर्मा : कानसिंह कमीशन के पास कितने केसेज भेजे गये उनकी सूची सदन में आनी चाहिये । 300 केसेज गायब हैं । अध्यक्ष महोदय, 300 दरख्वास्तें गायब हैं जो मंत्री महोदय के पास नहीं पहुंची हैं और मंत्री महोदय टालमटोल कर रहे हैं ।

(व्यवधान)

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : अध्यक्ष महोदय, हमें जनता पार्टी के इन्स्ट्रक्शन्स थे कि ऐसी एप्लीकेशन्स भंवर लाल जी शर्मा के पास पहुंचा दें, नसबन्दी के बारे में शिकायतें उन्हें दी जायें । मैंने 300 एप्लीकेशन्स दी हैं, उनका क्या हुआ ?

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें, बहुत चर्चा हो चुकी है ।

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री गिरधारी लाल भार्गव, आप सिर्फ एक सप्लीमेन्ट्री प्रश्न पूछ सकते हैं ।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ एक ही प्रश्न पूछूंगा।

मैं माननीय मन्त्री महोदय को बहुत ही विनम्रता से यह निवेदन करना चाहूंगा कि मन्त्री महोदय मुझे उन लोगों के आंकड़े दें जिनकी नसबन्दी के दौरान मृत्यु हो गयी थी। उनकी संख्या कितनी है? एक बात। दूसरी बात यह है कि हमारे भारत की केन्द्रीय सरकार के स्वास्थ्य मन्त्री ने यह घोषणा की थी कि जिन लोगों की नसबन्दी से मृत्यु हो गई है उनके परिवार वालों को पांच हजार रुपया नकद सहायता दी जावेगी। मैं मन्त्री महोदय से यह विनम्रतापूर्वक पूछना चाहूंगा कि ऐसे कितने परिवार हैं जिनको कि यह पांच हजार रुपये मुआवजे के दिये गये? इसके अलावा क्या क्या सहूलियतें राज्य सरकार नसबन्दी के दौरान हुई दुर्घटनाओं के लिये उन परिवारों को अब देने जा रही है? यह हमें बताने की कृपा करें।

अध्यक्ष महोदय, हमने चुनावों के दौरान इस बात के वायदे किये थे कि नसबन्दी के दौरान जिन लोगों की मृत्यु हो गयी है उनके परिवार वालों को राज्य सरकार सहायता देगी। अगर मन्त्री महोदय इस बात की जानकारी मुझे अभी नहीं देते हैं तो मैं इस प्रश्न के लिये हाउस में आधा घन्टे की चर्चा उठाऊंगा। मैं आपसे विनम्रतापूर्वक यह निवेदन करना चाहूंगा कि आप मुझे हाउस में इस प्रश्न के लिये आधा घन्टे की चर्चा के लिये अलाउ करें।

(व्यवधान)

श्री खेतसिंह : अध्यक्ष महोदय,....

श्री अध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करें।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों को बहुत ही विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि नसबन्दी के आपरेशन से जिन लोगों की मृत्यु हो गयी थी और जिनकी सूचना राज्य सरकार के पास आ गयी थी उनके परिवार वालों को राज्य सरकार ने पांच हजार रुपये मुआवजे के दिये हैं। अगर किन्हीं ऐसे परिवार के लोगों को मुआवजे के रुपये नहीं मिले हैं तो आप मुझे स्पेसिफिक केसेज बतायें, मैं उन पर कार्यवाही करूंगा। इसके अलावा दूसरी बात मैं यहां पर यह भी माननीय सदस्य को निवेदन करना चाहूंगा कि परिवार नियोजन के लिये जिन लोगों ने भी ज्यादती की है उसके लिये राज्य सरकार दोषी अधिकारियों के खिलाफ जरूर एक्शन लेगी।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं आपको जानकारी दे सकता हूं। आज भी सवाई मानसिंह अस्पताल में कई लोग हैं....

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : आप जानकारी दें। मैं निश्चित रूप से एक्शन लूंगा।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

श्री प्रेमसिंह : अध्यक्ष महोदय, अस्पताल की बात पर तो मन्त्री महोदय ने एक्शन लेने के लिये कह दिया लेकिन जो मर गये उनका क्या होगा?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। आप लोगों की भावनाओं के प्रति मुझे भी किसी हद तक सहानुभूति है पर नियमों के अन्तर्गत जो व्यवस्था है आप उसके अनुसार प्रश्न उठायें तो मैं उस पर

(श्री अध्यक्ष)
सहानुभूतिपूर्वक विचार करूंगा। इसके अलावा आप प्रश्न भी पूछ सकते हैं।

प्रश्न काल समाप्त हुआ।

श्री खेतसिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि आपने आज के प्रश्नों की सूची में तीस प्रश्न रखे हैं और प्रश्न काल समाप्त हुआ तब तक सिर्फ आठ ही प्रश्न पूछे जा सके हैं। हमारे काफी महत्वपूर्ण प्रश्न रह गये हैं जिनके उत्तर हमें राज्य सरकार द्वारा यहां नहीं मिल पायेंगे। तो यह तो बहुत ही भारी विडम्बना है क्योंकि न तो हमारे प्रश्नों के जवाब ही आये हैं न ही यहां पर प्रश्न ही पूछे गये हैं। तो आप या तो ऐसी व्यवस्था कर दें कि प्रश्नों की सूची में सिर्फ दस सवाल ही रख लें ताकि सभी के जवाब आ जायें या अगर आप प्रश्नों की संख्या तीस ही रखना चाहें तो प्रश्नों के जवाब हमें जल्दी जल्दी दिलावें ताकि 20-25 सवालों के जवाब हमें मिल जावें। बाकी जो प्रश्न बच जायें उनके उत्तर हमें मिल जावें।

श्री अध्यक्ष : आपके प्रश्नों के जवाब आपको मिल जायेंगे। रहा सवाल यहां प्रश्न पूछने के बारे में उसके लिये तो आपको ज्यादा से ज्यादा सहयोग मुझे प्रदान करने से ही यहां पर अधिक सवाल पूछे जा सकेंगे।

(व्यवधान)

आप स्थान ग्रहण करिये। आपके प्रश्नों के उत्तर आपके पास आ जायेंगे।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : अध्यक्ष महोदय, मेरा तो यह निवेदन है कि तीस प्रश्न नहीं रखे जाने चाहिये सिर्फ बीस प्रश्न ही रखे जाने चाहिये।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

प्रश्न काल समाप्त हुआ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट देखें)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :–

(1) श्री माणकलाल ठाठोर सदस्य विधान सभा की ओर से कस्बा नैनवा जिला बून्दी में दिनांक 19-8-77 को पुलिस द्वारा छात्रों तथा जनता पर किये गये लाठी चार्ज व एक 12 वर्षीय बालक को तालाब में फेंकने से हुई मृत्यु के विषय में।

(2) श्री वृद्धिचन्द्र जैन, सदस्य विधान सभा की ओर से गत स्वतन्त्रता दिवस के अवसर पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बाड़मेर में आयोजित किये गये सांस्कृतिक समारोह के अवसर पर कुछ छात्रों एवं युवकों द्वारा की गई गुण्डागर्दी के विषय में।

(3) श्री रघुनाथ विश्नोई, सदस्य विधान सभा की ओर से जिला जालौर में सीमेन्ट की भारी कमी के विषय में।

इन स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जावेगा।

(श्री अध्यक्ष)

(4) सर्व श्री शंकरलाल, रणजीतसिंह, श्रीमती सुमित्रासिंह व श्री रणमलसिंह, सदस्य विधान सभा की ओर से मेवाड़ टैक्सटाइल मिल, भीलवाड़ा में गत 29 अगस्त 1977 से हुई तालाबन्दी और गत 2 अगस्त से 28 अगस्त तक हुई हड़ताल के विषय में।

इस विषय में मुझे कई माननीय सदस्यों की ओर से ध्यानाकर्षण प्रस्तावों की सूचना भी प्राप्त हुई हैं। मैं इस प्रस्ताव को ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के रूप में स्वीकार कर रहा हूं, जिसकी तिथि की घोषणा बाद में की जावेगी। इस प्रस्ताव को भी सरकार की जानकारी के लिये मैंने भेज दिया है।

शोक प्रकट ।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री खेतसिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी एक स्थगन प्रस्ताव है जो कि मैंने सुबह नौ बजे दिया है।

श्री अध्यक्ष : जी हां। वह मुझे आज 11 बजे मिल गया है। मैं उसको भी जानकारी के लिये राज्य सरकार को भेज रहा हूं।

श्री खेतसिंह : अध्यक्ष महोदय, बहुत ही महत्वपूर्ण स्थगन प्रस्ताव है। आज भी वहां पर हड़ताल चल रही है और सत्याग्रह हो रहे हैं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आज तक जब हड़तालें होती थीं और सत्याग्रह होते थे तब आपको ध्यान नहीं आता था। यह काम आपने कब से हाथ में ले लिया ?

श्री खेतसिंह : पहले यह काम आपके पास था अब हमारे पास आ गया है।

श्री भंवरलाल शर्मा : ट्रान्सफर हो गया है।

श्री शंकरलाल : वह काम भार्गव साहब के पास से हमारे पास आ गया है।

अध्यक्ष महोदय, मैंने जो स्थगन प्रस्ताव दिया है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है।

श्री अध्यक्ष : मैंने उसको भी जानकारी के लिये राज्य सरकार के पास भेजा है।

श्री खेतसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो स्थगन प्रस्ताव दिया है उसमें लिखा है स्थिति उन लोगों की बहुत ही खराब हो रही है। उन लोगों के ऊपर राज्य सरकार लाठी चार्ज कर रही है। माननीय गृह मंत्रीजी और माननीय मुख्य मंत्री जी यहां पर बैठे हैं। आप उनसे कहें कि वह इस महत्वपूर्ण प्रश्न का जवाब सदन में आज दें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अगर मुख्य मंत्री जी उत्तर देने की स्थिति में होंगे तो इस पर विचार किया जायेगा।

(व्यवधान)

श्री बाऊदयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी आयुर्वेद के छात्रों के बारे में निवेदन है कि राज्य सरकार ने आयुर्वेद छात्रों की मांगों के बारे में कुछ निर्णय नहीं दिया।

Page No 24

(24)

श्री शंकरलाल : अध्यक्ष महोदय, स्थगन प्रस्तावों के सम्बन्ध में तो इस सदन की यह परम्परा रही है कि हर सदस्य, जिसने स्थगन प्रस्ताव दिया है, को ग्रासन के द्वारा बोलने की अनुमति दी जाती रही है। आपको भी उस परम्परा के अनुसार हमें बोलने की अनुमति देनी चाहिये या फिर आप राज्य सरकार से इसके बारे में उत्तर दिला दें। एक न एक सुविधा तो होनी चाहिये।

श्री खेतसिंह : दो दो मिनट बोलने की सहूलियत तो हमें देनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष : इसके लिये तो बजट के ऊपर बहस के दौरान माननीय सदस्य अपने विचार प्रकट कर सकते हैं। जहां तक सवाल परम्परा का है जब तक चार दिन यह बजट पर बहस चल रही है मैं स्थगन प्रस्तावों पर बोलने की इजाजत नहीं दूंगा।

श्री मूलचन्द डागा : ग्रान ए पाइन्ट ग्राफ ग्रार्डर, अध्यक्ष महोदय।

श्री शंकरलाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा स्थगन प्रस्ताव बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज कई दिनों से भीलवाड़ा मिल में हड़ताल चल रही है। वहां पर ढाई हजार मजदूर बेकार बैठे हुए हैं। मिल बन्द होने से उत्पादन में भी कमी हो रही है। इसके लिये तो आपको समय देना चाहिये या राज्य सरकार जवाब दे यहां पर।

श्री अध्यक्ष : मैंने इसको ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के रूप में स्वीकार कर लिया है। कई दिनों से हड़ताल चल रही है इसके कारण उत्पादन में कमी हो रही है और मजदूर बेकार बैठे हुए हैं उसके लिये मुझे भी किसी हद तक आपके विचारों से सहानुभूति है पर नियमों के अन्तर्गत मेरी भी विवशता है। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव जब पेश हो तब आप बोल लें।

श्री शंकरलाल : अध्यक्ष महोदय, ढाई हजार मजदूर बेकार बैठे हुए हैं, उत्पादन गिर रहा है, मिल में तालाबन्दी हो रही है। इन सभी बातों के सम्बन्ध में सरकार क्या कर रही है ?

श्री अध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करें।

विरोधी दल के माननीय नेता, श्री परसराम मदेरणा।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के रूप में इसको स्वीकार कर लिया तो स्वीकार कर लेने के बाद में अब सरकार से कौनसी जानकारी चाही जा रही है ? मैं यह निवेदन करना चाहूंगा, यहां पर ऐसी व्यवस्था रही है कि सरकार से तथ्यों की जानकारी करने के बाद में अध्यक्ष महोदय ने यह व्यवस्था दी है कि अमुक तिथि को सरकार को उस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर वक्तव्य देना है। जब आपने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के रूप में स्वीकार कर लिया है तो कृपया आप सरकार को कहिये कि वह उस पर वक्तव्य दें। केवल इसके लिये डेट फिक्स करने की बात है। बजट पर वाद-विवाद हो रहा है इसलिये आप सरकार को बाध्य नहीं करेंगे कि वह वक्तव्य दे तो आपकी रूलिंग से एक विरोधाभास होगा।

श्री अध्यक्ष : सरकार को डाइरेक्शन भी दिया जावेगा। आज नहीं दिया जा सकता। मैं इसके लिये विवश हूं। कल इस पर विचार भी किया जा सकता है। विरोधी दल के माननीय नेता चाहें तो माननीय मुख्य मंत्रीजी से अपने स्तर पर चर्चा कर लें।

श्री खेतसिंह : मुख्य मंत्री मिलते ही नहीं।

श्री मूलचन्द डागा : मेरी प्रार्थना यह है कि राजस्थान विधान सभा के द्वितीय सत्र के लिये जो बुलेटिन इश्यू किया गया है उसमें अगले शुक्रवार के रोज भी प्राइवेट मैम्बर्स डे नहीं रखा है। अगले शुक्रवार के रोज 16 सितम्बर आता है। उस दिन भी छुट्टी हो जाती है और शनिवार को भी प्राइवेट मैम्बर्स डे नहीं रखा है। पिछले सत्र में आपने निर्णय दिया था।

श्री अध्यक्ष : मैंने आश्वासन दिया है।

श्री मूलचन्द डागा : मैं उसी आश्वासन की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करने के लिये सदन का अमूल्य समय ले रहा हूं। यह आपकी ओर से आश्वासन दिया गया था कि "इस विधान सभा में ध्यान रख कर समय निकाल कर आपको अवसर दिया जावेगा।" नियम 23 स्पष्ट है। दो दो सप्ताह तक प्राइवेट मैम्बर्स डे न रख कर जिन माननीय सदस्यों ने संकल्प या बिल प्रस्तुत किये हैं उन्हें आप अवसर न दें तो यह हमारे अधिकार पर आपके होते हुए कुठाराघात होगा। आप देखिये, आपके नियमों में लिखा है :

"Provided that the Speaker may allot different such Fridays for the disposal of different classes of such business and on such Fridays so allotted for any particular class of business, business of that class shall have precedence :"

श्रीमन्, आपने प्रोग्राम निकाल दिया है। इस शनिवार के रोज आपने मौका नहीं दिया है और अगले शुक्रवार को भी छुट्टी कर दी। सारा सप्ताह वेस्ट कर दिया। प्राइवेट मैम्बर्स के बिल या संकल्प आपकी सेवा में, जैसा नियम इजाजत देता है, प्रस्तुत किये गये हैं। मैं चाहूंगा कि आप मेरी प्रार्थना को स्वीकार करते हुए सदन के नेता से विचार विमर्श करके अगले सप्ताह प्राइवेट मैम्बर्स डे रखें ताकि जिन्होंने संकल्प या बिल प्रस्तुत किये हैं उन पर चर्चा हो सके।

श्री अध्यक्ष : आपकी मांग के सम्बन्ध में मेरी पूर्ण सहानुभूति है और आवश्यकतानुसार आंशिक परिवर्तन कर दिया जावेगा।

शोक प्रकट।

शोकाभिव्यक्ति एवं श्रद्धांजलि

भूतपूर्व विधान सभा सदस्य श्री भैरोंसिंह व श्री प्रतापसिंह के देहावसान पर शोकाभिव्यक्ति एवं उनके प्रति श्रद्धांजलि

माननीय सदस्यों को मुझे सूचित करना है कि श्री भैरोंसिंह और श्री प्रतापसिंह, जो प्रथम विधान सभा के माननीय सदस्य थे, का निधन हो गया है।

श्री भैरोंसिंह का निधन एक दुर्घटना से हुआ। मैं उस मौके पर 20 मिनट के ही पश्चात् पहुंचा। यह वाकया लोक सभा चुनावों के दौरान हुआ। मैं भीम से चारभुजा

(श्री अध्यक्ष)
वापस लौट रहा था। उदयपुर लोक सभा चुनावों में उदयपुर निर्वाचन क्षेत्र से श्री भानुकुमार शास्त्री को समर्थन देने के लिए गया हुआ था। इस दुर्घटना में 14 आदमी मरे और श्री भैरोंसिहजी गम्भीर रूप से घायल हुए। उदयपुर अस्पताल में उनकी मृत्यु हुई।

श्री खेतसिंह : यह भैरोंसिंह दूसरे हैं। यह बरकाना के थे। वे भैरोंसिंह केलवा के थे। उनको तो श्रद्धांजलि अर्पित कर चुके हैं। यह बरकाना के जागीरदार थे। इनका देहावसान हुए 12 दिन हुए हैं। ये प्रथम विधान सभा के सदस्य नहीं थे।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपका मैं आभारी हूं।

भैरोंसिहजी का निधन हुआ, इसका मुझे खेद है। वे प्रथम विधान सभा के सदस्य थे। व्यक्तिगत रूप से मैं उनको नहीं जानता हूं। उनकी दिवंगत आत्मा की चिरशांति के लिए सदन की ओर से और मेरी ओर से परमात्मा से प्रार्थना करता हूं और उनके शोक संतप्त परिवार के प्रति हार्दिक सहानुभूति प्रस्तुत करता हूं।

श्री प्रतापसिंहजी को मैं सन् 1919 से भलीभांति जानता हूं। वे मेयो कालेज में मेरे साथ पढ़े थे। मेरे से एक क्लास ऊपर थे। वे हमेशा अपनी क्लास में फर्स्ट आते थे। वे बहुत अच्छे काश्तकार थे। उनके पुत्र के निधन के बाद उन्होंने वानप्रस्थाश्रम का अपना जीवन बना लिया था और दिन में 15 घण्टे तक ईश्वर भजन किया करते थे। वे जिले के एक बहुत प्रतिष्ठित नागरिक थे। उनके निधन से जिले के अन्दर और उनके गांव के अन्दर तथा समाज में एक बड़ी भारी क्षति हुई।

दिवंगत आत्मा की चिर शांति के लिये मैं अपनी ओर से और सदन की ओर से परमात्मा से प्रार्थना करता हूं और उनके शोक संतप्त परिवार के प्रति मैं हार्दिक सहानुभूति व्यक्त करता हूं।

मैं आशा करता हूं कि सदन की परम्परा के अनुसार इस प्रस्ताव को आप मौन रूप से खड़े होकर पारित करेंगे।

(सदन ने दो मिनट मौन खड़े होकर दिवंगतों की आत्मा की चिरशांति के लिए प्रार्थना की तथा उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की)

सदन की मेज पर रखे गये पत्र

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र। माननीय वित्त मन्त्री जी।

लेखे एवं प्रतिवेदन

श्री आदित्येन्द्र (वित्त मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नांकित लेखे एवं प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखता हूं :—

(1) वित्त लेखे, 1975–76,

(2) विनियोग लेखे, 1975–76,

(3) वर्ष 1975–76 के लिए भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (सिविल),

(4) वर्ष 1975–76 के लिए भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (वाणिज्यिक),

(श्री आदित्येन्द्र)

(5) वर्ष 1975–76 के लिए भारत के नियन्त्रक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियां)।

श्री अध्यक्ष : माननीय कृषि मंत्री जी।

श्री सम्पतराम (कृषि मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान स्टेट एग्रो इन्डस्ट्रीज कारपोरेशन लि., का वर्ष 1975–76 का वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे सदन की मेज पर रखता हूं।

नियम का निलम्बन

प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियमों के नियम संख्या 143 का निलम्बन

श्री अध्यक्ष : 143 धारा को निलम्बित करने संबंधी।

श्री सम्पतराम : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 143 के अनुसार सदन में आय-व्ययक अनुदानों से सम्बन्धित मांगों को सदन में प्रस्तुत होने व विचारार्थ लेने का क्रम जन लेखा समिति की सलाह पर सदन के नेता द्वारा निर्धारित किया जाता है और चूंकि अभी तक जन लेखा समिति का गठन नहीं हुआ है अतः मैं प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 306 के अन्तर्गत प्रस्ताव करता हूं कि नियम 143 को निलम्बित करते हुए परिवर्तित आय-व्ययक अनुमान 1977-78 के अन्तर्गत अनुदानों की मांगों को सदन में प्रस्तुत करने व विचारार्थ लेने का क्रम सदन के नेता माननीय अध्यक्ष की सलाह से निर्धारित करें।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि प्रस्ताव पारित किया जाये ?

(स्वीकृत)

प्रस्ताव पारित किया गया।

घोषणा

बजट पर वाद विवाद हेतु समय का बंटवारा

श्री अध्यक्ष : जैसा कि माननीय सदस्यों को विदित है आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद हेतु 4 दिवस का समय नियत किया गया है। इन चार दिनों में सदन के माननीय सदस्यों को अपने विचारों को व्यक्त करने हेतु लगभग 18 घन्टे का समय उपलब्ध होगा। इस समय का मैं बंटवारा सामान्य तौर पर इस प्रकार करता हूं:—

जनता पार्टी – 13 घन्टे–इसमें सरकार की ओर से उत्तर का समय भी सम्मिलित है।
कांग्रेस पार्टी – 3½ घन्टे
प्रगतिशील मोर्चा – 40 मिनट
सी.पी.एम. – 15 मिनट
सी.पी.आई. – 15 मिनट
निर्दलीय – 20 मिनट

श्री ज्योपतसिंह (मकासर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक दल के विचारों को प्रकट करने के लिए 15 मिनट का समय बहुत कम है। हम जो विचार प्रकट करेंगे वह दल के तौर पर रखेंगे। इसलिए जब दूसरे दलों को आप इतना टाइम दे रहे हैं तो हमको भी ज्यादा समय मिलना चाहिए क्योंकि हमको अपने दल के विचार रखने पड़ते हैं। वह सदस्य के विचार नहीं होते।

श्री मदनसिंह दांता (दांता रामगढ़) : अध्यक्ष महोदय, निर्दलीय सदस्यों को बहुत कम समय दिया गया है। वह किसी भी विषय पर बोल सकते हैं इसलिए उनको कम से कम ज्यादा समय देना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : आसन आपकी आपत्ति पर उदारतापूर्वक विचार करेगा।

श्री शिवचरण सिंह (बयाना) : माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे दल को जो समय दिया गया है वह कम है। आपके दल में तो दो सदस्य हैं और इसमें भी एक बोलते नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष : 20 से 40 मिनट हो जायेंगे तो देखेंगे।

आय-व्ययक पर सामान्य वाद विवाद

श्री अध्यक्ष : श्री मनोहरसिंह जी मेहता।

श्री मनोहरसिंह मेहता (माण्डलगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय • • •

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : अपोजीशन नहीं बोल रहा है ?

श्री खेतसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, • •

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी की तरफ से वाद विवाद आरम्भ हो रहा है यह हमारा अहोभाग्य है।

श्री खेतसिंह : यह तो अपने अपने वक्त की बात होती है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अहोभाग्य कहा है, दुर्भाग्य नहीं।

श्री खेतसिंह : वक्त हमेशा एक सा नहीं रहा है।

श्री शंकरलाल : यह आपकी भाषा को समझते हैं।

श्री खेतसिंह (शेरगढ़) : अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री महोदय ने कल जो कृपापूर्वक बजट भाषण यहां पर दिया है उसमें उन्होंने करीब 58.94 करोड़ का घाटा बताया है। मैं हमेशा, अध्यक्ष महोदय, इस बात का हामी रहा हूं कि बजट हमेशा बेलेन्स्ड होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, आप स्वयं वर्षों तक जब इधर बैठते थे और विपक्ष के नेता की हैसियत से जब कभी भाषण दिया करते थे तो आप हमेशा इस बात की ताईद किया करते थे कि बजट हमेशा बैलेन्स्ड रहना चाहिए। हम सोचते थे कि जनता पार्टी की सरकार आते ही निश्चित तौर पर अध्यक्ष महोदय, जो वर्षों तक विपक्ष के नेता रहे थे, के विचारों का अनुकरण करते हुए अपना बेलेन्स्ड बजट पेश करेगी। लेकिन यह देखकर हमें सख्त अफसोस हुआ कि जो भूतपूर्व वित्त मंत्री जी ने 33.51 लाख का घाटा बताया था उसके मुकाबले में हमारे वर्तमान वित्त मंत्री जी ने 58.94 करोड़ का घाटा बतलाया है। इसलिए मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो इन्होंने अलग-अलग मदों पर पैसा बतलाया है वह किसी भी हालत में इन छः महीनों में न तो खर्च होने वाला है और न सही रूप में बजट की कुछ मदों को छोड़ कर प्रावधानों के अनुसार कार्य करने वाले हैं। महज खुश करने के लिए और जनता पार्टी के नये माननीय सदस्यों से मेजें थपथपवाने के लिए इन्होंने इस तरह के आंकड़े हमारे सामने प्रस्तुत किये हैं।

(श्री खेत सिंह)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा, माननीय वित्त मंत्री महोदय ने अपने भाषण में यह बात कही कि कांग्रेस के 30 साल के शासन के अन्दर कुछ भी नहीं हुआ। मैंने जब यह पढ़ा तो मैंने सोचा कि यह भाषण न माननीय वित्त मंत्री महोदय के द्वारा लिखा गया है और न उनसे इस पर विचार-विमर्श ही हुआ है। यह तो माननीय मुख्य मंत्री जी का भाषण था जो उन्होंने वित्त मंत्री जी से पढ़वा दिया। माननीय वित्त मंत्री जी आजादी के बाद 15 वर्षों तक लगातार कांग्रेस में रहे और कांग्रेस में ही नहीं रहे बल्कि कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में भी रहे। वह वित्त मंत्री जी यह कैसे कह देते कि कांग्रेस के 30 साल के शासन में कुछ नहीं हुआ ? यह तो कोई पक्का जनसंघी ही कह सकता है। यह उनकी ही भाषा थी जो वित्त मंत्री जी ने यहां पढ़ कर सुनाई।

मैं इस मौके पर यह निवेदन करना चाहूंगा कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में और इस भाषण में भी इस बात पर पूरा जोर दिया गया है कि कांग्रेस की सरकार ने ये गलतियां कीं, कांग्रेस की सरकार ने वे गलतियां कीं। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि कांग्रेस ने जो कुछ किया उसके कारण तो आपको मेन्डेट मिल गया और हम हार गए। अब उसके बाद बार बार इस बात को दोहराने से क्या आप यह समझते हैं कि यहां की 2।। करोड़ की आबादी का भरण–पोषण हो जायेगा ? क्या आप यह समझते हैं कि इस तरह की बातें करने से आप समस्याओं का समाधान कर लेंगे और हर व्यक्ति को खाने के लिए अन्न, पहनने को कपड़े, रहने को मकान और उसको चिकित्सा सुविधाओं का इन्तजाम कर देंगे ? यदि हमारी ही बुराइयां करने से या पुराने शासन के बारे में ही कुछ कह कर आपको सन्तोष मालूम होता है तो आप जानें। मैं आपसे निश्चित रूप से निवेदन करूंगा कि पहले अधिवेशन में आपने जो कुछ कहा हमने सोचा कि आप अभी नये नये आये हैं और आपको कहना चाहिए लेकिन अब तो आपको सत्ता में आये इतना अर्सा गुजर गया, अब तो कुछ आप सक्रिय रूप से सोचिये कि आने वाले वर्षों में किस प्रकार से क्या व्यवस्था करना चाहते हैं ?

आज तक इतने महीनों में जो आपकी व्यवस्था रही है, निश्चित तौर पर मैं, अध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहता हूं कि अच्छा शासन नहीं रहा है। इस बात को स्वयं आप सब लोग भी मानेंगे। बाढ़ का प्रकोप हमारे यहां पिछले महीने रहा। हजारों मवेशी मर गये, सैंकड़ों आदमी खतम हो गये। जगह जगह मलेरिया फैल गया, जानवर मरे और कितना ही नुकसान फसलों को हो गया। उनके मुकाबले के लिए जो कुछ करना चाहिये था वह बहुत कम हुआ है। केवल यही नहीं इस सदन का हरएक सदस्य जानता और मानता है कि निश्चित तौर पर जिस गति से हमको कार्य करना चाहिये था वह नहीं हुआ है। केवल भाषण के अन्दर अच्छे शब्दों के लिख देने से ही समस्या का समाधान नहीं हो सकता। सैंकड़ों आदमी मलेरिया से बीमार पड़े हुए हैं। डी.डी.टी. का छिड़काव हुआ नहीं है। हजारों जानवरों के अन्दर बीमारी फैली हुई है। जहां बाढ़ आई है वहां तो और भी भयंकर स्थिति पैदा हो गई है। इस सारी स्थिति का

(श्री खेत सिंह)

मुकाबला करने के लिये, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, कृपया आप इन्हें यह ताड़ना दें कि इस सारे इलाके में जल्दी से जल्दी इन बातों का बन्दोबस्त करें।

मैं इस मौके पर यह भी निवेदन करना चाहूंगा, वित्त मंत्री जी ने अपने भाषण में यह बात कही है कि कांग्रेस की कथनी और करनी में बड़ा अन्तर रहा है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि कांग्रेस की कथनी और करनी में कितना अन्तर रहा है वह हिन्दुस्तान की जनता जानती है। कथनी और करनी में यदि अन्तर होता तो कांग्रेस किसी भी हालत में 30 साल तक शासन में नहीं रह सकती थी। आपकी कथनी और करनी में कितना अन्तर है, वह मैं निश्चित रूप से निवेदन करना चाहूंगा।

मद्य निषेध के बारे में आपने अपने घोषणा-पत्र में यह बात कही थी कि निश्चित तौर पर हम नशाबन्दी करेंगे। आपके मुख्य मंत्री जी ने भी इसे दोहराया है। वित्त मंत्री जी ने कई जगह पर यह बात कही है। यही बात आज से 5-7 वर्ष पहिले जब मुख्य मंत्री महोदय विपक्ष में बैठते थे तब उन्होंने एक बार अपने भाषण में कही थी। जो शब्द उन्होंने कहे थे, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने पढ़ कर सुनाना चाहता हूं।

"राजस्थान के मुख्य मंत्री जी, मैं कहना चाहता हूं आप आमदनी बढ़ाना चाहते हैं या आमदनी के नाम पर गरीब जनता का शोषण करना चाहते हैं। आपने मद्य निषेध की नीति अपनाई, आपका कर्तव्य है कि इसे इम्पलीमेंट कीजिये। आप अगर यह कह कर चलें कि इसके करने से हमको 1.50 करोड़ का घाटा होगा, मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं हूं। आप जनता का शोषण करना चाहते हैं और इसीलिये नये नये एक्सपेरीमेंट करते जा रहे हैं।"

यह बात आज से कई वर्ष पूर्व, अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने कही थी। हम सोचते थे कि माननीय मुख्य मंत्री महोदय अब तक गरज के साथ बात कहा करते थे, अब सारी हुकूमत उनके हाथ में है, तो निश्चित रूप से मद्य निषेध की नीति को अपनायेंगे और राजस्थान के अन्दर शराब बन्दी कर देंगे। लेकिन कल जब हमने वित्त मंत्री जी के भाषण को सुना कि दो जिलों और दो तहसीलों को सिर्फ इस कार्य के लिये चुना गया है तो मुझे यह सुन कर हैरानी हुई। मुझे इस बात का आश्चर्य हुआ है कि मनोहर सिंह जी जैसे व्यक्ति भी वह भाषण सुन करके खामोश बैठे रहे। कथनी और करनी में हमारी बात में फर्क रहा है या आपकी बात में फर्क रहा है, यह तो समय ही बतायेगा। कथनी और करनी हमारी एक नहीं थी तो आपकी भी एक नहीं कही जा सकती।

इसी मौके पर, अध्यक्ष महोदय, यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि वित्त मंत्रीजी ने अपने भाषण में यह बात कही कि पुरानी सरकार के बहिर्गमन होने के पश्चात्...

श्री शंकरलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है। सदन के बाहर काफी लाठी चार्ज हुआ है। आयुर्वेद के छात्रों को पुलिस ने बुरी तरह पीटा है। मुख्य मंत्रीजी ध्यान दें। बिल्कुल सदन के दरवाजे पर अशोभनीय घटना हुई है, इसकी व्यवस्था होनी चाहिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : गृह मंत्रीजी गये हैं।

श्री मूलचन्द डागा : लाठी चलवाने के लिये ?

श्री खेतसिंह : जहां तक बहिगर्मन का प्रश्न है, बहिगर्मन तो स्वतः हुआ करता है। अगर हमने किया तो इसका अफसोस नहीं है। मुख्य मंत्री जी, आपका वहिर्गमन नहीं होगा, आपको खींचकर निकालना पड़ेगा। इसलिए मैं इस मौके पर आपसे निवेदन करना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, आपने अपने भाषण में यह बात, जब आप विपक्ष के नेता थे, कही थी कि जिस तरह से देश में आबादी बढ़ती जा रही है, और आबादी बढ़ने का अनुपात है, उसी अनुपात में आबादी बढ़ती रही तो निश्चित रूप से हमारे सामने बहुत बड़ी समस्या आने वाली है। जो भाषण आपने उस वक्त दिया था उसका एक छोटा सा पैराग्राफ पढ़ कर सुनाना चाहता हूं।

"परिवार नियोजन के साथ, अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि डूंगरपुर जिले की आबादी सन् 1900 में एक लाख थी, वह सन् 1970 में निश्चित रूप से 5 लाख से भी अधिक हो गई है। इसको यदि हम देखें तो 50 हजार बच्चे देश के अन्दर रोजाना जनमते हैं। हमारी आबादी इसी तरह से बढ़ती रही तो निश्चित रूप से 25 वर्ष के पश्चात् हमारी आबादी 100 करोड़ हो जायेगी।"

यह बात, अध्यक्ष महोदय, आपने विपक्ष के नेता के रूप में कही थी। मैं सोचता था कि इस भयंकर समस्या के बारे में वित्त मंत्रीजी अपने भाषण में निश्चित रूप से कुछ कहेंगे। यह बात किसी से छुपी हुई नहीं है कि आज किस तरह से आबादी बढ़ती जा रही है। जिस देश के अन्दर एक घंटे में 1400 बच्चे पैदा हों, एक दिन के अन्दर करीब 34 हजार, एक महीने के अन्दर 10 लाख से ज्यादा और एक साल में 1.20 करोड़ की आबादी निश्चित रूप से बढ़ती हो, उस देश की समस्याएं अपने आप में कितनी बढ़ती जाएंगी। नया डिपार्टमेंट परिवार नियोजन के स्थान पर परिवार कल्याण खोला है। उसके द्वारा आप कोई ठोस कार्यक्रम रखते लेकिन आप मौन रहे। आप अच्छी तरह से जानते हैं एकमात्र सबसे बड़ा कारण है परिवार नियोजन जिसके कारण आपकी इतनी भयंकर जीत हुई। आप उससे छिपना चाहते हैं लेकिन यह समस्या इतनी विकट है कि इस समस्या को हल करने के लिये सरकार को कोई न कोई कारगर कदम उठाना ही पड़ेगा। यदि नहीं उठायेंगे, तो चाहे आप 300 की जगह 450 जगहों पर नल योजना कर दें, चाहे डाक्टरों की संख्या बढ़ा दें, आपकी इस समस्या का हल नहीं होने वाला है। इस विकट समस्या के समाधान के लिए निश्चित रूप से इस सरकार को कारगर कदम उठाना चाहिये तभी जाकर के हम अपनी योजना को सही रूप में कार्यान्वित करेंगे वरना यह समस्या भयंकर रूपसे बढ़ेगी। मुख्य मंत्री महोदय, आप इस बात को मानेंगे कि अभी भी भारत सरकार की नीति इस बारे में स्पष्ट नहीं है। इस बारे में कुछ न कुछ जब तक आप निर्णय नहीं लेंगे, चाहे कितनी ही योजनायें बना लें, कितने ही कदम उठा लें, जिस प्रकार अध्यक्ष महोदय ने, जब विपक्ष के नेता थे, दस वर्ष पूर्व जितना भयंकर रूप बताया था, आज तो आबादी और बढ़ी है इसलिए निश्चित रूप से कोई पुख्ता कदम उठाना ही पड़ेगा।

(श्री खेतसिंह)
तभी जाकर सही रूप से आप इस समस्या का समाधान ढूंढ सकेंगे। मैं समझता हूं इस सम्बन्ध में भी आप निश्चित रूप से कुछ कार्यवाही करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, मैं सोच रहा था हमारे वित्त मंत्री महोदय जो पुरानी सरकार में अच्छे काम हुये हैं, उनके बारे में भी कुछ कहेंगे लेकिन उनके लिये एक भी शब्द उन्होंने नहीं कहा। हमने जो उपभोक्ताओं के लिये रियायतें दीं, उसके लिये कुछ प्रशंसा करते तो कुछ बात होती। आपने भी उन बातों को अच्छा माना है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, इस ओर भी आपका ध्यान रहना चाहिए। मुख्य मंत्रीजी इस बात को कहते रहे हैं कि पक्ष और विपक्ष में, जहां तक विकास का सवाल है, हम कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। लेकिन सही बात यह है कि अभी जितने स्कूल खोले हैं और जितने स्कूल क्रमोन्नत किये हैं तथा कालेज खोले हैं उनमें भयंकर रूप से डिस्क्रिमिनेशन रहा है। हम स्पष्ट चार्ज लगाते हैं कि आपकी कथनी और करनी में कितना फर्क है। आपने स्पष्ट कहा है कि हम विकास के कार्यों में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे लेकिन कई ऐसे स्थानों पर आपने स्कूल खोले हैं जहां कि आवश्यकता नहीं थी। पहले से ही मिडिल स्कूल था लेकिन आपने उस स्थान पर फिर स्कूल खोल दिया...

श्री मदनसिंह दांता : आप ऐसी जगह बता सकते है जहां कांग्रेसी न हों और वहां स्कूल न खोला हो ?

श्री खेतसिंह : कांग्रेस पार्टी तो हिन्दुस्तान के हर गांव गांव में है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, मैं यह आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने स्वयं ने सिरोही में रेवदर-भटाना में मिडिल स्कूल बनाया है, उसको दो साल ही नहीं हुए हैं कि हाई स्कूल में क्रमोन्नत कर दिया, एक ही साल में। हमराना और बीजापुर में दो स्कूल हैं, एक लड़कियों का और एक लड़कों का। इस प्रकार के कई उदाहरण हैं। ऐसे उदाहरण इसलिये होंगे क्योंकि माननीय शिक्षा मंत्रीजी नये हैं और विधायक भी नये हैं। इलाके की जानकारी न होने के कारण भी कई बार ऐसा हो जाता है। मेरा आपसे निवेदन है, अध्यक्ष महोदय, चाहे किसी भी पार्टी से जीत कर कोई सदस्य आया हो, यह भेदभाव नहीं बरतना चाहिये। जिस क्राइटेरिया से आपको स्कूल खोलने चाहिये थे, जिस क्राइटेरिया से आपको क्रमोन्नत करने चाहिये थे, उन पर निश्चित रूप से विचार करना चाहिये था। यदि आपका यह विचार नहीं है तो आपको अपना यह वक्तव्य भी, जो बार बार कहते हैं कि विकास के कार्यों में हम भेदभाव नहीं करेंगे, बन्द कर देना चाहिये। अगर इस प्रकार का आप कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहते हैं तो हम निवेदन करना चाहेंगे और पुरजोर शब्दों में निवेदन करेंगे कि चाहे किसी स्कूल का मामला हो, चाहे किसी हास्पिटल का मामला हो, चाहे जानवरों के अस्पताल का मामला हो और चाहे विकास के अन्य कोई काम हों, आप निश्चित रूप से उन सारी बातों का ध्यान रखेंगे जो

(श्री खेतसिंह)

आप द्वारा बार बार कही जाती हैं। अगर गाव डिजर्व करता है तो चाहे वहां किसी भी दल से कोई माननीय सदस्य हों, उसको प्राथमिकता देनी चाहिये और वहां स्कूल खोलना चाहिये, हॉस्पिटल खोलना चाहिये, जानवरों का अस्पताल खोलना चाहियें, डिस्पेन्सरी खोलनी चाहिये, जिस किसी भी विकास कार्य की वहां आवश्यकता हो, उसको अवश्य करना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, मैं इस मौके पर यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि आपने ढाई हैक्टेयर तक की जमीन का लगान माफ किया है। ढाई हैक्टेयर जमीन जिन लोगों के पास पूर्वी इलाकों में है उनको तो निश्चित रूप से लाभ मिलेगा लेकिन पश्चिमी इलाके में 50 बीघा से कम जमीन वाले बहुत कम लोग मिलते हैं वहां भी यदि आप ढाई हैक्टेयर ही लेंगे तो उनको कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप कम से कम कृपापूर्वक इसको 75 बीघा तक करें। बाड़मेर, जैसलमेर और शेरगढ़ जैसे इलाकों के लिये आपको 75 बीघा जमीन तक का लगान माफ कर देना चाहिये तभी उन इलाकों के लोगों को कुछ लाभ मिलेगा नहीं तो वहां मीलों लम्बी जमीनें पड़ी हुई हैं जो किसी काम में नहीं आ रही है। सीलिंग कानून में आपने 435 बीघा जमीन एक परिवार के लिये रखी है और वह इसलिये रखी है कि वहां की जमीन उपजाऊ नहीं है-बंजर है। इसलिये मेरा निवेदन है कि सारे राजस्थान के लिये ढाई हैक्टेयर का जो प्रावधान किया है वह पश्चिमी जिलों के लिए उपयोगी नहीं हो सकता है। आम तौर पर, अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा और आप भी इस बात को कहते थे कि कांग्रेस की 30 साल की हुकूमत वर्षा पर निर्भर करती है। भगवान इन्द्र की मेहरबानी हो जाती है तो हमारे विकास कार्य चलते हैं और हम आगे भी बढ़ते हैं। जब कभी अतिवृष्टि हो गई, अनावृष्टि हो गई तो हमारे सारे विकास के कार्य रुक जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, आज भी परिस्थितियां इस प्रकार की हैं इसलिये हम यह नहीं कह सकते हैं कि हमारी अर्थ व्यवस्था सुदृढ़ है। अर्थ व्यवस्था उस प्रान्त की सुदृढ़ कही जाती है जो अपने साधनों द्वारा आर्थिक मूल्यों को बढ़ाते हैं और ऐसे ही देश की आर्थिक व्यवस्था अच्छी कहलाती है। जो भगवान के भरोसे रहता है, उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं कही जा सकती है। इस कारण ही हम अपने आपको उतना सुदृढ़ नहीं बना पाये हैं कि हमारी आर्थिक व्यवस्था मजबूत हो। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं आज देश में एक हवा है और कई जगह चर्चा होती है कि जो बड़े बड़े राज्य हैं उन राज्यों को क्यों न दो हिस्सों में बांट दिया जाय। ऐसी चर्चायें उत्तर प्रदेश में भी चलीं, एम. पी. में भी चलती हैं और अखबारों में भी हमने पढ़ा है कि राजस्थान के कुछ जिलों को उत्तर प्रदेश में मिलाने की बात सोची जा रही है। हम निवेदन करना चाहेंगे कि राजस्थान को कभी भी खण्डित नहीं किया जाना चाहिये। अगर भारत सरकार और राजस्थान सरकार यह सोचती है कि राजस्थान को दो हिस्सों में बांट दें तो यह हमारे समझ में आने वाली बात नहीं है। कहीं ऐसा न हो कि राजस्थान के कुछ जिले एम. पी. को सौंप दें, कुछ जिले उत्तर प्रदेश को सौंप दे और कुछ जिले दिल्ली में मिला दिये जायं और सारे राज-

(श्री खेतसिंह)

स्थान को काटकर एक छोटा सा राजस्थान रखें। वह राजस्थान के हित में सही सिद्ध होने वाला नहीं है। इसलिये, माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सवाल को गंभीरता से पक्ष और विपक्ष, दोनों को साथ लेकर सोचें। ऐसा न हो कि बिना पूछे यह गड़बड़ी हो जाय और राजस्थान के कुछ हिस्से यू. पी. में और दूसरे प्रान्तों में मिला दिये जायं जिससे राजस्थान की अखण्डता को नुकसान हो जाय।

मैं इस मौके पर आपसे यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि आपने जो अपने भाषण में कुछ रियायतें दी हैं, उनकी निश्चित तौर से मैं प्रसंशा करता हूं। आपने वाणिज्यिक फसलों पर जो उप कर था वह हटा दिया है। इससे निश्चित रूप से काश्तकार को सुविधा मिलेगी। इससे काश्तकार को नुकसान ज्यादा था। हमने पिछली बार भी इसके लिये जोर दिया था। आपने इस बात को सुना और माना और इस उप कर को हटा दिया, यह प्रशंसा की बात हुई है। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि आपने जो ट्रोली पर और हर एक प्रकार की गाड़ी पर कर बढ़ाया है उससे निश्चित रूप से डाइरेक्ट और इन-डाइरेक्ट काश्तकार पर टैक्स बढ़ता है। इसलिये निवेदन करना चाहता हूं ट्रोली पर जो कर की मात्रा बढ़ाई है वह जो पहले थी यदि उतनी ही रखेंगे तो काश्तकार को थोड़ी सी सुविधा मिलेगी। इसलिये मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जो पुरानी दर थी, उसी को रखने का प्रयत्न कीजिये।

पेंशन की दरों के अन्दर जो आपने बढ़ोतरी की है उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। एक आपसे निश्चित तौर से निवेदन करना चाहूंगा कि पेंशन की दरों में जो आपने बढोतरी की है, जो बढ़ी हुई दरें हैं उसमें ज्यादा पेंशन पाने वालों को ज्यादा पेंशन की राहत देने का इसमें प्रावधान किया गया है....

(व्यवधान)

120) रु. माहवार से कम पेंशन पाने वालों के लिए 5) रु. प्रति माह। 120) रु. माहवार से लेकर 500) रु. से कम पेंशन पाने वालों के लिए 10) रु. प्रति माह वृद्धि और 500) रु. प्रति माह और इससे अधिक पेंशन पाने वालों के लिए 15) रु. प्रतिमाह वृद्धि। मेरा यह सुझाव है, आप स्वयं प्रगतिशील हैं इसलिये प्रगतिशील होने के नाते आपको चाहिए कि पांच सौ और उससे ऊपर पेंशन पाने वालों को 5) रुपया और 120) रु. से 500) रु. तक पेंशन पाने वालों को 10) रुपया और 120) रुपये से कम पाने वालों को पांच की जगह पन्द्रह रुपया आप दें। अगर यह स्केल आप उल्टा कर दें तो इससे निश्चित तौर पर गरीबों को ज्यादा लाभ मिलेगा। आज आपने 120) रु. तक पेंशन पाने वालों को 120) रुपये से बढ़ा कर 125) रुपये कर दिया जब कि इसमें उनको 135) रुपये मिलेंगे और यह उनके लिए एक सब्सटेंशियल लाभ होगा। इसी प्रकार जिसको पांच सौ मिलते हैं उसको पन्द्रह और मिला कर 515) रुपया कर दिया। अगर उसको दस रुपये कम भी मिल जायं तो कौन सा इतना भारी नुकसान होने वाला है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस स्केल के निर्धारण पर आप पुनर्विचार करेंगे तो ज्यादा उपयोगी सिद्ध होगा।

(श्री खेतसिंह)

इसी प्रकार से मैं यह भी आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपने कई मुद्दों पर चर्चा करते हुए कहा कि गांधी जयन्ती के दिन से आप हरएक जिले के अन्दर एक एक ऐसा प्राईमरी हैल्थ सैंटर लेंगे जहां पर आप परिवार नियोजन और स्वास्थ्य के कई कार्यक्रम प्रारम्भ करना चाहते हैं। इसमें आपने कहा है कि एक एक व्यक्ति को आप स्वास्थ्य कार्यक्रम में लगायेंगे और उसको दो सौ रुपये माहवार के हिसाब से जब तक वह ट्रेनिंग लेगा तब तक आप देंगे। इस प्रकार की बात आपने इसमें कही है। वह व्यक्ति ग्राम सेवक होगा या कौन होगा, इसके बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है। इस बात की मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपने 2 अक्टूबर, गांधी जयन्ति के दिन से यह कार्यक्रम प्रारम्भ किया है। अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी ने गांधीजी का नाम तो जब से वे पावर में आए हैं, लेना प्रारम्भ किया है। उससे पहले तो गांधीजी की तस्वीर मैंने तो आपके कार्यालयों में कहीं देखी नहीं थी। यह तो बहुत खुशी की बात है कि अभी तो गांधी जी की तस्वीर आई है कुछ रोज के बाद में औरों की भी तस्वीरें आयेंगी और फिर पॉवर के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता है · · ·

(व्यवधान)

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : वित मंत्रीजी तो गांधीजी को मान्यता देते रहे हैं।

श्री खेतसिंह : वित मंत्री जी तो गांधीजी को मान्यता देते हैं लेकिन मैं तो मुख्य मंत्री जी की बात कह रहा था।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : भाषण वित्त मंत्रीजी का है।

श्री खेतसिंह : इस मौके पर मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि लाटरी के बारे में आपने निर्णय लिया है कि हम लाटरी को अबालिश करने जा रहे हैं। अच्छी बात है, लेकिन उसमें मेरा एक निवेदन करना है कि निश्चित तौर पर आज लाटरी के होने के कारण हजारों व्यक्ति काम धन्धे पर लगे हुए हैं। आज बाजार में एक एक, दो दो रुपये के टिकट वे बेचते फिरते हैं और उससे उनको कुछ आमदनी होती है। इसी प्रकार से काफी बड़ा महकमा भी इसका हो गया है। अब लाटरी को अबालिश करने से सैंकड़ों नहीं, हजारों व्यक्ति बेरोजगार हो जायेंगे। इस बारे में आपने कुछ सोचा है? मेरी निश्चित मान्यता है कि इस ओर सोचने की आपको आवश्यकता बढ़ जाएगी। दूसरा मैं यह भी निवेदन करूंगा कि लाटरी इस प्रदेश की तो आपने बन्द कर दी लेकिन अगर पास के राज्यों की लाटरी बन्द नहीं हुई और उनके टिकटों की बिक्री यहां पर जारी रही तो उनके टिकट यहां पर आयेंगे, बिकेंगे और लोग खरीदेंगे। तोफिर अपने यहां की जो आमदनी थी उसको तो आपने जाया किया और लाटरी बन्द भी नहीं हुई। इसलिए इस बारे में निश्चित तौर पर कुछ पुख्ता तौर पर निर्णय लेना पड़ेगा। यदि आप चाहते हैं कि यह जुआ है और हर हालत में बन्द किया जाना चाहिए तो और राज्यों की लाटरी के टिकट यहां पर नहीं आएं, उनके टिकट यहां पर नहीं बिकें इसकी व्यवस्था आपको करनी होगी। साथ ही जो लोग बेकार होंगे उनके बारे में भी कुछ न कुछ आप सोचेंगे तभी जाकर इससे जो आप सही रूप में लाभ चाहते हैं, वह लाभ हो सकेगा।

(श्री खेतसिंह)

साथ में, वित्त मंत्रीजी, आपने अपने अभिभाषण में कहा है कि हमारे इतने स्कूल बढ़ने से इतने अध्यापक बढ़ जायेंगे और इतने लेक्चरार बढ़ जायेंगे, इतने डाक्टर बढ़ जायेंगे, ये सारी बातें कही हैं। इनके बारे में भी हम जानना चाहेंगे कि जो डिस्पेंसरीज पहले से हैं, जिनका काम चालू हो चुका है, डाक्टर लग चुके हैं, आया आप उनको वापस अबालिश करेंगे, या उनकी जगह नई डिस्पेंसरीज खोलने का प्रावधान करेंगे या जहां पर काम शुरू हो चुका है, तीन चार महीने से वहां पर डिस्पेंसरी हैं उसको ज्यों का त्यों कायम रखेंगे ? इसके बारे में आपका दृष्टिकोण क्या है, इसके बारे में स्पष्टीकरण हो जाय तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसी प्रकार से जहां जानवरों के अस्पताल खुल चुके हैं, स्टाफ पहुंच चुका है उनके बारे में क्या आपकी राय है, ? इसका स्पष्टीकरण भी हम जानना चाहेंगे।

मैं इस मौके पर आपसे यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि पेयजल के बारे में जो आपने पांच करोड़ का प्रावधान बढ़ाया है उसके लिए तो मैं, मुख्य मंत्रीजी, निश्चित तौर से आपको अपने हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। लेकिन मैं आपसे यह निवेदन अवश्य करूंगा कि इसकी प्रायोरिटी तय करते वक्त आपके ध्यान में निश्चित तौर पर यह रहना चाहिए कि जो पहले से अधूरे कार्य पड़े हुए हैं और जिन पर लाखों रुपया खर्च हो चुका है, यदि उनको आपने अधूरा ही, ज्यों का त्यों रखा और नये कार्य हाथ में ले लिये तो जो इतना खर्चा हो चुका है वह व्यर्थ में जाएगा और नए कार्य भी पूरे नहीं हो पायेंगे। इसलिए इस बारे में खास तौर से आपकी घोषणा होनी चाहिए कि जो अधूरे कार्य हैं उनके बारे में आप क्या सोचते हैं। नये कार्यों के बारे में प्रश्नों के उत्तर में आपने और महबूब अलीजी ने अपने जवाब में हमेशा इस बात को कहा है कि हम प्रायोरिटी उन गांवों को देंगे जहां पर खारा पानी है, जहां पानी बहुत दूर से लाना पड़ता है, जहां का पानी पीने से नारू और बाला का रोग हो जाता है, आप उन इलाकों को प्रायोरिटी देना चाहते हैं। मैं निश्चित तौर से यह समझता हूं कि आपके पास सारे प्लान बने हुये हैं, प्रायोरिटी में दो हजार से ऊपर के गांवों की आबादी के सारे आयोजन आपके पास मौजूद हैं। मैं यह चाहूंगा कि इन प्रायोरिटीज को तय करने के लिये जिस तरह से पहले सलाहकार समितियां बनी हुई थीं हर एक मिनिस्ट्री के साथ में और उन सलाहकार समितियों में इनका डिस्कशन हुआ करता था, मैं यह चाहूंगा कि आप भी उसी प्रकार हरएक मंत्रालय के साथ में एक सलाहकार समिति रखें तो हम सब आपके साथ में बैठ कर विचार विमर्श कर सकेंगे, अपने अमूल्य सुझाव दे सकेंगे। उसके बाद में यह आपका डिस्क्रिशन है कि कौन सी योजना लें, न लें। अगर आप हमारे विचारों को सुनेंगे तो कई ऐसे मुद्दे होंगे जिन पर आपको हम कन्विन्स कर सकें। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हर एक मंत्रालय के साथ में सलाहकार समिति का प्रावधान करें जिससे सलाहकार समितियों के माध्यम से आपको सलाह दे सकें और यह सारा कार्य सुचारु रूप से, सुन्दर ढंग से और निष्पक्ष भाव से हो सके और हम भी आपके साथ में भागीदार हो सकें।

(श्री खेतसिंह)

अन्त में मैं संक्षेप में यह निवेदन करूंगा कि इन दिनों के अन्दर कुछ इलाकों के अन्दर अतिवृष्टि से बहुत नुकसान हुआ है और फसलें बिलकुल बरबाद हो गई हैं। उन लोगों को निश्चित तौर पर आपको अच्छी राहत देनी चाहिए। पश्चिमी राजस्थान के अन्दर भी फसलों को बहुत भारी नुकसान हुआ है कातरे की वजह से और एक कीड़ा होता है वेबल नामक, उसकी वजह से काफी नुकसान हुआ है। इसके अलावा जैसलमेर और हमारे इलाके के अन्दर बरसात न होने की वजह से काफी नुकसान हुआ है। मुख्य मंत्रीजी, मैं निश्चित तौर से निवेदन करूंगा आपसे कि आप जिलाधीशों से रिपोर्ट मंगवा लें, ज्यों ही बाजरे के सिट्टे आने वाले थे, उस वक्त बारिश न होने के कारण फसल सूख रही है, दाना नहीं पड़ा है और हालत बहुत गम्भीर होती जा रही है। इसलिये मेरा निवेदन है कि कुल मिला कर खरीफ की फसल की दृष्टि से राजस्थान इस बार बहुत ही पिछड़ा हुआ रहा है। अपने यहां कुछ भी लाभ नहीं हुआ है। इसलिए जिन इलाकों के अन्दर अकाल की घोषणा करनी है उनके बारे में आप अभी से जानकारी प्राप्त कर लें और जिन इलाकों में अतिवृष्टि से नुकसान हुआ है उनके बारे में भी पहले से जानकारी कर लें। मैं यह समझता हूं कि इन इलाकों को राहत देने के आपने प्रयास प्रारम्भ कर दिये होंगे।

इसी प्रकार से जो दूसरी सबसे ज्यादा मुश्किल बात है वह यह है कि इस बार राजस्थान के अन्दर मलेरिया इतना फैला है कि हद है। हर घर में एक एक, दो दो व्यक्ति मलेरिया से बीमार पड़े मिल जायेंगे। मलेरिया के मच्छर इतने ज्यादा फैले हैं कि जो डी. डी. टी. का मामूली छिड़काव किया है, या तो उसका छिड़काव हुआ ही नहीं है और यदि कहीं पर हुआ भी है तो उसका असर बिल्कुल नहीं है। आपने, वित्त मन्त्रीजी, स्वयं भी कहा है कि जहां मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम हाथ में ले रहे हैं उनमें जोधपुर भी एक है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जोधपुर के काफी इलाके के अन्दर पिछले साल जहां पर भी डी.डी.टी. का छिड़काव किया गया, वहां पर मैंने देखा है कि मच्छर मरते ही नहीं हैं और इसका कोई असर नहीं होता है। या तो डी.डी.टी. पाउडर खराब है जिससे मच्छरों पर असर नहीं होता...

श्री मदनसिंह दांता : यह बात सही है कि उनका असर नहीं होता है। इससे बीमारी खत्म नहीं होती है, यह भी सही है ।

श्री खेतसिंह : इसका जवाब तो मुख्य मन्त्रीजी दे देंगे।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि या तो डी.डी.टी. खराब है या क्या वजह है, इसके बारे में आप को गम्भीरता से निर्णय लेना होगा तभी जाकर इस समस्या का हल निकाल सकेंगे।

मुख्य मन्त्रीजी, न मालूम किन कारणों से इस वर्ष सांप काटने की इतनी घटनाएं हुई हैं जिसकी कोई हद नहीं है। हर गांव के अन्दर किसी न किसी आदमी को सांप ने काट लिया और उसकी मृत्यु हो गई। सांप काटने की दुर्घटना होने के अतिरिक्त गांवों में मलेरिया बहुत फैला हुआ है। बच्चों के फोड़े फुंसी भी बहुत हो रहे हैं। ऐसी कई

(श्री खेतसिंह)

बीमारियां फैली हैं। किसी भी स्कूल में आप चले जाइये सैंकड़ों की तादाद में खुजली फोड़े से बीमार लड़के आपको देखने को मिल जायेंगे। इलाज इसका कोई निकला नहीं है। डाक्टर से पूछो तो वह मामूली दवाई लिख देता है। इसका इलाज नहीं हो पा रहा है और आदमियों का तो नुकसान हो ही रहा है। इसके बारे में आप कोई न कोई व्यवस्था करें।

जानवरों में भी इसी प्रकार से बीमारी फैल रही है। एक ऊंट तीन चार दिन में खत्म हो जाता है। भेड़ों और बकरियों में भी बेहद बीमारी फैली है। गायें भी बीमार हैं। इन बीमारियों के कारण आज हमारा किसान मायूस हो गया है। समय पर उनका इलाज नहीं हो पाता है और उसको हजारों रुपयों का नुकसान होता जा रहा है। इसलिए मैं वित्त मन्त्रीजी और मुख्य मन्त्रीजी से खास तौर से निवेदन करना चाहूंगा कि इन सारी समस्याओं के ऊपर आपको विचार करना चाहिये। यदि हम किसी प्रकार का प्रयास करें और आप तक बात पहुंचावें तो उसका माध्यम है अखबार। आप कहते हैं अखबारों पर आम तौर पर सेन्सरशिप नहीं है लेकिन आप भी जानते हैं कि अधिकतर इन अखबारों में आपके भाषण छपे होते हैं। हमारी रिपोर्ट कोई अखबार नहीं छापता है। रेडियो पर भी आपने पूरा आधिपत्य जमा रखा है जो आप चाहते हैं, वे ही खबरें आती हैं। थोड़ी सी कृपा करके उनसे कहिये ताकि ऐसी न्यूज आप तक पहुँच सके और आप समय पर कार्यवाही कर सकें, यह मेरा नम्र निवेदन है।

अन्त में, अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि कुल मिलाकर जो बजट आपने पेश किया है, वह हमारी उम्मीद से कहीं अच्छा है। हम तो यह सोच रहे थे कि ऐसा बजट आप पेश नहीं कर सकेंगे। वित्त मन्त्रीजी ने जो भावना व्यक्त की है और जो बातें यहां पर कहीं हैं, हम सोचते हैं कि आप उन्हीं भावनाओं के आधार पर चल कर राजस्थान के सभी इलाकों को समदृष्टि से विकास की ओर बढ़ाएंगे। इसके अन्दर विपक्ष का सहयोग लेना चाहेंगे तो हम निश्चित रूप से सहयोग देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री मनोहरसिंह मेहता।

श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़) : अध्यक्ष महोदय, कल माननीय वित्त मन्त्रीजी ने जो बजट भाषण दिया था उसका समर्थन करने के लिए और उनको धन्यवाद देने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं।

24 जून को माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने शपथ ग्रहण की थी....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : 21 जून को..

श्री मनोहरसिंह मेहता : हां 21 जून।

तो ढाई महीने हुए और ढाई महीने में ही हम लोग यह कहने लगे कि यह काम नहीं हुआ, यह काम नहीं हुआ। हमने तीस वर्ष तक कांग्रेस शासन देखा है। कुछ तो हमें भी मौका दीजिये ताकि हमारा काम भी देखा जा सके।

इस बजट में, अध्यक्ष महोदय, वित्त मन्त्रीजी ने जो भावनाएं व्यक्त की हैं उनको

(श्री मनोहर सिंह मेहता)

कोई भी तारीफ करेगा। जो काम हाथ में लिए जाने वाले हैं वे बहुत अच्छे हैं। मैं सबसे पहले बधाई देना चाहता हूं इस बात के लिए, यह देश सुरा, सुन्दरी और सट्टा इन तीन कारणों से बरबाद होता जा रहा था, उसमें से आपने सट्टा बन्द कर दिया, लाटरी बन्द हो गई, एक रुपये से 10 लाख की आमदनी आपने बन्द कर दी, श्रम से हट कर मुफ्त की कमाई में जो लोग लगना चाहते थे, वह आपने बन्द करके हिम्मत का काम किया है। मैं माननीय खेतसिंह जी के इस सुझाव का आदर करता हूं कि आपने अपने यहां पर तो लाटरी बन्द कर दी लेकिन राजस्थान के अन्दर किसी भी राज्य की लाटरी नहीं बेची जा सकेगी, उसका प्रचार नहीं होगा, इसकी आपने व्यवस्था नहीं की है। आशा है, आप इसकी व्यवस्था करेंगे कि दूसरे राज्यों की लाटरी का प्रचार हमारे यहां पर नहीं होना चाहिये। परन्तु मुझे दुःख है कि माननीय सदस्य ने यह कहा, इसके बंद होने से बहुत से बेकार हो जायेंगे। अरे, सुरा, सुन्दरी और सट्टा से जो बेकार हो जाएंगे तो आप समझिए उनका कल्याण होने वाला है। दूसरा कोई काम उनको बताया जाय। आप जिन छोटे बच्चों से लाटरी का काम करवा रहे हैं, वे बेकार हो जायेंगे, मुझे आपसे ऐसी आशा नहीं थी। इसको भी आप ठीक करेंगे, ऐसी आशा है।

फसलों के ऊपर जो उपकर लगा हुआ था उसको आपने हटा दिया है। इसके लिए भी मैं बधाई देना चाहता हूं। किसान इस टैक्स से दुःखी थे? पटवारी किसानों को उनके खेतों पर पहुंच कर परेशान करता था।

आपने दूसरी जो बात बतायी है, वह यह है कि इतने सारे स्कूल खोल दिये। 350 मिडिल स्कूलों को सैकेण्डरी स्कूल बना दिया, इससे मुझे कोई प्रसन्नता नहीं होगी जब तक कि आप शिक्षा में परिवर्तन न करें। नए कालेज खोलते जाएं उससे कोई लाभ नहीं होने वाला है। फिर भी आप भावना में इतने बह गए और कह गए कि इतने सारे कालेज अपग्रेड कर दिए, इतने नए स्कूल खोल दिए। पहले के स्कूलों की हालत तो आपने देखी होती। पंचायत समितियों में ऐसे कई स्कूल मैं जानता हूं जिनमें एक लड़का नहीं है और वहां पर स्कूल चल रहे हैं। जब से कांग्रेसी सरकार ने प्राइमरी स्कूल्स को पंचायतों के हाथों में सौंपा उनकी हालत को देख कर लगता है कि इन बच्चों को आपने भेड़ियों के सामने डाल दिया है। इन स्कूलों की हालत दयनीय है। इसलिए पहले जितने स्कूल खुले हुए थे, उनको आप देखते तो बड़ा अच्छा रहता।

जहां तक मद्यनिषेध का मामला है, इसमें कोई शक नहीं, जब मैंने भाषण सुना तो बड़ा दुःख हुआ। पहले भी पांच साल में यहां पर रह कर गया हूं। केवल भाषण से मुझे सन्तोष नहीं है। मुझे चोट तो बहुत लगी लेकिन मेरे सामने मेरे नेता भैरोंसिंह जी शेखावत और मास्टर आदित्येन्द्र थे जिनके प्रति मैं श्रद्धा रखता हूं, उनके मद्य-निषेध के बारे में वही विचार हैं जो मेरे मन में हैं। अच्छा होता मास्टर साहब केवल यह घोषणा कर देते कि 1 अप्रेल, 1978 से हम इन जिलों में या सम्पूर्ण राज्य में मद्यनिषेध करने वाले हैं। वे इतनी हिम्मत नहीं कर सके तो यह कह देते कि आधे जिलों

(श्री मनोहर सिंह मेहता)

में 1 अप्रेल, 78 से मद्यनिषेध लागू होगा और बकाया सभी जिलों में सन् 79 तक पूर्ण मद्यनिषेध कर देंगे। मैं समझता हूं कि उनकी भावना अच्छी है यह उनको कह देना चाहिए था परन्तु उन्होंने कहा निकट भविष्य में पूर्ण मद्यनिषेध करेंगे। अध्यक्ष महोदय, निकट भविष्य का अर्थ कुछ नहीं होता। कोई आदमी आज जन्म ले और उसको कहें कि निकट भविष्य में वह मरने वाला है तो यह निकट भविष्य 70-80 वर्ष का हो सकता है। तो यह निकट भविष्य की जो बात मास्टर साहब ने कही है अपने भाषण में मैं समझता हूं कि वे अपने जवाब में इस बात को साफ करेंगे। यह जो दो जिलों में मद्यनिषेध किया गया है, मैं ऐसा मानता हूं कि यह केवल गांधी के चरणों में उन्होंने पुष्प भेंट किए हैं। जो जिले उन्होंने घोषित किए उनमें भीलवाड़ा जिला नहीं है, चित्तौड़ नहीं है, उदयपुर नहीं है तो मुझे लगा कि यह हो क्या रहा है। मुझे विश्वास है कि वित्त मंत्रीजी या मुख्य मंत्रीजी जब उत्तर देंगे तो वे सदन को यह विश्वास दिलाएंगे कि दो वर्ष के अन्दर-अन्दर पूरे राजस्थान में पूर्ण मद्यनिषेध लागू कर दिया जाएगा? माननीय प्रधान मंत्रीजी ने पूर्ण मद्यनिषेध करने की अवधि चार साल बताई है। राजस्थान हर मामलों में हमेशा आगे रहा है। इसलिये इस मामले में भी आगे रहेगा। यह मेरा विश्वास है। मैं कल से ही दुःखी हूं और अभी भी मन में दर्द है। जो दूध का जला होता है वह छाछ भी फूंक-फूंक कर पीता है। कई साल से, कांग्रेस के शासन काल से सुनते आ रहे हैं कि मद्यनिषेध होगा। हमें पूर्ण मद्यनिषेध में विश्वास है, लेकिन पूर्ण मद्यनिषेध होगा तो आमदनी बढ़ेगी नहीं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि चाहे दो तहसीलों में या दो जिलों में ही बन्द करो लेकिन हमारे जो मन्दिर हैं, मस्जिद हैं, स्कूल हैं और सड़क हैं वहां से दुकानें हटवा दें। दुकान एक है लेकिन दस जगह चला रहे हैं। उनको आप हटवा दें। अगर आप चाहेंगे तो अधिकारियों के द्वारा भी निश्चित रूप से शराब की बिक्री में फर्क पड़ेगा। शराबबन्दी होगी तो कुछ अच्छे काम जरूर होंगे। जो एक्सीडेण्ट होते हैं, वह कम हो जायेंगे। जो एक्सीडेण्ट होते हैं, वह शराब के कारण होते हैं। आपने आय के घटने की बात कही है उसके सम्बन्ध में मैं निवेदन करूंगा कि कृपा करके शराब की आय को राजस्व की आय नहीं मानें।

शुद्ध कमाई रीत की, काम करावे शुद्ध।
जो न कमाई शुद्ध की, तो सूझे अवली बुद्ध।

कांग्रेस की सरकार को शराब और जुआ ही सूझा। शराब और जुए की कमाई को उसने कमाई समझा। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि अगर आपने शराब बन्दी नहीं की तो उनकी जो गति हुई है, वही आपकी भी होने वाली है।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : यह ले रहे हैं।

श्री प्रद्युम्नसिंह : इस सदन के जितने माननीय सदस्य पीते हैं उन्हें हलफ दिला दें।

एक माननीय सदस्य : पहले आप ही कह दें।

श्री मनोहरसिंह मेहता : अध्यक्ष महोदय, कौन पीता है और कौन नहीं पीता है। मेरा

(श्री मनोहरसिंह मेहता)
कहने का मतलब यह नहीं है कि जो पीता है वह पापी होगा और जो नहीं पीता है, वह धर्मात्मा होगा। यह तो एक रोग है। उस रोग को हटाने के लिए हमारी हमदर्दी होनी चाहिये। जब तक राज्य सरकार शराब बन्दी नहीं करेगी तब तक बन्द नहीं होगी। यही गांधीजी को कहना पड़ा था, जब तक राज्य सरकार शराबबन्दी नहीं करेगी इसमें सुधार होना असम्भव है। इसके लिए राज्य सरकार को प्रचार करना होगा और शराबबन्दी करनी होगी। शराबबन्दी होने के बाद फिर कोई पीता है तो वह जेल में डाला जाय या क्या किया जाय, वह दूसरी बात है। मगर आपके दिल में आय का मोह है इसी कारण आप यह कहते हैं कि हम बन्द करेंगे फिर भी लोग पीयेंगे। मेरा निवेदन है कि शराब, जुआ और वेश्यावृत्ति राज्य सरकार की ओर से बन्द होने चाहिये। राज्य सरकार इन तीनों चीजों को बन्द करे। जनता पार्टी ने जिस प्रकार की घोषणा की है, उस पर हमें गर्व है और हमें उस पर निष्ठा है।

दूसरा जो मैं कहना चाहता हूं वह लगान के बारे में है। मारवाड़ के इलाकों की जमीन में फर्क हो सकता है। आप जो लगान की छूट फर्मा रहे हैं मैं हमेशा से इस बात का विरोधी रहा हूं। मैं मुख्य मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि जो लगान की छूट दी है, वह वापस ले लें।

मेजर श्री फतहसिंह : मैं इसका विरोध करूंगा।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : मैं समर्थन करूंगा।

श्री मनोहरसिंह मेहता : इस बात से किसान बहुत अपमानित होता है। मैं यह कहना चाहूंगा कि जो लगान देता है उसके खेत में अधिक पैदा होता है और जो लगान देने से मुक्त हैं उनके खेत में कम पैदा होता है। जो किसान लगान देता है वह जानता है कि उसे लगान देना है। माफीदार यह जानता है कि उसे कुछ भी देना नहीं है। दूसरी बात ग्राम सभा के बारे में है। जब कभी ग्राम सभा होती है उसमें माफीदार किसान जब कुछ कहता है तो उसे सभी चुप कर देते हैं कि तुम लगान नहीं देते हो, तुम क्यों बोलते हो। मैं माननीय मेजर साहब के क्षेत्र की बात तो छोड़ता हूं, मुझे उसका ज्ञान नहीं है। लेकिन मेरे क्षेत्र में जिनके पास जमीन है, वह आकर मेरे पास कहते हैं कि अभी तक हमारे लगान की वसूली हो नहीं हुई है। इसलिये लगान की जो व्यवस्था है, मैं मेजर साहब के क्षेत्र को छोड़कर मेरे क्षेत्र की बात कहता हूं कि अगर आप इस छूट को खत्म कर देते हैं तो मेरे क्षेत्र से आपको एक भी विरोध पत्र नहीं मिलेगा।

मेरा निवेदन है कि दो अक्टूबर को शराबबन्दी कर दीजिये हमारे माण्डलगढ़ क्षेत्र में। मैंने जब भूतपूर्व मुख्य मंत्री से निवेदन किया तो उन्होंने दीगोद से डिस्टिलरी हटा दी। मैंने डिस्टिलरी आफिसर की हैसियत से बढ़िया से बढ़िया शराब पिलाई थी। मैं निवेदन करूं कि आज वहां पर उसी में डिस्पेन्सरी चल रही है। मैं निवेदन करूं कि माण्डलगढ़ को आपने इसमें क्यों नहीं लिया है? वहां पर देवस्थान है, हजारों की तादाद में मजदूर हैं और भी लोग हैं जो बीस बीस रुपया रोज कमा पाते हैं लेकिन शाम को घर आते हैं तो नशे में झूमते

(श्री मनोहर सिंह मेहता)

हुए घर जाते हैं। आपने गांधीजी के चरणों में दो पुष्प चढाये हैं तो एक दो पुष्प और चढ़ा दीजिये और, अगले साल में चार पांच जिले और ले लीजिये ताकि यह मालूम हो कि जनता सरकार कृतसंकल्प है। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मास्टर साहब निश्चित रूप से और हमारे नेता भैरोंसिंह जी निश्चित रूप से शराबबन्दी करके मानेंगे। मास्टर साहब का यह निश्चित विश्वास है, दो साल में शराबबन्द हो ही जायगी।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : भैरोंसिंह जी नहीं होने देंगे।

श्री मनोहर सिंह मेहता : शराबबन्दी नहीं होगी तो राजस्थान की इस सारी योजना का क्या होगा? इस अन्त्योदय योजना का क्या होगा? जिसका अन्त होना है, वही सबसे ज्यादा शराब पीता है। मैं निवेदन करूंगा कि इस योजना में पांच पांच आदमी ऐसे निकालिये जो शराबबन्दी का कार्य करें। उनको आप जमीन दीजिये और धन्धा दीजिये। इस देश का अगर कल्याण होना है तो गान्धीजी के रास्ते से होगा। गांवों के झगड़े गांवों में निपटाने होंगे। यह आपको हमको मिलकर करना होगा चाहे विपक्ष के माननीय सदस्य हों या सत्ता पक्ष के हों। जिनकी हालत खराब है, उनको सुधारना है। अगर यह नहीं हुआ और तबादलों के चक्कर में ही पडे रहे तो आप समझिये कि देश की तरक्की नहीं होगी। हमें लोगों को भी तैयार करना होगा।

हो सकता है कि कई माननीय सदस्य यह कहें कि सरकार जब शहरों में मकान बनाती है तो स्कूलों के लिए गांवों में मकान क्यों नहीं बनाती? यह सम्भव नहीं है किसी भी सरकार के लिए कि वह स्कूल या अस्पताल के लिए अब मकान बना सके। दूसरे, उस गांव में अस्पताल की और स्कूल की कितनी भूख है इसकी परीक्षा भी होनी चाहिये। जहां पर गांव वाले मकान बनाकर वे दें वहीं पर अस्पताल या दवाखाने और स्कूल खोले जाने चाहिये ताकि यह मालूम हो सके कि उनमें कितनी भूख है। साथ ही उनका जो पैसा कुरीतियों में लग रहा है, मृत्युभोज और शादी-विवाह में लग रहा है वह इस काम में आ सकेगा।

माननीय वित्त मंत्री जी ने छः महीने की अवधि के लिए जो बजट प्रस्तुत किया है उसके लिये मैं उनको बधाई देता हूं और निवेदन करता हूं कि इसमें आपने जो जो बातें लिखी हैं कृपा करके उनको कार्य रूप में परिणत करके दिखावें, नहीं तो--

"खाता में कांई धर्यो कोडी लगे न एक,
बोले ज्यूं चाले सदा ऊ है सांचो नेक।"

इसलिये आपने जो कहा है उसको आप कार्य-रूप में परिणत करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और एक बार और जो, बजट मास्टर साहब ने प्रस्तुत किया है, उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री रघुनाथ विश्नोई!

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मन्त्रीजी ने सदन में जनता पार्टी का जो बजट प्रस्तुत किया है, मैंने उसका अध्ययन किया है· · ·

श्री रतनलाल वर्मा (भिनाय) : जनता सरकार का, जनता पार्टी का नहीं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : हां जनता सरकार का कहिये या जनता पार्टी का कहिये कोई फर्क नहीं पड़ता।

माननीय अध्यक्ष जी, वित्त मंत्रीजी ने काफी कोशिश के बाद बजट को काफी अच्छा बनाने की कोशिश की है और गरीब लोगों को राहत देने की इसमें उन्होंने तहे-दिल से कोशिश की है। कुछ छूट की घोषणा भी की है और कुछ विभागों के अन्दर समय तय करके मितव्ययता करने की भी कोशिश की है। इस बजट के लिए तो मैं माननीय मन्त्रीजी को धन्यवाद देता हूं कि इन परिस्थितियों में बहुत ही ईमानदारी से जो बजट प्रस्तुत किया जा सकता था वह उन्होंने करने की कोशिश की है।

माननीय अध्यक्षजी, माननीय वित्त मंत्री जी ने और जैसा कि माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने पहले राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुए वाद विवाद के जवाब के रूप में कहा था कि विकास के मामले में यह सरकार कोई पक्षपात नहीं करेगी। अध्यक्षजी, हम देखते हैं कि पहले की सरकार ने बहुत सी जगहों पर विकास के कार्य खोले, अस्पताल खोले, स्कूल खोले लेकिन उस तरफ इस सरकार का ध्यान नहीं गया है। इससे यह जाहिर होता है कि यह बजट जो है, इसमें जो कार्य नये खोलने की बात कही गई है वह जनता पार्टी के माननीय सदस्यों की सलाह से ही खोलने की बात कही है। अध्यक्षजी, पिछली सरकार ने कोई गलतियां की हों, एक ही जगह ज्यादा साधन उपलब्ध हों और उनमें कोई सुधार करना हो तब तो बात समझ में आती है परन्तु आप स्कूलों के मामले को लीजिये, मैं जालौर जिले में रानीवाड़ा पंचायत समिति हैडक्वार्टर के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। वहां पर एक उच्च प्राथमिक माध्यमिक पाठशाला चलती थी। शिक्षा मंत्रीजी ने उसको माध्यमिक पाठशाला में क्रमोन्नत करने का आश्वासन भी दिया था लेकिन उसका नम्बर इस बजट में नहीं आ सका। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि न्याय की दृष्टि से पंचायत समिति हैडक्वार्टर होते हुए और लड़कों की संख्या को देखते हुए जरूर उनका नम्बर आना चाहिए। माननीय शिक्षा मंत्रीजी अभी यहां पर मौजूद नहीं हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि ऐसे स्थान पर लड़कों की संख्या को देखते हुए और जालौर जिले के पिछड़ेपन को देखते हुए अगर इस वक्त माध्यमिक पाठशाला नहीं खोली गई तो वहां के लोगों के साथ बड़ा अन्याय होगा। कई जगहों पर तो दो-दो मील पर स्कूल हैं, अभी जैसा कि मनोहरसिंहजी ने कहा जहां पर भवन उपलब्ध नहीं हैं वहां पर स्कूल नहीं खोले जाने चाहिए। अगर राज्य सरकार की यह नीति है कि वह ग्रामीणों को पढ़ाना चाहती है तो भवन उपलब्ध कराना सम्भव नहीं होगा क्योंकि वहां पर पहले से ही गरीबी है। ऐसी हालत में चाहे कुछ कम ही भवन क्यों न हों, परन्तु राज्य सरकार को उनको पढ़ाने की सुविधा देनी चाहिए। मैं निवेदन करूंगा कि पिछली सरकार ने पंचायत समिति रानीवाड़ा में जो कोताही की थी वह इस सरकार ने भी की है। भीनमाल में गर्ल्स हाई स्कूल को क्रमोन्नत किया जाना था लेकिन वह भी नहीं किया गया। बीस-बीस मील के एरिया में वहां पर कोई स्कूल उपलब्ध नहीं हैं। ऐसी हालत में भी ग्रामीण

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

इलाकों के गरीब लड़कों के ऊपर आपने पहले ध्यान नहीं दिया है मैं यह कहना चाहूंगा कि अगर कहीं पर गलती से ज्यादा स्कूल हैं तो वहां पर कम करके ऐसे क्षेत्र में खोलें तो न्यायसंगत होगा और सरकार पर जो हम पक्षपात का आरोप लगाने की बात कहते हैं उसको आप मिटा सकेंगे।

माननीय अध्यक्षजी, इसके अलावा मेडिकल डिस्पेन्सरीज की बात है। सांचौर क्षेत्र में मलेरिया का भण्डार है, वहां पर सारे राज्य से अधिक लोग मलेरिया से पीड़ित हैं, वहां पर अस्पताल खोलने चाहिए। पहले यह कहा गया था कि भवन उपलब्ध होंगे तो हम कर देंगे। वहां के ग्रामीणों ने अपनी कैपेसिटी के मुताबिक जो भी हो सकता था वह व्यवस्था कर दी। लेकिन उसके बावजूद कोई ध्यान नहीं दिया गया है। वहां पर बीस बीस मील पर कोई मेडिकल की व्यवस्था नहीं है। ऐसी हालत में जो पहले के अस्पताल खुले हुए है उन्हीं को कायम रखा जाय। साथ ही गांव वालों ने अपनी कैपेसिटी के अनुसार भवन बनाया है तो उस हालत में आप वहां पर स्टाफ भेज देंगे तो मलेरिया और अन्य बीमारियों की रोकथाम के लिये कुछ उपाय हो सकेगा।

माननीय अध्यक्ष जी, इसके अलावा माननीय वित्त मन्त्रीजी ने शराबबन्दी के बारे में जो घोषणा की है और दो जिलों और दो तहसीलों को शराबबन्दी में लिया है उसके फलस्वरूप साठ लाख रुपये के घाटे की बात बताई है। माननीय अध्यक्ष जी, आप भली भांति जानते हैं कि राज्य सरकार ने अब तक जितने जिलों में शराबबन्दी की है उसमें आबकारी की आय बढ़ी है या घटी है। मैं माननीय वित्त मन्त्रीजी से यह कहना चाहूंगा कि 60 लाख का जो घाटा बताया गया है आप उसकी पूर्ति दूसरी दुकानों से कर सकेंगे और आबकी शराब की आमदनी बढ़ेगी। जोधपुर में अगर ठेका होता है, तो बाड़मेर, जालौर और सिरोही जिलों के ठेके भी साथ होते हैं। जितने का पहले ठेका था वह यदि एक करोड़ का था तो वह 1½ करोड़ का होगा। जैसे टोंक का सवाल है, वही ठेका जयपुर वाला आक्शन में ले लेगा या कोटा में ले लेगा। तो मंत्री महोदय को मालूम होना चाहिए कि जो आपने घाटे की बात बताई है वह नहीं होगी। आपके अधिकारी अभी से केलकुलेशन करके बैठे हैं कि इतना रुपया हम कहां से प्राप्त करेंगे। वह ठेकेदारों से बात करके पूर्ति कर लेंगे। आप पिछले वर्षों के आंकड़े देखें कि जहां जहां प्रोहिबिशन किया है उसके बाद शराब की आमदनी बढ़ी है या घटी है? इसलिए आपने जो दो तहसीलों एवं जिलों के लिए 60 लाख की आमदनी घटाने की बात कही है, वह ठेकेदार के लिए क्या होती है? ठेकेदार अधिकारी से मिलकर प्रोहिबिटेड जिलों में शराब बेचते हैं यहां तक कि गुजरात में भी ट्रक के ट्रक भरकर शराब ले जाते हैं। मेहता साहब ने यह बात नहीं बताई है। अगर आप शराब बन्दी करते हैं और फिर भी कुछ ठेके रखते हैं तो सारी शराब वहां जाएगी और ठेकेदार आमदनी करेंगे। प्रोहिबिटेड जिलों में उनके द्वारा शराब बेची जाएगी। उनका जाल बिछा हुआ है। जब तक यह प्रोहिबिशन पालिसी पूर्ण रूप से इम्पलीमेंट नहीं करेंगे तब तक लोगों के साथ धोखा होगा। जब तक सक्रिय

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

रूप से इम्प्लीमेंटेशन नहीं करेंगे तब तक राजकीय कोष की आमदनी बंद करा सकते हैं लेकिन वास्तव में जो शराबबंदी करना चाहते हैं वह नहीं कर पायेंगे।

जालोर में कई जगह प्राइवेट तौर पर ओपनली शराब बनती है, लोग सैकड़ों की संख्या में जहर से मरते हैं, 4-4 दिन बेहोश रहते हैं। हर रोज नाजायज शराब बनने के कई उदाहरण हमारे सामने आते हैं। इसके लिए आपका विभाग क्या कर रहा है ? दूसरी बात, आपने प्रचार करने के लिए एक समिति बनाई है टेम्परेंस सोसाइटी जिसका हैडक्वार्टर जोधपुर में रखा है। इसके बहुत ही लिमिटेड साधन बना रखे हैं। आपका जो अमला है वह अपनी आमदनी करने में लगा हुआ है। ऐसी हालत में हम मंत्री महोदय में पूरा विश्वास रख सकते हैं, वह कमिटेड भी हैं लेकिन आपकी फोर्स जो इतनी बड़ी है, आबकारी व पुलिस विभाग के कर्मचारी जब तक सहयोग नहीं करेंगे तब तक आप बराबर असफल होते जायेंगे। आपकी नीति की सफलता में मुझे शक है। इसलिए राजस्थान में चारों तरफ जो इल्लिसिट शराब बिक रही है वह बंद हो। यह तब होगा जब भ्रष्टाचार बंद हो। भ्रष्टाचार की बीमारी बंद नहीं हो सकती, यह सब तरफ बनी हुई है। यह तपेदिक की बीमारी की तरह है, इसे दूर करना असंभव है। ऐसी हालत में अगर आप पूर्ण शराबबंदी कर देते और ठेका सिस्टम बंद कर देते तो हम समझते कि आमदनी बंद हुई है। आपकी इन्कम बंद नहीं हुई है। अगर आपकी आमदनी एक जगह शराबबंदी करने से एक करोड़ के बजाय सवा करोड़ हो जाती है तो घाटा कहां हुआ ?

गोवध के बारे में प्रधान मंत्री ने कहा है कि इसके लिए जनमत तैयार करें। जनमत की जब बात आती है तो कानून की सख्ती से पालना नहीं हो सकती। मुख्य मंत्री जी यहां नहीं हैं। जैसे उन्होंने पहले कहा कि पापूलेशन की बीमारी बढ़ रही है डूंगरपुर में 5 गुना हो गई 7 वर्षों में, ऐसी हालत में उन्होंने कहा था कि इसका इलाज करना चाहिए। इंदिराजी ने यह काम शुरू किया लेकिन लोगों ने जिस तरह इम्प्लीमेंट किया उसका नतीजा यह निकला कि सत्ता हाथ से चली गई। इस काम में दूसरी पार्टी ने कोआपरेट नहीं किया। परिवार नियोजन के सारे काम ठप्प हो गए, अब कोई कोशिश नहीं करता। सरकारी अधिकारियों को जनता कोआपरेशन नहीं देती। वित्त मंत्री ने अपने भाषण में कोई इंडिकेशन परिवार नियोजन के बारे में नहीं दिया। बड़ी दुर्भाग्य पूर्ण स्थिति है। यह एक नेशनल प्रोग्राम है, कोई भी पार्टी हो, यदि वह इस देश का कल्याण चाहती है तो परिवार नियोजन करना पड़ेगा। ब्रिटिश सरकार भी कहती है कि पापूलेशन कन्ट्रोल करें वरना हम एड नहीं देंगे। अमरीका एड नहीं देगा। आपको प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। साधन जुटाने पड़ेंगे, जब जाकर मैचिंग ग्रांट की बात होती है। आपने प्रोग्राम ठप्प कर दिया, लोग कीड़े–मकोड़ों की तरह पैदा हो रहे हैं। टैक्स नहीं लगा सकते, इन्कम नहीं हो तो आपका मामला कैसे चलेगा ? 168 से 196 करोड़ तक बजट बढ़ा कर आपने थोड़ी सी कोशिश की है, वह बढ़िया है लेकिन वह भी सीमित है जब ढाई अरब

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

में पीने के पानी का बंदोबस्त नहीं हो सकता तो 5 करोड़ में कैसे होगा ? आपके सामने भी विकट परिस्थिति है। पश्चिमी राजस्थान में कांग्रेस पार्टी ज्यादा जीती है, पीने के पानी की विकट समस्या पश्चिमी राजस्थान में है। आप उनके साथ न्याय नहीं कर पायेंगे। अगर करेंगे तो जयपुर वाले नाराज हो जायेंगे। वे कहते हैं कि पिछले 30 वर्ष में कुछ नहीं हुआ है। हमारे यहां 20–20 मील की दूरी पर भी पानी का कोई इंत-जाम नहीं है, पानी खारा है, पानी ऐसा है कि जिससे खुजली व नारू की बीमारी होती है। आपने जो निगम बनाने की कार्यवाही की है, स्वायत्त संस्थाओं से लोन लेकर, इसके लिए मेरा भी प्रस्ताव था, लेकिन उस समय राज्य सरकार ने मंजूर नहीं किया, उसने निगम नहीं बनाया, आपने बनाया। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। इंडिपेंडेन्ट बाडी होनी चाहिए। हर तरफ से–एल. आई. सी., बैंक्स और साहूकारों से लोन लेकर, कम ब्याज पर पैसे लेकर पानी की बीमारी को दूर किया जाय तो उत्तम होगा। पहले की केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार की नीति भी थी और अब भी सरकार चाहती है कि पीने का पानी अच्छा मिल जाय तो बहुत सी बीमारियां रुकें। यह विकट समस्या है। मेरी राज्य सरकार से सहानुभूति है क्योंकि काम विकट है लेकिन आप पश्चिमी जिलों के साथ अन्याय न करें। जो भी स्कीम अपूर्ण हैं और जो नई स्कीमें आ रही हैं उनमें पैसा ज्यादा लगायें। 10–10 गांवों में पानी का कोई सोर्स नहीं, वहां पाइप के जरिए पानी पहुंचाया जाता है इससे आपके पैसे तो अधिक खर्च होते हैं। अगर आप 20 लाख रुपये लगाकर सिर्फ पचास गांवों को ही पानी दे सकते हैं तो बहुत से गांव बाकी रह जायेंगे। अगर आप इसमें लालच करेंगे और कम पैसे खर्च करेंगे और गांवों में पानी की समस्या यों की यों ही रही तो हम आपके ऊपर चार्ज लगायेंगे कि पानी की समस्या को दूर करने में राज्य सरकार ने पक्षपात किया। हम एक मील से पानी लाने में कोई दिक्कत महसूस नहीं करते लेकिन जहां पर लोग पांच पांच मील से पानी लाते हैं वहां तो लोगों को दिक्कत होती ही है। मैंने इस सदन में पिछले अधिवेशन में कहा था और यह सुझाव दिया था कि पानी की समस्या को गांवों में हल करने के लिये राज्य सरकार को चाहिये कि एक निगम बनाये पर वह नहीं बनाया गया। इस वजह से आज भी पानी की समस्या राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्र में और विशेष तौर से राजस्थान के पश्चिमी ग्रामीण इलाके में बहुत ही विकट है। इसलिये मेरा निवेदन है कि राजस्थान के पश्चिमी इलाके में जो पेयजल की दिक्कत है उसे तुरन्त दूर कराने के लिये राज्य सरकार प्रयास करे। मेरा यह भी निवेदन है कि जैसे जिन स्कूलों के मामलों में पिछली सरकार सैंक्शन कर गयी थी आपने आकर उन स्कूलों के खुलने के आदेशों को कैन्सल कर दिया वैसे ही जो पिछली पेयजल की स्कीम्स सैंक्शन्ड है उन्हें आप कैन्सल मत कर देना। मेरा इसके लिये आपको सुझाव है कि आप ज्यादा से ज्यादा राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्र में पानी पहुंचाने की व्यवस्था करावें।

इसके अलावा जो मैं निवेदन करना चाहता हूं वह यह है कि राज्य सरकार ने

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

यह घोषणा की है कि हर गांव में से पांच गरीब परिवारों को उत्थान करने के लिये चुना जायेगा और उनका विकास किया जायेगा। मैं राज्य सरकार से यह पूछना चाहूंगा कि कौन से वह पांच परिवार होंगे जिन्हें राज्य सरकार आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ मानेगी ? आज राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्र में बहुत ही बड़ी संख्या में गरीबी फैली हुई है। राज्य सरकार किस मापदण्ड से पांच गरीब परिवार का चयन करेगी ? आप किस एजेन्सी के मार्फत यह काम करा रहे हैं ? आपका क्या क्राइटेरिया है इसमें ? इसमें भी अगर आपने ध्यान नहीं रखा तो बहुत भारी मात्रा में पक्षपात होने की गुन्जायश है। आपने जो यह घोषणा की है उसके लिये तो हमारी सहानुभूति है और हम आपको पूर्णतया इसमें सहयोग देंगे लेकिन उन पांच परिवारों का सलेक्शन आप कैसे करेंगे, इसके बारे में आपने बजट स्पीच में कुछ भी नहीं कहा। आपका प्रोग्राम चाहे कितना ही अच्छा क्यों न हो लेकिन अगर आपने इस प्रोग्राम को अच्छी तरह से इम्प्लीमेन्ट नहीं किया और थोड़ी सी आपने इसमें कोताही बरती तो इसका काफी मिस यूज हो सकता है। इसमें आप किस प्रकार की एजेन्सी रखेंगे, वह किस प्रकार उन लोगों का चयन करेगी इसका बड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है। नहीं तो फिर आपके ऊपर पक्षपात करने का चार्ज लगाया जायेगा।

इसके अलावा बजट भाषण में, माननीय अध्यक्ष जी, वित्त मंत्री जी ने वनों के विकास के बारे में और डेयरी के विकास के बारे में भी कहा है। इनके लिये जो योजनाएं हैं उनकी क्रियान्विति के बारे में काम करने की जल्दी ही आवश्यकता है।

इसके अलावा कृषि के उत्पादन को बढ़ाने के लिए भी जो कहा गया है उसके लिए आपको राजस्थान कैनाल को जल्दी पूरा करने की आवश्यकता है। इसके अलावा नर्बदा स्कीम अभी तक पूरी मंजूर नहीं हुई है क्योंकि वह ट्रिब्यूनल में अटकी हुई है। जब तक आप इन योजनाओं को पूरा मंजूर नहीं करेंगे और राजस्थान के पश्चिमी इलाके में जो पानी की कमी है वह पूरी नहीं होगी तब तक कृषि के अन्दर राजस्थान का यह भाग पिछड़ा रहेगा। इसलिए, माननीय अध्यक्ष जी, मेरा यह निवेदन है कि आप राजस्थान कैनाल योजना को, नर्बदा स्कीम को जल्दी से जल्दी पूरी करावें तो हमारा कृषि उत्पादन काफी मात्रा में बढ़ जायेगा।

इसी के साथ साथ मैं, माननीय अध्यक्ष जी, बजट में मलेरिया के उन्मूलन के बारे में कहा गया है उसके लिये थोड़ा निवेदन करना चाहूंगा। माननीय अध्यक्षजी, यह तो सर्वविदित हो गया है कि मलेरिया के कीटाणु अब डी. डी. टी. के छिड़कने से समाप्त नहीं होते हैं। मलेरिया के कीटाणुओं पर अब डी. डी. टी. का कोई असर नहीं होता है। हमारी केन्द्रीय सरकार की जो रिपोर्ट है उसमें भी इसको माना है। तो मेरा निवेदन है कि राज्य सरकार डी.डी.टी. की दवा खरीदने और छिड़कने के लिए जो खर्चा अब करती है वह बेकार जायेगा। इस लिए आप कोई दूसरी दवा अगर कोई नई हो तो वह छिड़कवायें तो ठीक रहेगा। उससे मलेरिया के कीटाणु मर जावेंगे और गांवों में मलेरिया नहीं फैलेगा। मलेरिया की दवा

(श्री रघुनाथ विश्नोई)
डी. डी. टी. छिड़कवाना तो अब फालतू खर्च करना है। इसके लिए तो कोई दूसरी दवा का अनुसंधान करके छिड़कवायें तो ठीक रहेगा।

इसके अलावा, माननीय अध्यक्ष जी, अभी हमारे राजस्थान में पश्चिमी इलाके में खास तौर से अतिवृष्टि होने से कई जगहों पर फ्लड आ गये हैं और उससे राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में भारी मात्रा से नुकसान हुआ है। इसके अलावा जो फसल थी वह भी सारी की सारी नष्ट हो गयी है। जैसा कि राज्य-पाल महोदय ने अपने भाषण में कहा था कि राजस्थान में काफी अच्छी फसल होने की आशा है, वह तो धूमिल हो गयी है। हमारे यहां पर तो खास तौर से सारी फसल बरबाद हो गयी है। आज स्थिति यह है, माननीय अध्यक्षजी, हमारे यहां पर जो बाजरा है उसमें तो एक अरगट रोग लग गया है और बाजरे की फसल सेन्ट पर्सेन्ट नष्ट हो गयी है। इसके लिये मेरा निवेदन है, आपको कृषि विभाग को पूछना चाहिये कि इस बाजरे में जो हर साल रोग लग जाता है उसको किस प्रकार समाप्त किया जाय। मैं समझता हूँ कि आपका कृषि विभाग कुछ भी नहीं कर रहा है। कोई एडवाइज राज्य सरकार को नहीं दे रहा है। यह जो पहले आपने हाई ब्रीड बाजरा और संकर बाजरा के बीज बाजरे की फसल के लिये किसानों को दिये उसमें तो स्थिति यह है कि खास तौर से रोग लगता ही है।

श्री रतनलाल वर्मा : यह तो आपके ही द्वारा बीज बोये हुए हैं। आप ही लाये थे। आपके ही फैलाये हुए रोग हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : चाहे किसी ने फैलाया हो, आपने फैलाया हो चाहे हमने लेकिन आज काम करने की आवश्यकता है। आवश्यकता है कि इस रोग को कैसे समाप्त किया जाय। इधर वालों ने किया या उधर वालों ने किया इस प्रकार की बेकार बातें करने से समस्या का कोई समाधान होने वाला नहीं है। आपको अपने कृषि विभाग से पूछना चाहिये कि इस बीमारी के लिये क्या किया जाना चाहिये? आपको चाहिये कि जो आपके कृषि विश्वविद्यालय हैं उनमें इसके लिये अनुसंधान कराना चाहिये और उसके बाद में इसका उपयोग किया जाना चाहिये। नहीं तो फिर वही बाजरे के बीज अच्छे हैं जो कि पहले हमारे यहां पर काम में आते थे, उन्हें भी काम में लिया जाना चाहिये ताकि बाजरे की फसल को बीमारी नहीं लगे और बाजरे का उत्पादन अधिक हो। माननीय अध्यक्षजी, बाजरा एक ऐसी चीज है जिसका हमारे पश्चिमी राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्रों में खाने में अधिक से अधिक उपयोग होता है। इसलिये इस ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

इसके अलावा थोड़ा मैं शिक्षा के बारे में भी निवेदन करना चाहूंगा। कांग्रेस सर-कार ने प्राइमरी एजूकेशन को कम्पलसरी करने के लिये एक हजार स्कूल खोलने के लिये आदेश दिये थे। पांच से लेकर दस वर्ष के बच्चों को कम्पलसरी शिक्षा देने के लिये प्राइमरी स्कूल खोलने की व्यवस्था की। उन आदेशों में से कई स्कूलों के नाम वर्तमान सरकार ने समाप्त कर दिये। आज गांवों में दस दस मील तक प्राइमरी स्कूल्स नहीं हैं। जालौर जिले में विशेष तौर से भीनमाल और सांचौर की मैं बात करता

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

हैं। उस इलाके में दस दस मील तक प्राइमरी स्कूल नहीं है। जब आप प्राइमरी एजूकेशन ही नहीं दे सकते हैं तो आपने जो बजट में हाई स्कूल, मिडिल स्कूल और कालेज खोलने की बात कही है उससे क्या फायदा? पहले आपको मिनिमम बेस के प्राइमरी स्कूल्स तो अधिक से अधिक खोलने चाहिये जिससे कि गांवों में बच्चे प्राइमरी एजूकेशन तो प्राप्त कर लें। आज कालेज खोलने की बात है वह तो आप शहरों में या बड़े बड़े कस्बों में स्कूलों को रेज करेंगे, कोई ग्रामीण क्षेत्र में तो खोल नहीं रहे हैं जब कि आज राजस्थान की 80 प्रतिशत जनता ग्रामीण इलाके में रहती है। पहली सरकार ने इस साल में एक हजार प्राइमरी स्कूल ग्रामीण क्षेत्रों में खोलने के आदेश दिये थे, एक हजार की संख्या आपने कम करके पांच सौ ही कर दी। यह तो आपने ग्रामीण क्षेत्रों की जनता पर अन्याय किया है। मिडिल स्कूलों को रेज करने की बात है उसके लिये आप पहले वाली सरकार की तरह बातें करेंगे कि स्कूलों के लिये मकान नहीं है। अब गांव की गरीब जनता मकान कहां से लाये। तो फिर हाई स्कूल्स वगैरह बड़े गांवों में या शहरी क्षेत्र में ही खुलेंगे जहां कि बड़े बड़े सेठ लोग भवन बना कर दे देते है। इस प्रकार तो भेदभाव बढ़ेगा और फिर वही पक्षपात वाली बात होगी। इसलिये मेरा निवेदन है कि राज्य सरकार को ही गांवों में स्कूलों के भवन बनाने की व्यवस्था करने की आवश्यकता है। इसी प्रकार बच्चों को होस्टल में रहने के वास्ते सुविधा की भी व्यवस्था की जानी चाहिये। आज हमारे यहां की स्थिति तो यह है कि पूरे स्कूल नहीं हैं, न ही अस्पताल की व्यवस्था है, मलेरिया बुरी तरह से फैला हुआ है और एक बार कोई टीचर वहां आता है और मलेरिया की बीमारी से पीड़ित होकर एक बार छुट्टी लेकर जाता है तो वह टीचर वापस आता ही नहीं है। इसलिये मेरा ऐसे क्षेत्रों के लिये यह निवेदन है कि उन लोगों को स्पेशल अलाउन्सेज दिये जाने चाहिये ताकि वहां पर बच्चों को ज्यादा से ज्यादा एजूकेट किया जा सके और जो क्षेत्र पिछड़ा हुआ आज तक रहा है वह पिछड़ा का पिछड़ा न रहे।

इसके अलावा थोड़ा उद्योग के बारे में भी निवेदन करना चाहूंगा। आपने कुछ जिलों को उद्योग की दृष्टि से पिछड़ा घोषित किया है और वहां पर सहूलियतें भी दी हैं, वह तो सराहनीय है लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में आप लोगों को क्रेडिट फैसेलिटीज देने के लिए बैंकिंग की क्या व्यवस्था कर रहे हैं? उन्हें बैंकों से अधिक से अधिक बीज के लिये, ट्रेक्टर के लिये और दूसरी चीजों के लिये ऋण दिलाने की आप क्या व्यवस्था कर रहे हैं? उसके लिये अधिक से अधिक व्यवस्था कैसे हो, यह आवश्यक है। आज जो लोगों की मिनिमम नेसेसिटी की चीजें हैं वह रोटी, कपड़ा, मकान की है, इनकी आपको पहले पूर्ति करनी चाहिये। वह आपके बजट भाषण में दिखाई नहीं देती।

इसके अलावा आपने भूमि कर के बारे में कहा है, जो टैक्स लगाया है बड़े भवनों पर उसकी तो मैं सराहना करता हूं पर आपने ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को एम्प्लायमेन्ट देने की बात के बारे में कुछ नहीं कहा। आज स्थिति यह है कि एक गांव

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

का गरीब लड़का एम. ए. पास करता है तो उसको नौकरी नहीं मिलती। आपको नौकरी में पहले उसे प्रायोरिटी देनी चाहिये। गांवों के गरीब लड़के ज्यादा मेहनत करके पढ़ते हैं फिर भी वे तकलीफ उठाते हैं और उन्हें कोई सहूलियत शहर के अमीर के बराबर नहीं मिलती है। तो मेरा निवेदन है कि उन्हें प्रायोरिटी दी जानी चाहिए एम्प्लोयमेन्ट में।

इसके अलावा आज एक ऐसा एटमौसफियर पैदा हो गया है कि सभी जगह भय रहित काम हो रहा है। गुन्डाइज्म फैल रहा है। जगह जगह चोरी, डकैती, अपहरण वगैरह के केसेज हो रहे हैं। व्यापारी को कोई डर नहीं वह मनमानी कर रहा है। आज स्थिति बहुत ही खराब हो गयी है, इसके अलावा सरकारी अधिकारियों को आप उनके खिलाफ में कार्यवाही करके डीमोरेलाइज कर रहे हैं। वह लोग अपनी ड्यूटी नहीं दे रहे हैं। उन्हें यह भय है कि कहीं थोड़ी सी गड़बड़ हो गयी तो हमारे खिलाफ में एक्शन ले लिया जावेगा। तो लोग अच्छी तरह से ड्यूटी नहीं दे रहे हैं। यह जो प्रवृत्ति पैदा हो गई है इससे ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को काफी परेशानी हो रही है। आपकी यह जो ढिलमिल नीति है उससे बेचारे हरिजन और गरीब वर्ग के लोग परेशान हो रहे हैं। तो मेरा इसके लिए यह निवेदन है कि आप चाहे जो डिसीजन लें पर आपकी जो नीतियां हैं उनका सख्ती से इम्प्लीमेन्टेशन तो होना चाहिए। अधिकारियों की कान्फ्रेन्स बुलाकर आपको कहना चाहिये कि जो डिमोरेलाइजेशन आज आया है, कागज नहीं निकालने की प्रवृति आज आयी है, जो ढिलाई आयी है, जो भावना पैदा हुई है कि सब आजाद हो गये हैं, इस कारण जो स्वच्छन्दता आयी है और जिस प्रकार गुन्डों के द्वारा आये दिन मार-पीट आदि होती है, उसको नहीं रोका गया और यह प्रवृति नहीं बदली गयी तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज हो यह रहा है कि आपका हुक्म नहीं माना जा रहा है। ऐसी हालत में आपको सख्त रुख लेना चाहिये। इमर्जेन्सी में डिसीप्लिन की भावना बढ़ी थी लेकिन इमर्जेन्सी का इलेक्शन में प्रचार करके फायदा आपने उठाया। गरीब लोगों के हित के और उनकी भलाई के अधिकारियों ने कदम नहीं उठाये तो जो आपकी आशायें हैं वे निराशा में परिवर्तित हो जावेंगी। इस भय की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री मूलचन्द सामरिया।

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, सन् 1977-78 के बजट को पेश करते हुए माननीय वित्त मंत्री जी ने भाषण दिया उस पर मैं कुछ निवेदन करना चाहूंगा। मैं बहुत ज्यादा तो इस पर इसलिये नहीं कहूंगा कि जितने भी विपक्षी माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रस्तुत किये हैं, विपक्षी होने के नाते भेदभाव बरतने की, स्कूल आदि नहीं खोलने की बात कही है, बाकी इस बजट की उन्होंने काफी तारीफ की है। मैं यह समझता हूं कि जिस तरह से भागती हुई सेना पीछे से सारी सड़कों को, मकानों को ध्वस्त करके भागती जाती है उसी प्रकार से पहले वाली सरकार ने जाने से पूर्व कई प्रकार की रियायतों की घोषणा

(श्री मूलचन्द सामरिया)
कर दी। लम्बी चौड़ी घोषणा करके, लम्बी चौड़ी बातें करके वह जाने वाली सरकार बहुत कुछ रियायतों की बातें कर गयी। उसे ऐसा लगता था कि आने वाली सरकार उन पर पुनर्विचार करके उन रियायतों को वापस ले लेगी और उसके द्वारा घोषित कालेज, स्कूल और चिकित्सालय कम कर दिये जावेंगे। इन परिस्थितियों में और इस हालत में यह परिवर्तित बजट जो प्रस्तुत किया गया है इसमें वास्तव में जनता पार्टी के चुनाव घोषणा-पत्र की, उसके कार्यक्रम की झलक नजर आती है। इस बजट में कुछ ऐसी बातें दिखायी गयी हैं जिससे वास्तव में वित्त मंत्रीजी का गांधीयन विचार धारा से ओतप्रोत होना साबित होता है। इसी का परिणाम है कि सब ही माननीय सदस्यों ने इसकी प्रशंसा की है।

मान्यवर, कुछ सदस्यगण ने कुछ स्कूल और कालेजेज खोलने में भेदभाव की बात कही है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यदि बांटने के लिये कोई चीज कम होती है और लेने वाले अधिक होते हैं तो उस हालत में जो लोग अब तक उपेक्षित रहे हैं उनको वास्तव में यदि कुछ दे दिया जाय तो जिन लोगों ने तीस साल तक अपने तरीके से लोगों को बांटा है, लोगों को दिया है उन लोगों को इस प्रकार भेदभाव की बात न कह कर थोड़े समय के लिये धीरज रखना चाहिये। स्कूल कालेजेज के बंटवारे में, उनके खोलने में किसी प्रकार का बैलेन्स किया गया है और इम्बेलेन्स को दूर करने की कोशिश की गयी है तो वे सदस्य महोदय कम से कम पक्षपात का आरोप न लगायें। उनको तो वास्तव में इस दृष्टि से सोचना चाहिये कि जो अब तक उपेक्षित क्षेत्र थे, वहां पर स्कूल व कालेजेज खोले गये हैं। उन स्कूल और कालेजेज में केवल जनता पार्टी या मार्क्सवादी पार्टी के ही लोगों के बच्चे नहीं पढ़ेंगे। एम. एल. एज. का किसी भी पार्टी से सम्बन्ध हो लेकिन उससे कोई अन्तर नहीं आता है।

श्रीमती सुमित्रासिंह : तो क्या पहले कांग्रेस के लोगों के ही बच्चे पढ़ते थे?

श्री मूलचन्द सामरिया : कांग्रेस पार्टी के उन मंत्रीगण से निवेदन किया है कि उनको कम से कम इस प्रकार का पक्षपात का आरोप नहीं लगाना चाहिये था।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आप अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते हैं तो क्या हम भी नहीं करें?

श्री मूलचन्द सामरिया : आप कर्त्तव्य का पालन कहां करते हैं? करते तो पक्षपात की बात कहने से पूर्व ही सोचते और अपनी बात कहते तो अच्छा था।

सबसे पहले मैं मंत्री महोदय को इस बात के लिये धन्यवाद दूंगा कि आपने लगान माफ किया। किसान अपने आपको हीन समझता है ऐसी कोई बात नहीं है। किसान को कोई राहत दी जाय तो क्या उससे किसान को फायदा नहीं होगा? साथ ही कुछ माननीय सदस्यगण ने यह मांग की है कि रेगिस्तानी इलाके में इसका एरिया अधिक होना चाहिये। यह मांग उनकी बहुत रीजनेबल है क्योंकि लम्बे एरिया में रेगिस्तान फैला हुआ है। वहां पर लगान माफ होता है तो वह नहीं के बराबर है। यहां के

(श्री मूलचन्द सामरिया)

लिये पैदावार के लिहाज से, लगान की राशि के लिहाज से इस तरह का फार्मूला तैयार किया जा सकता है कि जिससे सब ही लोगों को समान रूप से लाभ मिल सके तो अच्छा होगा।

इसके अलावा कार्मशियल क्राप पर भी उपकर की माफी दी गयी है। यह बड़ी मांग थी किसानों की। किसानों को बाध्य किया गया था कि गेहूं पर हम लेवी लेंगे। गेहूं नहीं बोता है और कार्मशियल क्राप बोता है तो उस पर उप कर लेंगे। इसको वापस लेने का मतलब यह हुआ कि किसानों पर की गयी ज्यादती को वापस लिया। उसके लिये वित्त मंत्री जी धन्यवाद के पात्र हैं।

अन्त्योदय की एक नयी स्कीम पेश की गयी है। Last man of the last row. आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, शैक्षणिक दृष्टि से हर मामले में अन्तिम व्यक्ति को कोई नहीं पूछता है। यदि अधिकारीगण ईमानदारी से सलेक्शन करेंगे तो हर गांव में से अन्तिम व्यक्ति को, पांच परिवार को, सलेक्ट कर लिया जावेगा, उनको ले लिया जावेगा और सब ही उनको सहयोग देंगे तो पांच परिवार को काफी राहत मिलेगी। भूखे को अन्न मिलेगा, नंगे को कपड़ा मिलेगा और जिनको मकान नहीं है सिर छिपाने के लिये उनको मकान मिलेगा। यह जो योजना पेश की गयी है उसका हर तरह से सर्वथा रूप से स्वागत किया जावेगा। जो बुद्धिजीवी लोग हैं आगे आये हैं वे लोग ही फायदा उठाते रहे हैं और जो अन्तिम पंक्ति में अन्तिम व्यक्ति होता है उसको कोई पूछने वाला नहीं होता है। इस योजना के तहत 5 साल में करीब 8 लाख परिवार सुखी होंगे जो कि पापूलेशन का 15 प्रतिशत बताया है। वह अपने आप में एक क्रांतिकारी कदम होगा। यह एक निश्चित प्रगति है। वैसे चाहे आप कितनी ही प्रगति करें, वह लखपति, करोड़पति और अरबपति के लिये प्रगति है उसको मैं प्रगति नहीं समझता हूं। यह प्रगति भी है और सही कदम सही व्यक्ति की भलाई के लिये है। इसका लाभ वास्तव में गरीब को मिलेगा और बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा, यह क्रांतिकारी कदम है . . .

(2.00 म.प.)

(श्री रामचन्द जाट, सभापति, पीठासीन)

मैं यह भी निवेदन करूंगा इसके साथ कि पैंशन में वृद्धि की गई है लेकिन, सभापतिजी, मैं यह निवेदन करूंगा वित्त मंत्रीजी से कि इस पैंशन की योजना को अति सरल बनायें। किसी भी वृद्ध आदमी अथवा अपंग को आने में दिक्कत होती है। उसी के मकान पर जाकर कोई अधिकारी पूरा विवरण नोट करके लाये अथवा जन प्रतिनिधि से लिखवायें और उसे ही मानकर पास कर दिया जाये तथा जिस दिन से लिखा कर लायें उसी दिन से उसको पैन्शन मिले। इतने आसान नियम बना दिये जायें तो अधिक लाभ मिल सकेगा। एक अपंग व्यक्ति, एक अपाहिज व्यक्ति को खानापूर्ति करने में काफी परेशानी होती है इसलिये इसका जो तरीका है इसको और भी सरल किया जाना चाहिये। मैं यह कहूं कि वृद्ध अथवा अपंग लोग जहां रहते हैं वहां के पटवारी अथवा किसी भी स्कूल के हैड मास्टर की जिम्मेवारी हो, उसके विवरण के अनुसार पैन्शन दे दी जाये और उसका भुगतान उसको वहीं कर दिया जाये।

(श्री मूलचन्द सामरिया)

सभापति महोदय, 30 लाख बेरोजगारों के स्थान पर 35–36 लाख लोगों को रोजगार देने की बात कही है और उसमें भी ज्यादातर ग्रामीण लोगों को रोजगार मिलेगा। इस तरह हमारे प्रदेश में बेरोजगारी की हालत में जो समस्यायें पैदा होती हैं, खास कर शांति भंग होती है, यह खत्म होगी। जब तक बेरोजगारी खत्म नहीं होती तब तक समाज में शांति कायम नहीं हो सकती।

सबसे बड़ा आपने जो लाटरी को बन्द करने के लिए कदम उठाया है, उसके लिए मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। लाटरी की इन्कम कोई सही इन्कम नहीं थी।

पेन्शन के बारे में जो सूची आपने पेश की उसके अनुसार जिन लोगों को अधिक पेन्शन मिलती है उनकी पेन्शन में अधिक बढ़ोतरी होगी और कम पेन्शन पाने वाले की कम होगी। मान्यवर, आपको इस बारे में विचार कर इसके विपरीत करना चाहिये जिनको कम से कम पेंशन मिल रही है उसकी पेन्शन में अधिक से अधिक बढ़ोतरी होनी चाहिए। 500 रुपये पेन्शन पाने वाले को 515 मिले तो कोई अधिक फर्क नहीं पड़ता है परन्तु जिसको 100 रुपये मिलते हैं उसको उसके स्थान पर 120 मिले तो अधिक रिलीफ महसूस करेगा।

मान्यवर, यह भी निवेदन करूंगा कि राजस्थान में छोटे छोटे प्रदेशों को मिलाकर एक वृहत राजस्थान की स्थापना की गई। राजस्थान में जहां टोंक, बून्दी, डूंगरपुर जैसे छोटे छोटे जिले हैं जिनमें एक एक, दो दो, तीन तीन तहसीलें हैं वहां जयपुर जैसे बड़े बड़े जिले मौजूद हैं। प्रशासनिक दृष्टि से एक जिले में हर डिपार्टमेंट का एक अधिकारी होता है। कुछ जिले बड़े हैं जैसे जयपुर है। यहां दो दो आफिसर्स लाजमी तौर पर लगाने पड़ते हैं। जयपुर जिला सबसे बड़ा जिला है एक 24 परगना जिला है जो इसके मुकाबले में है। संसार में जयपुर जिले के मुकाबले कोई भी जिला नहीं है। मान्यवर, जिस समय राजस्थान का एकीकरण हुआ उस समय भारत सरकार ने राजा महाराजाओं की स्टेट्स को जिला बना दिया। पिछले 25 साल में सरकार ने जब हर मामले में दखल दिया है तो राजस्थान में प्रशासनिक व्यवस्था को सही तरीके से लागू करने के लिए और राजस्थान में हर नागरिक को प्रशासन की मशीनरी का उपयोग करने की सुविधा देने के लिए मैं समझता हूं कि जिलों का पुनः सीमांकन होना अति आवश्यक है। जयपुर जिले में लगभग 15 डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिसमें हर डिपार्टमेंट में, दो दो से अधिक अधिकारी काम कर रहे हैं। बहुत से अधिकारी इस नाम से हैं–जयपुर पूर्व, जयपुर पश्चिम, जयपुर–1, जयपुर–2। मेरी समझ में नहीं आता, सब डिविजन हैडक्वार्टर पर अधिकारी क्यों कायम नहीं करते? दौसा सब डिविजन हैडक्वार्टर है। रोड्स, रेल, शिक्षा और हर लिहाज से जिला बनने की केपेसिटी उसमें है। फिर मैं नहीं समझ सका कि सरकार को इसमें कौनसी दिक्कत आ रही है? सरकार विचार करके जिलों का पुनः निर्धारण करे। मान्यवर, यह जिले की ही बात नहीं है, बहुत सी तहसीलें ऐसी बनी हैं जो बहुत बड़ी हैं और उनके हैड क्वार्टर्स सही जगह नहीं हैं। इसी तरह बहुत से गांवों का एरिया 105 किलो मीटर का है। इसलिए

(श्री मूलचन्द सामरिया)

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान प्रगति के पथ पर बढ़ता रहे इसके लिए प्रशासनिक दृष्टि से, वायेबल यूनिट्स बनाने के लिये जिलों की, तहसीलों की सीमा पुनः निर्धारण करनी होगी ताकि प्रदेश के हर जिले के हर व्यक्ति का प्रशासनिक मशीनरी तक उतना ही एप्रोच हो सके जितना छोटे जिले वालों का होता है। जयपुर जिले के लोगों को वह सुविधा मुहैया नहीं हो सकती। उनके लिये अधिकारियों से आसानी से मिलना सम्भव नहीं हो पाता क्योंकि जयपुर अपने आप में 9-10 लाख आबादी वाला शहर है और लम्बा चौड़ा जिला बना हुआ है। एक जिलाधीश इसका काम देखते हैं। इसके मुकाबले बून्दी और डूंगरपुर जैसे छोटे जिलों में जिलाधीशों से मिलना, उनको एप्रोच करना आसान है और बड़े जिलों में बहुत बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इसलिए मैं यह निवेदन करूंगा कि सरकार इस पर व्यवहारिक दृष्टि से विचार करे पूरे राजस्थान के बारे में और खास तौर से जयपुर जिले के लिए और जयपुर जिले को दो टुकड़ों में विभाजित करने की बात करे। इननें से एक जिले का मुख्यालय दौसा हो। सब-डिविजन दौसा की चारों तहसीलों के अलावा आसपास का कुछ इलाका मिलाकर बहुत ही इफेक्टिव और वायेबल यूनिट बन जाय तो यह जिला राजस्थान के अन्य जिलों का जितना बड़ा जिला हो जायेगा। यह अगर इस समय सम्भव नहीं है और इसमें कुछ समय लगे तो मैं फिलहाल यह निवेदन करूंगा कि एडीशनल कलेक्टर और एडीशनल एस. पी. का कार्यालय यहां हो। एक एस. पी. जयपुर का काम देखे और एक एस. पी. रूरल का काम देखे। एक कलेक्टर जयपुर के लिए हो और दूसरा कलेक्टर जयपुर के बाहर के लिए हो। इन आफिसेस को अगर आप दौसा में ट्रान्सफर कर दें क्योंकि सारा काम दौसा सब-डिविजन का होता है और दौसा डिविजन के सारे काश्तकारों को जयपुर आने के लिए बाध्य होना पड़ता है तो आप समझ सकते हैं कि उसमें कितना समय और कितना धन व्यय होता है और कितनी उनकी हानि होती है। आप प्रशासनिक आदेशों से बिना कुछ खर्च किये और बिना अतिरिक्त व्यय के किसानों को राहत दे सकते हैं। किसान इससे बहुत प्रभावित होंगे और आपके गुणगान करेंगे।

सभापति महोदय, एस. डी. एम. दौसा के पास काफी काम रहता है। उसकी मल्टीफेरियस ड्यूटीज होती हैं। उसके पास केसेस का अम्बर रहता है। ए.सी.एम. की कोर्ट दौसा में है। आर.एस.ई.बी. के एक्स ई.एन. का आफिस दौसा में हो इसके लिए मैंने माननीय मंत्री महोदय को भी निवेदन किया था। उस समय विद्युत् मंत्री थे श्रीमान देवपुरा साहब। इस बारे में मैंने कमिश्नर साहब को भी निवेदन किया। दौसा सब-डिविजन में आर. एस. ई. बी. के सब-डिविजन में 14 हजार कन्ज्यूमर्स आते हैं और वहां कई किस्म के केसेस होते हैं। ओवर चार्ज के केसेज होते हैं और बहुत सी दिक्कतें किसानों को विद्युत् संबंधी आती हैं। विद्युत् विभाग का नियम है कि बिलिंग का काम ए. ई. एन. का होता है और ओवर-बिलिंग हो जाये तो उसको ए. ई. एन. दुरुस्त नहीं कर सकता है।

(श्री मूलचन्द सामरिया)

दुरुस्ती के लिए वह एक्स.ई.एन. को भेजता है और फिर उसका फैसला होता है। ऐसी हालत में एक्स. ई. एन. का आफिस दौसा में ही होना चाहिए ताकि काश्तकारों को अपने बिलों की दुरुस्ती के लिए जयपुर नहीं आना पड़े। ऐसी हालत में जब भूतपूर्व विद्युत् मंत्री श्री हीरालालजी देवपुरा को इसके लिए कहा गया तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि जब 132 के. वी. लाइन का काम प्रारम्भ हो जायेगा और जमीन उसके लिए एक्वायर हो जायेगी तो यह कार्यालय दौसा में शिफ्ट कर दिया जायेगा। लेकिन ऐसा नहीं किया गया क्योंकि देवपुरा साहब समझते थे कि यह विरोधी दल के सदस्य हैं और अगर यह दफ्तर जयपुर से गया तो कांग्रेस का नुकसान न हो जाये। मैंने रिक्वेस्ट की तो उन्होंने टालमटोल कर दी। मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा रीजनेबल बात और कोई हो नहीं सकती। मैं निवेदन करूंगा कि इसको एग्जामिन किया जाये। आप इस विधान सभा के सत्र में ही इसके बारे में घोषणा कर दें या अपने दफ्तर में पधार कर इसके लिए पूछताछ कर लें और आज ही इसके आदेश प्रसारित कर दें तो बड़ी कृपा होगी।

इसी तरह से जितनी भी कोआपरेटिव सोसाइटीज जयपुर जिले में हैं उनमें अधिकांश सोसाइटी सब–डिविजन दौसा की है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि ए. आर. का आफिस और एक पशु चिकित्सा अधिकारी का आफिस भी वहां होना चाहिए। पहले डी. एम. एच. ओ. के नाम से एक आफिस दौसा में होता था लेकिन उस समय रामकरण जी जोशी और उस समय की कांग्रेस सरकार में भी काफी झगड़े थे, और बाकी सारे लोग विरोधी दल के थे इसलिए उस समय की कांग्रेस की सरकार ने डी. एम. एच. ओ. आफिस को दौसा से उठाकर जयपुर शिफ्ट कर दिया। इसके लिए दौसा के लोगों ने काफी मांग की और काफी झगड़ा भी किया लेकिन उस सरकार ने इसलिए वह मांग नहीं मानी क्योंकि उस समय इस क्षेत्र के सदस्य कांग्रेस के विरोध में पड़ते थे। अब मैं पुनः मांग करूंगा कि डी. एम. एच. ओ. के आफिस के बारे में पुनर्विचार करके दौसा भिजवायेंगे तो लोगों को राहत मिलेगी और वहां की जनता समझेगी कि पूर्व सरकार ने जो काम बदले की भावना से किये थे उन कामों को इस सरकार ने ठीक किया है और जो लोगों के साथ ज्याद-तियां हुई उनको इसने खत्म कर दिया। इसलिए यह आफिस दौसा में वापस भेजा जाये।

मान्यवर, आप जानते हैं कि आजादी के बाद इस देश में अरबों रुपयों का विदेशों से ऋण आया है। विश्व बैंक से भी आया। राजस्थान में अरबों रुपया खर्च किया गया। टैक्सों से भी वसूल करके और विदेशों से ऋण लेकर सिंचाई योजनाओं में पैसा लगाया। उसी के साथ साथ बहुत सी जगहों पर सिंचाई की योजनायें लागू की गयीं और बड़े बड़े बांध बनाये गये। जो सूखी जमीनें थीं उनको सिंचित किया गया और बंजर जमीनों को सिंचित जमीन में परिवर्तित किया गया। महाराजा जयपुर, जो कि एक सामन्त थे जो कि प्रतिगामी थे और पूंजीवादी थे, ने जमवा-रामगढ़ नामक एक बांध सिंचाई के लिए बनाया था। उस बांध से जमवा रामगढ़,

(श्री मूलचन्द सामरिया)

बस्सी और दौसा तहसीलों में सिंचाई होती थी। उससे कमाण्ड एरिया के लोग फलते थे और काफी समृद्धि की ओर बढ़ रहे थे। सिंचाई की वजह से उनकी फसलें अच्छी होती थी। लेकिन आजादी मिलने के बाद अरबों रुपया अन्य जगहों पर सिंचाई के बांधों पर खर्च किया गया। मान्यवर, इस बांध को सिंचाई से हटाकर जयपुर की पेयजल की व्यवस्था को पूरा करने के लिए दे दिया गया। मान्यवर, आपसे मैं निवेदन करना चाहूंगा कि एक तरफ सरकार ने यह दम्भ किया था कि प्रगति हो लेकिन इतने बड़े विकास के काम, इस सिंचाई के काम में जो खर्च किया गया उसमें सरकार ने जयपुर की पेयजल की व्यवस्था पूरी करने के बजाय जिससे हजारों और लाखों की तादाद में किसान सिंचाई करते थे उस बांध को सिंचाई विभाग से लेकर जलदाय विभाग को दे दिया। मान्यवर, इसके लिए भी काफी जबर्दस्त मांग की गयी लेकिन सरकार नहीं चाहती थी क्योंकि जैसा मैंने निवेदन किया, जमवा-रामगढ़, बस्सी और दौसा यह तीनो तहसीलें ऐसी हैं कि जहां से कांग्रेस विरोधी लोग जीतकर आते रहे और दौसा में तो सन् 1952 के बाद से एम.एल.ए. कांग्रेस का जीता ही नहीं। जमवा रामगढ़ की भी यह स्थिति रही इसलिये इसके बदले में सरकार ने उन गरीब किसानों से वह बांध छीनकर उनको दण्डित किया था। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जयपुर में पेयजल के लिए सरकार ने ईसरदा के पास बनास की योजना बनाई है। इस योजना के बारे में कई बार यहां प्रश्नों के उत्तर के दौरान में मालूम पड़ा कि 50 लाख रुपया उसके प्लानिंग के ऊपर और नक्शा बनाने में खर्च कर दिया। प्लानिंग होकर सरकार के मंत्री महोदय की टेबल पर वह योजना है। अगर आप अपने बजट में उसको शामिल करें तो मैं समझता हूं कि जयपुर के लिए, टौंक के लिए, ब्यावर और अजमेर चारों शहरों के लिए उस योजना के द्वारा पेयजल की व्यवस्था करने का प्रावधान है। उसको अगर आप पूरा नहीं करते हैं, उसको प्रारम्भ करके शीघ्र पूरा नहीं करते हैं तो मैं आप पर भी आरोप लगाऊंगा कि जिस तरह से पूर्व सरकार ने गरीब किसानों से बांध छीनने का काम राजनैतिक बदले की भावना से प्रेरित होकर किया उसको चालू रखने के आप भागीदार होंगे। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि इस बीसलपुर योजना को तुरन्त आप मन्जूरी दें और इसकी पूर्ति करके जयपुर, टौंक, ब्यावर और अजमेर के पेयजल की समस्या की पूर्ति करें। साथ ही जमवा-रामगढ़ का बांध पुनः सिंचाई के लिए वापस सिंचाई विभाग को दे दे क्योंकि इसके बिना हमारा काम नहीं चल सकेगा। अन्य जगह विकास हो और हमारे जिले में एक मात्र सिंचाई के साधन को भी सरकार छीन ले इससे ज्यादा कोई बेशरमी की बात नहीं है। अगर आप भी उस बात को चालू रखते हैं तो मुझे यह कहते हुए दुःख होगा कि आप में और उस सरकार में कोई अन्तर नहीं है। कम से कम जमवा रामगढ़, बस्सी, दौसा की जनता के लिए आप भी इतनी क्रूरता रखेंगे तो मैं समझता हूं मजबूरन उन लोगों को राहत लेने के लिए कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। हम हाथ जोड़कर मांगेंगे और इसके अलावा कुछ और रास्ते भी अपनाये जा सकते हैं। इसलिए मैं समझता हूं, इज्जत के साथ मान लें....

श्री मूलचन्द डागा : वे तरीके बता दें।

श्री मूलचन्द सामरिया : गांधी जी के रास्ते अपनाये जायेंगे।

इसके अलावा, सभापति महोदय, ढूंढ नदी पर एक बान्ध बनाने की योजना है। अगर ढूंढ नदी पर बान्ध बनता है तो जयपुर को जोड़ा जा सकता है। जमवा रामगढ़ पर लाखों रुपये खर्च करके भी जो माडर्न नहरें हैं और जो नहरें बनाई हैं उनमें पानी नहीं पहुंचता है। जितना गंगानगर की नहरों में पानी पहुंचता है, उतना यहां नहीं पहुंचता है हालांकि बहुत अच्छी तरह से बनी हुई नहरें हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं बीसलपुर और ढूंढ पर बान्ध बनाया जाय। जितना सिंचाई के लिए खर्चा उस कैनाल पर लगाया है उतना इस पर लगा कर पेय जल के लिए इसका पानी ले लें और जमवारामगढ़ से सिंचाई के लिये पानी ले लें।

एक बात और निवेदन करना चाहता हूं, जमवारामगढ़ बन्धे के पानी को आपने देखा होगा, उसके पानी को पीने से कीड़े पड़ते हैं और अनेक तरह की बीमारियां होती हैं। इसलिए भी पेयजल के लिए जमवारामगढ़ का पानी उचित नहीं है। स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, हानिकारक है। इसलिए इस दृष्टि से भी यह बान्ध वापस सिंचाई में ही देना चाहिए।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं जमवारामगढ़ में लिमिटेड वाटर है। 40 फीट पानी पेयजल के लिऐ रखा जाता है तो बाकी पानी सिंचाई के लिऐ दे दिया जाता है। जो सिंचाई के लिऐ पानी दिया जाता है उसमें लम्बा चौड़ा बखेड़ा होता है मशीनों का और कर्मचारियों का उसको भी आप दूर करें। वाटर वर्क्स वाले 40 आदमी मांगते हैं तो आप 35 देते हैं और 35 मांगते हैं तो आप 30 देते हैं। इसके कारण भी किसानों को समय पर पानी की दिक्कत आ जाती है। जिस समय सिंचाई की जरूरत होती है उस समय पानी न देकर दूसरे समय पर पानी दिया जाता है जब कि उसको उस समय पानी की आवश्यकता ही नहीं रहती है। इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा, जितना पानी जयपुर के पेयजल के लिए उचित है उसके लिए आप चीफ इन्जीनियर वाटर वर्क्स और चीफ इन्जीनियर इरिगेशन को बैठाकर तय कर दें और मंत्री महोदय निर्णय कर दें। पहले के मुख्य मंत्री तो ओबलाइज किया करते थे जैसे वे अपने घर से पानी देते हों लेकिन इस परम्परा को आप नहीं निभायें। अतः मेरा निवेदन है कि पेय जल के बाद बाकी पानी को जल्दी ही सिंचाई विभाग को दे देना चाहिए ताकि आवश्यकता के समय किसान को पानी मिल सके।

मान्यवर, दौसा में जल प्रदाय योजना है। जो लाइन डाली गई है वह करीब 4 हजार फीट की लाइन है और जब उस लाइन में पानी छोड़ा गया तो कई जगह उसमें लीकेज हो गया। इससे पानी वापस बन्द कर दिया गया। जो वहां एक मात्र कुआ था, जिससे पहले पानी लिया जाता था, उसी से अब दौसा को पानी दिया जा रहा है। वह कतई नाकाफी है, इसलिऐ मेरा निवेदन है कि जो लाइनें हैं उसको दुरुस्त करवावें। इससे दौसा कस्बे में बहुत बड़ी अशान्ति फैलने की सम्भावना है। इसके अलावा मीठे कुये का

Page No 58

(58)

(श्री मूलचन्द सामरिया)

कोई कुआ भी दौसा में नहीं है। अतः सरकार से निवेदन है कि इस पाइप लाइन को छोड़कर दूसरी पाइप लाइन डाल दी जाय और सिंचाई के लिए भी उसको काम में ले लिया जाय। दौसा में एक टैंक के लिए भी 5-7 साल से कोशिश की जा रही है लेकिन आज तक यह टैंक नहीं बना। दौसा कस्बे का जो ऊपर का हिस्सा है, उस हिस्से में वाटर सप्लाई की योजना होने के बाद भी पानी नहीं पहुंचता है। उस क्षेत्र में बरसात का पानी भर जाने से कई तरह की बीमारियां जोर पकड़ती जा रही हैं।

मेरा निवेदन है कि दौसा, लालसोट, सिकराय को औद्योगिक क्षेत्र घोषित कर दें तो दौसा में नीमला नामक स्थान पर 60 प्रतिशत लोहा है जो कि बहुत ही उत्तम किस्म का लोहा है इसका खनन कार्य आप खुद करवायें। पहले ठेकेदार को 20 साल की लीज पर दे दिया था तो वह मजदूरों का शोषण कर रहा था। अब उसकी लीज को समाप्त करके सरकार खनन कार्य खुद करवाये तो वहीं सैंथल बान्ध पर पानी भी है और उसी जगह पर लोहा मिल सकता है। अगर लोहे का कारखाना दौसा में चालू कर दें तो काफी लोगों को मदद मिल सकती है। लोगों को रोजगार मिलने से समृद्धि भी बढ़ेगी। इसलिये मेरा निवेदन है, सभापति महोदय, औद्योगीकरण की ओर भी इस क्षेत्र में ध्यान दिया जाय।

मान्यवर, भाखरी और कुण्डल के बीच बहुत पहले सड़क बनाई गई थी। बीसों बार कहने पर भी इसको पूरा करने की ओर ध्यान नहीं दिया गया है। अब आपकी जैसी घोषणा है कि हर अधूरी सड़क को पूरा करवाया जायेगा तो मेरा निवेदन है कि इस सड़क को भी पूरा शीघ्र ही करवाया जाय। मैं समझता हूं भाखरी—कुण्डल सड़क को आप पूरा करवा देंगे।

मान्यवर, बड़े बड़े व्यापारियों को बहुत सारी सुविधायें मुहैय्या करा रहे हैं लेकिन एक किसान, जैसा आप स्वयं जानते हैं, आज भी प्रकृति पर निर्भर है। अतिवृष्टि और अनावृष्टि से उसकी फसल नष्ट होती है। अतः बीमा कम्पनियों से और केन्द्रीय सरकार से कहकर अगर किसानों के लिये फसलों का बीमा करने की योजना बनायें तो किसान निर्भय होकर अपनी फसल को बो सकेगा। यदि उसकी फसल बरबाद होती है तो उसको भी सरकार से कम्पेंसेट किया जा सकेगा या बीमा कम्पनियों से उसको कम्पेंसेट किया जा सकेगा। सरकारी या बीमा विभाग के अधिकारियों की देख रेख में वह खेती करे ताकि प्रकृति पर उसे पूर्णतया निर्भर नहीं रहना पड़े। अतः मेरा आपसे निवेदन है कि किसानों को बरबादी से बचाने के लिये फसल बीमा को किसी न किसी रूप में अमली जामा पहनाने की कोशिश करेंगे तो वास्तव में किसान की जो हर साल बरबादी होती है वह बच जायगी।

श्री मूलचन्द डागा : पहले क्या नकली जामा पहनाते थे...

श्री मूलचन्द सामरिया : ये तो सब ये जानते हैं।

(श्री मूलचन्द सामरिया)

मान्यवर, दौसा के अस्पताल को जिला स्तर का घोषित किया जाय। दौसा के आस पास 10–20 मील तक कोई अस्पताल की व्यवस्था नहीं है। वहां हजारों की तादाद में मरीज आते हैं लेकिन दवाओं की कोई व्यवस्था नहीं है। आज मरीजों के लिहाज से जहां चार डाक्टरों की आवश्यकता है और वहां दो डाक्टर हैं। जितने वैद्यों की आवश्यकता है उसका दसवां हिस्सा भी वहां नहीं है। दूर दूर से मरीजों को लेकर जब वहां लोग आते हैं तो उनको काफी कठिनाई होती है। डाक्टर के नहीं होने से उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है और कई मरीज निराश होकर लौटते हैं। अतः मेरा निवेदन है कि वहां डाक्टरों की पूरी संख्या की जानी चाहिये ताकि हजारों रोगियों को बचाया जा सके।

मान्यवर, जब सरकार गरीबों की मदद करना चाहती है तो फिर यह क्यों जरूरी हो कि इलाज के लिए वह जयपुर ही आयें। जयपुर का हास्पिटल तो वैसे भी बहुत ओवर क्राउडेड है। आप तीन-चार डाक्टरों को कुछ इक्विपमेंट्स के साथ, कुछ अन्य साधनों के साथ वहां भिजवा दें तो लोगों को बहुत राहत मिल सकती है। मैं नहीं समझ पाता कि क्यों सरकार लोगों को बाध्य करती है और इलाज के लिए एस.एम.एस. में, जहां पर पहले ही क्राउड बहुत है, बुलाना चाहती है? इससे न तो यहां के लोगों का ठीक तरह से इलाज हो सकता है और न बाहर के लोगों की अच्छी तरह से देखभाल हो सकती है। इसलिए अगर लोगों को अपना पूरे तौर पर इलाज कराने के लिए स्थानीय तौर पर व्यवस्था हो जाय तो इससे ज्यादा डी–सेंट्रलाइजेशन हो सकेगा, ज्यादा लोगों को फायदा मिलेगा और ज्यादा लोगों को राहत मिल सकेगी। कुछ इक्विपमेंट देकर डाक्टरों को वहां भेजने से जयपुर हास्पिटल में भी भीड़ कम हो जाएगी और दौसा सब-डिविजन के लोगों को जो दूर रोज कार लेकर भागना पड़ता है वह भी बन्द हो सकता है। अगर आप दो चार डाक्टरों को भेज देंगे तो बहुत बड़ी सुविधा हो जायगी। उनके लिए जो फैसेलिटी की जरूरत है वह भी वहां पर मौजूद है, मकान है, बिजली भी है और उनके बच्चों के पढ़ने के लिए डिग्री कालेज भी है। सब तरह की सुविधायें हैं।

इसी तरह से मैटरनिटी होम का भी सवाल है। इमर्जेन्सी होने पर उन्हें जयपुर आना पड़ता है। इसलिए वहां पर कम से कम पचास बैड का मैटरनिटी होम बनाया जाय। दौसा ऐसा क्षेत्र है जहां पर आए दिन इस प्रकार के मामले होते रहते हैं। यह मानवीय समस्या है। माताएं बहिनें मेटरनिटी होम में आती हैं। जयपुर तक पहुंचने में जो समय बरबाद होता है उसकी वजह से उनको अकाल मृत्यु का ग्रास बनना पड़ता है और वह मर जाती हैं। इसलिए आप इसकी फैसेलिटी मुहैय्या करायें। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि यह कोई आज की मेरी नई मांग नहीं है। मैं बराबर इस बारे में कहता रहा हूं। शायद सरकार अपनी फाइल को देखेगी तो करीब करीब आदेश के लिए रखी हुई मिलेगी। उसके आधार पर आप अगर आदेश प्रदान करेंगे तो हमारे वहां के किसानों को, मजदूरों को, गरीब लोगों को भी स्थानीय तौर पर लाभ मिलेगा।

(श्री मूलचन्द सामरिया)

इसलिए अंत में मैं आपके इस बजट भाषण की प्रशंसा करूंगा। मैं समझता हूं कि इन बिगड़ी हुई परिस्थितियों में, इन हालात में आपने इस तरह का बजट पेश किया है कि जिसके लिए मैंने ही नहीं, कांग्रेस दल के भाइयों ने भी आपकी प्रशंसा की है। हम तो प्रशंसा कर ही सकते थे लेकिन जो विरोधी दल के लोगों ने प्रशंसा की है उससे मुझे बहुत खुशी हुई है। वास्तव में यह गरीबों के लिए राहत पहुंचाने का एक कदम है।

(व्यवधान)

श्री सभापति : श्री शंकरलाल :

श्री शंकर लाल (जैतारण) : सभापति महोदय, राजस्थान की जनता पार्टी की सरकार का यह पहला परिवर्तित बजट इस सदन के सम्मुख आया है। सभापति महोदय, इस बजट का अगर गहराई से अध्ययन किया जाय तो हमें इस नतीजे पर पहुंचना पड़ेगा कि यह बजट आम जनता के हित का बजट नहीं है। यह निराशाप्रद बजट है, थोथा और दिखावटी बजट है। इसके अन्दर जनता पार्टी को खुद की नीतियों के अनुसार कार्य कलापों का प्रदर्शन नहीं है, न उनके अनुसार कोई ठोस सुझाव और गरीबी मिटाने के लिए कोई कार्यक्रम है। सभापति महोदय, आम जनता का खुद का ऐसा आर्थिक ढांचा होता है कि जनता इस बात की आशा लगाए बैठी रहती है कि राज्य सरकार का बजट आए और उसमें कुछ ऐसी बातों की घोषणा हो जिससे उनके खुद के बजट को, उनके खुद के आर्थिक हालात को कुछ तरक्की मिल सके और उनकी गरीबी मिटाने वाला वह बजट हो।

सभापति महोदय, आम आदमी को आज राजस्थान के अन्दर मंहगे भाव पर आम जरूरत की चीजें लेनी पड़ती हैं। उसको यह आशा लगी हुई थी कि राजस्थान सरकार नए बजट के अन्दर कोई इस प्रकार के प्रावधान लायेगी, इस प्रकार की घोषणायें करेगी, मंहगाई को रोकने के लिए इस प्रकार के कडे कदम उठाने का विवरण बतायेगी जिससे बढ़ते हुए जो मूल्य हैं आम जरूरत की चीजों के, उनको रोका जा सके।

सभापति महोदय, इस सदन के अन्दर जो कई बजट पहले पेश हुए हैं उनको मैंने बराबर देखा है। हमारा जो प्राइस इन्डेक्स है होलसेल प्राइस का इंडेक्स, उसका विवरण बजट के भाषण में दिया जाता है। बजट पेश करने के पहले वास्तविक मूल्य सूचकांक क्या था और होलसेल प्राइस इंडेक्स अब क्या है, उसके अन्दर कितनी गिरावट आई है या तेजी आई है, इसका विवरण देना तो दूर रहा, सभापति महोदय, इस बजट के अन्दर इस मंहगाई के प्रश्न को छूआ तक नहीं गया है। कहीं भी इस बात का जिक्र तक नहीं है कि हम मंहगाई को रोकने के लिए ऐसे कोई कदम उठाने जा रहे हैं जिससे राजस्थान की जनता को राहत मिलेगी। मैं समझता हूं कि माननीय वित्त मंत्रीजी ने शायद इसलिए इस बारे में कोई सूचना नहीं दी, क्योंकि हमारे भारत के प्रधान मंत्री मोरारजी देसाई ने यह घोषणा कर दी कि पांच महीनों के बाद आपको असर मालूम पड़ेगा। इसका मतलब यह हुआ कि पांच महीनों तक चाहे राजस्थान की जनता हो, चाहे हिन्दुस्तान की जनता हो, वह मंहगाई में पिसती रहे। आप आम जनता के बजट की बात करते हैं, आप

(श्री शंकरलाल)

गरीब आदमी की, शोषित व्यक्ति की बात कहते हैं, और अन्त में कहते हैं कि उन्हीं के बलबूते पर हमको वोट मिले हैं क्या आज आप कह सकते हैं कि उसी गरीब आदमी को चाहे तेल ले, चाहे साबुन ले, चाहे बीड़ी ले, कोई भी चीज सस्ती मिल सकेगी आपके बजट लाने के बाद में ? आपने पांच महीने बात इसलिए सोची कि आपका भी यह छः महीने का बजट है, आप भी कुछ कर नहीं पायेंगे। मैं निश्चित तौर से कह सकता हूं, मान्यवर, मोरारजी देसाई की घोषणा के बावजूद अगर राज्य सरकार चाहती तो कुछ ऐसी घोषणा कर सकती थी, ऐसे कदम उठा सकती थी जिससे कालाबाजारी और जमाखोरी पर रोक लगती। यहां हमारे सामने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के वक्त मुख्य मंत्रीजी ने, चाहे प्रश्नों के उत्तर में हो, बार बार कहा है कि हम कड़ी कार्यवाही करेंगे जमाखोरों और कालाबाजारियों के विरुद्ध। आपने यह नहीं बताया बजट भाषण में कि आपने कितने कालाबाजारियों को पकड़ा, कितने जमाखोरों को पकड़ा, कितने भाव नीचे ला सके ? इसलिए मैं इसको थोथा और दिखावटी बजट कहता हूं। आम आदमी इन भावों की बढ़ोत्तरी से प्रभावित होता है, इससे उसका लगाव होता है, उसको कोई राहत इससे नहीं मिली है। इसलिए मैं कहता हूं कि यह आम जनता के हित का बजट नहीं है।

सभापति महोदय, यह छः महीनों का बजट है। इसके अन्दर हर जगह पहले की सरकार, पहले की सरकार का जिक्र है। मैं समझता हूं सभापति महोदय, माननीय वित्त मंत्रीजी स्वयं पहले कांग्रेस में थे, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। पिछले तीस वर्ष के अन्दर वह स्वयं कांग्रेस के आलोचक नहीं, समर्थक थे। शायद उनके मुंह से तो यह बात नहीं निकलेगी, ऐसा मैं समझता था। लेकिन चतुर मुख्य मंत्री ने हमारे इन भोले भाले वित्त मंत्रीजी के मुंह से कई बार यह बात कहलवा दी कि पिछले वर्षों के अन्दर जो काम हुए हैं, जो गिरावट हुई है उससे उनको घुटन महसूस होती है, कि पिछले तीस सालों में कुछ नहीं हुआ। सभापति महोदय, यह जो लाल और पीली बजट की किताब है, इसके अन्दर यह लाल रेखा है और पीला कवर है, नवज्योति में जो लाल-पीले की संज्ञा दी गई है, मैं उस बात को नहीं कहूंगा, यह मजाक की बात है, कि लाल-पीला बजट है। हमारी साधारण भाषा में जब कोई गुस्से में होता है तो हम कहते हैं कि लाल-पीला हो रहा है। यह लाल-पीला क्यों हो रहा है ? चाहे आप जेलों में रहे हों, चाहे आपातकाल में आपके साथ जो कुछ हुआ है, आपका वह गुस्सा अभी तक नहीं मिटा है। मैं कहता हूं कि अभी तक आप गुस्से में हैं इसलिये एक बार नहीं, बीसों बार आपने 'पिछली सरकार', 'पिछली सरकार की गलती,' 'पिछली सरकार की गलती' लाल-पीला होकर बताई है।

(व्यवधान)

जब तक आप लाल-पीले न होकर ठण्डे दिल से अपने राजस्थान की आर्थिक नीति पर, आर्थिक ढांचे पर विचार नहीं करते तब तक आपका सही रूप सामने नहीं आ सकता। जब आपका गुस्सा ठण्डा हो जाएगा, जब आप

(श्री शंकरलाल)

शांति से इस चीज को सोचेंगे तभी आप कुछ कर सकेंगे। उसके बिना राजस्थान के हित की बात आप वास्तव में करने वाले नहीं हैं। मैं बजट के इन शब्दों को नहीं पढ़ते हुए यही निवेदन करना चाहूंगा कि आपका गुस्सा अभी तक उसी प्रकार है और इसीलिए आप आर्थिक स्थिति के सम्बन्ध में कुछ नहीं सोच पाये हैं और यह आपका लाल-पीला बजट पेश हुआ है।

आपने छः महीने के परिवर्तित बजट में कितने ही मदों में खर्चे में वृद्धि की है। आपने वृद्धि की है लेकिन इससे पहले 6 महीने गुजर गए हैं। यह जो वृद्धि हुई है उसमें 6 महीने में कितना और खर्चा होगा और कितना खर्चा अब तक हो गया है. यह आपको पेश करना था। आपने यह जो एक साल का बजट पेश किया है इसमें यह स्पष्ट रूप से बताना चाहिए था कि 6 महीने का तो कितना घाटा है और आगे 6 महीनों में कितना घाटा होगा। इस बजट में जो आपने वृद्धि की है, उस वृद्धि में भी आपने यह नहीं बताया है कि 6 महीने में इतना खर्चा हो चुका है और आगे 6 महीनों में कितना खर्चा होने वाला है। इसकी क्या रूपरेखा है, यह आपने नहीं बताया है। आपने तो केवल आंकड़े बता दिए कि इतनी वृद्धि की है लेकिन इस वृद्धि से 6 महीनों के अन्दर आप क्या करने वाले हैं, यह नहीं बताया है। यहां पर आपने वाहवाही ले ली। मेरे सामने वाले माननीय सदस्यों ने तालियां पीट दीं। आप कृपा कर यह बतावें कि गरीबी मिटाने के लिए क्या नया चमत्कार जनता पार्टी की सरकार ने रखा है? एक बात यह कही कि प्रत्येक गांव में से गरीब 5 परिवारों को सक्षम बनाने के लिए, उनकी गरीबी को मिटाने के लिए एक योजना बनाई गई है। उस नयी योजना के लिए जनता पार्टी की सरकार ने 25 लाख रुपये का प्रावधान रखा है। सभापति महोदय, राजस्थान के अन्दर तैंतीस हजार गांव है और तैंतीस हजार गांवों में से पांच परिवार लिए जाएंगे तो वे 1 लाख 65 हजार परिवार होते हैं। इस सरकार ने उन 1 लाख 65 हजार परिवारों के लिए 25 लाख रुपयों का प्रावधान रखा है उनको गरीबी की हालत से उबारने के लिए। आप अनुमान लगाइये, प्रति परिवार 15 रुपये इस प्रावधान से आयेंगे। गरीब से गरीब परिवार की गरीबी मिटाने के लिए आपने 15 रुपये का प्रोग्राम बनाया है। इन 15 रुपये से गांव के गरीब परिवार की गरीबी आप कैसे मिटाएंगे? आज उस परिवार को एक टाइम भी खाना नसीब नहीं होता है। इसलिए आपने जो अनुमान लगाया है और जो प्रोग्राम रखा है वह थोथा है, ठीक नहीं है। आप 33 हजार गांवों के 1 लाख 65 हजार परिवारों की गरीबी 25 लाख रुपये के प्रावधान से एक साल में नहीं मिटा सकते। फिर 5 साल के लक्ष्य को आप कैसे पूरा कर सकते हैं? यह आपकी बात सारहीन है। केवल गरीब जनता की वाहवाही लूटने के लिए यह झूठा वायदा आपका है।

सभापति महोदय, एक बड़े ताज्जुब की बात है। हमारे राजस्थान के जो केन्द्र में वित्त राज्य मंत्री हैं श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल, उनकी बजट के ऊपर प्रतिक्रिया 'दैनिक नवज्योति' में देखने को मिली। उन्होंने यह ठीक कहा है कि किसी राज्य को अपने घाटे की पूर्ति के लिए केन्द्र पर आधारित नहीं रहना चाहिए। राज्य सरकार ने बताया है कि हमारा जो इतने करोड़ का घाटा है, उस

(श्री शंकरलाल)

घाटे में सहायता के लिए केन्द्र सरकार से बातचीत हो रही है। राज्य के 58.94 करोड़ रुपये की घाटे की पूर्ति के लिए केन्द्रीय वित्त मंत्रीजी से विचार विमर्श हो रहा है और इस घाटे की पूर्ति केन्द्रीय सहायता से कर ली जाएगी। आपकी जनता पार्टी के जो नुमाइन्दे केन्द्र में राज्य मंत्री, वित्त हैं, उन्होंने जो कहा है वह सही है तो इसका मतलब यह हुआ कि आपको जो यह आशा है, वह निराशा में परिणत होगी। आपकी यह आशा निराधार है। जो आशा आपने लगाई है कि इस घाटे की पूर्ति केन्द्र से सहायता लेकर आप कर पाएंगे, वह गलत है। इसलिए आपको यह स्पष्ट करना चाहिए कि हम अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पाएंगे। आपने यह तो कह दिया कि घाटे की अर्थ व्यवस्था हमें धरोहर में मिली है, किन्तु कितनी मिली है, इसके सही आंकड़े आपने नहीं दिए हैं, लम्बी-चौड़ी बात कह दी। यह बात सही है कि आपने स्वयं ने घाटे की अर्थ व्यवस्था का सहारा लिया है और आप अपने पैरों पर खड़े नहीं हो सकते हैं। आपने बजट में भी केन्द्र की तरफ मुंह किया है और केन्द्र आपकी आशा की पूर्ति करने में असमर्थ रहेगा, यह मैं समझता हूं।

सभापति महोदय, इसकी कई बार घोषणा की गई है कि विकास के मामले में राजनीति नहीं घुसने पावे। मैं समझता हूं कि राजस्थान की जनता पार्टी सरकार ने विकास के कामों में जिस प्रकार से राजनीति का प्रवेश करना शुरू किया है, जिस प्रकार के कार्य कलाप उन्होंने विकास कार्यों के अन्दर शुरू किए हैं, जो गंदी राजनीति का प्रवेश इस सरकार, जनता पार्टी ने शुरू किया है, यह राजस्थान को आगे बढ़ाने में सहायक नहीं होगा। यह कदम राजस्थान को पीछे ले जाने वाला है और स्वयं जनता पार्टी के लिए भी घातक है। दूसरी पार्टियों के लिए कितना घातक होगा, यह तो आगे देखने की बात होगी।

सभापति महोदय, वित्त मंत्रीजी ने शिक्षा के क्षेत्र में विस्तार की बात कही। यह बताया गया कि इतने स्कूलों में वृद्धि कर दी गई है। सभापति महोदय, मैं इसका तुलनात्मक विवरण सदन के सामने रखना चाहूंगा। पहले की सरकार ने दस पोस्ट ग्रेजुएट कालेज खोलने की घोषणा की थी। जनता पार्टी सरकार ने 15 पोस्ट ग्रेजुएट कालेज खोलने की घोषणा की है। पहले की सरकार ने 12 डिग्री कालेज खोलने की स्वीकृति दी थी और जनता पार्टी सरकार ने भी 12 डिग्री कालेज रखे हैं। पहली सरकार ने 1000 नये प्राइमरी स्कूल खोलने की घोषणा की थी, परन्तु इस राजस्थान की जनता पार्टी सरकार ने 520 प्राइमरी स्कूल खोलने की ही घोषणा की है। सभापति महोदय, एक तरफ तो जनता पार्टी सरकार यह कहे कि वह गांवों की ओर अधिक ध्यान देती है, वहीं वह शिक्षा के अन्दर प्राइमरी स्कूलों में कमी करे तो वह कैसे विकास करने की बात कह सकती है? गांवों के लोगों को ऊंचा उठाने की बात कही जाती है, वहीं पर प्राइमरी स्कूल बन्द कर रही है। जिन स्कूलों को खोलने की स्वीकृति पहले की सरकार ने दी थी, उनको आप बन्द करना चाहते हैं। एक हजार प्राइमरी स्कूल खोलते तो गांवों की भलाई की बात होती। वहां पर आपने केवल 520 स्कूल खोल दिये। यह गांवों के साथ आपने

(श्री शंकरलाल)

अन्याय किया है। मैं समझता हूं कि आपने 10 पोस्ट ग्रेजुएट कालेज के स्थान पर 15 कालेज किये हैं, उनको केवल आप राजनैतिक दृष्टि से खोलना चाहते हैं। शहर वालों को खुश करने की दृष्टि से आपने यह किया है। आम गरीब जनता को शिक्षित करने की दृष्टि से शिक्षा के क्षेत्र में आपने कदम नहीं उठाया है। आपने एक हजार स्कूलों में कमी कर दी। उम्मीद तो यह थी कि आप यह संख्या बढ़ाते ताकि गांवों के गरीब आदमियों के लड़के शिक्षा पाते। वे पोस्ट ग्रेजुएट कालेज तक कहां पहुंच पाते हैं। आपने एक हजार स्कूलों की जगह 520 स्कूल करके गांव वालों का हित नहीं किया है। दूसरी जो बात कही है कि कालेज खोल दिये वह गलत है। इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में खुश करने की दृष्टि से, राजनैतिक दृष्टि से कि कैसे लाभ मिल सकता है, आपने काम किया है और कदम उठाया है। 500 मिडिल स्कूलों की पहले की सरकार ने घोषणा की थी आपने उसमें भी कमी करके उनको 410 कर दिया। प्राइमरी और मिडिल स्कूलों में कमी और वृद्धि पोस्ट ग्रेजुएट कालेज में, यह क्या आपका विकेन्द्रीकरण की तरफ कदम है? गरीब आदमियों को आगे बढ़ाने की बात है? सैकेण्डरी स्कूल जरूर आपने 250 के स्थान पर 350 कर दिये। मेरा यह चार्ज है कि प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूलों में कटौती करके आपने बुरा काम किया है। आपने यह कह दिया कि पहले की सरकार ने बजट प्रावधान के बिना ही खर्चा कर दिया। बजट में पैसा नहीं है। यह किसका पैसा है? सरकार बजट के प्रावधान को आगे पीछे करती है। उसने जो घोषणायें की उनको आपने उलट दिया। बजट प्रावधान तो हो जाता। इतना ही नहीं, स्कूलों के अन्दर भी आपने हेराफेरी की है। जो स्कूल पहले मन्जूर थे, गांव तक मन्जूरी पहुंच गई थी, स्कूल में लड़के भर्ती हो गये थे, वहां गांव में विद्यार्थियों में इस बात का एलान हो गया था कि आपके यहां मिडिल स्कूल को सैकेण्डरी स्कूल बना दिया गया है, जनता पार्टी सरकार ने उन सब पर स्टे कर दिया। एलान किया कि हम परीक्षण कर रहे हैं कि नियमों के अनुसार स्कूल खोले गये हैं या नहीं। नियमों के विपरीत स्कूल खोले गये हैं इसलिए बाद में एलान करेंगे।

सभापति महोदय, जहां तक मुझे नियमों का मालूम हुआ, किस प्रकार से आपने नियमों का पालन किया है इस बारे में खेतसिंह साहब ने भी कहा था लेकिन मैं उसको और साफ तरीके से कह रहा हूं। पाली जिले में पीतासर गांव है। वहां लड़कियों का मिडिल स्कूल है और लड़कों का मिडिल स्कूल है। फिर भी यहां से आदेश जाता है। यह कौनसा नियम पालन हुआ है। प्रश्न यह आता है कि मिडिल स्कूल की जरूरत है या नहीं। हमारे क्षेत्र में करणिया और तलसेरा में मिडिल स्कूलों की घोषणा कर दी गई। लड़के भी भर्ती होने को आये। बिल्डिंग भी मौजूद है और लड़के भी मौजूद हैं लेकिन आपने दूसरी जगह स्कूल खोला है। वहां न बिल्डिंग का पता है न लड़कों का पता है। आप निश्चित बात क्यों नहीं कहते हैं। आप साफ साफ कहिये कि हम तो जहां जनता पार्टी के लोग कहेंगे, वहां खोलेंगे। जनता पार्टी सरकार ने जो स्कूल खोले हैं, वह वैसे ही हैं जैसे इधर की जेब काटकर उधर की जेब में पैसे डाल दिये हों। इससे

(श्री शंकरलाल)
कोई वाहवाही आपको मिलने वाली नहीं है। इस प्रकार से आपने शिक्षा के क्षेत्र में राजनीति से काम लिया है।

शिक्षकों की दशा पर शिक्षा मन्त्री महोदय बड़ा अच्छा भाषण देते हैं। लेकिन उन्होंने क्या किया है? आज भी हजारों अध्यापक हैं, जिनकी सर्विस बुक का पता नहीं है। वह कुछ भी बता नहीं सकते हैं। राजस्थान के कई स्कूलों में पार्ट टाइम चपरासी रखे हुए हैं। उनको आप 60/–रु. देते हैं। उनकी हालत पर आप विचार कीजिये। पार्ट टाइम चपरासी का कोई नियम नहीं है। वहां जो गरीब चपरासी काम करते हैं, उनका गुजारा कैसे चल सकता है। आपने वाहवाही लूटने के लिए बड़ी बड़ी घोषणायें की हैं वह सभी आपने राजनैतिक दृष्टिकोण से की हैं।

आपने यह बताया है कि हमने विद्युत् के विकास में यह किया है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान का विद्युत् विभाग और उसके अधिकारी अत्यन्त भ्रष्ट हैं। यह पूरा का पूरा बिजली विभाग भ्रष्ट है। हजारों ऐसे केस हैं कि इस पूरे विद्युत विभाग को सील करना पड़ेगा। मेरा खुद का बिजली का बिल आया 233।-रु. का। मालूम पड़ा कि 154।-रु. जो पहले जमा कराये थे वह जमा किये ही नहीं गये हैं। जैतारण में एक किसान का कनेक्शन कट गया। वह बैलों से सिंचाई करता है। लेकिन उसका बिल आता है, 6 हजार रुपये का। वह कहता है कि मेरा कनेक्शन कट गया। मैं बैलों से सिंचाई करता हूं। फिर मेरा बिल कैसे आ गया? जब आवाज उठाई गई तो उसको कहा गया कि 3 हजार रु. ही दे दो।

श्री मनोहरसिंह मेहता: यह जो आप फर्मा रहे हैं, वह बिल उसका कब आया था?

श्री शंकरलाल: यह अभी हाल ही की बात है।

श्री मूलचन्द डागा: यह जनता पार्टी के राज में आया था।

श्री दाऊदयाल जोशी: आप गणना करेंगे तो आपको लाखों ऐसे मिल जायेंगे। आपने ही उनको बेईमान बनाया है।

श्री शंकरलाल: सभापति महोदय, एक परिपत्र है। शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स बस्तियों में बिजली की लाइन ले जाने का खर्चा नहीं लिया जायेगा। यह आदेश है लेकिन इसका पालन नहीं होता है। जोधपुर में एक बार बिजली विभाग की मीटिंग हुई तो यह बताया गया कि आदेश का पालन हो नहीं सकता है। यह सिर्फ कागजी कार्यवाही है जिसके लिए वाहवाही हो जाती है। मेरे ही क्षेत्र में कई जगह ऐसा किया गया है। एक जगह से हटा कर दूसरी जगह ले गये। बिजली विभाग में बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार है और बहुत ज्यादा बेईमानी है। इस समय चाहे कितने ही आयोग बैठा लें। जब तक आप इसके लिये कुछ नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता है। आप इसके लिए कुछ कीजिये तब ही आप राजस्थान की जनता को बिजली के मामले में भ्रष्टाचार से और बिजली विभाग की तकलीफ से, परेशानी से मुक्ति दिला सकते हैं। इस विभाग से गरीब गांव वाले और शहर वाले सभी दुखी हैं।

(श्री शंकरलाल)

सभापति महोदय, आपने टैक्स लगाने के बारे में बात कही है। इसके बारे में आपने नीति बनाई है। कुछ बातें जो पहिले वाली सरकार ने की हैं, उनको आपने रद्द किया है। आपने सिर्फ यही किया है कि इन को अनडन और अनडन को डन कर दिया है। जो रद्द किया उसको आपने वापस लगा दिया है। इससे ठेकेदारों को फायदा होता है। एक तरफ आपने कार्माशियल क्राप पर उप कर हटा कर किसानों को राहत दी है। तो उससे आम आदमी प्रभावित हुआ है। आपने घोषणा की है कि हम बिक्री कर समाप्त कर रहे हैं। अभी तक जो बने बनाये कपड़े, गार्मेन्टस होते थे, उन पर बिक्री कर नहीं था। आपने उनके ऊपर भी लगा दिया है। आपने घोषणा की थी कि हम कर माफ कर रहे हैं लेकिन 15/-रु. का रेडीमेड वस्त्र हो उस पर भी आपने कर लगा दिया है। यह आपने अपने घोषणा-पत्र के विपरीत कार्य किया है। आपने यह घोषणा जनता को धोखा देने के लिये की थी, माननीय सभापति महोदय, भ्रष्टाचार मिटा रहे हैं। यह जो देहाती पहनने के कपड़े होते हैं, जोड़ा, अंगरखा, छपोली, गोटा है जिसकी पाली मण्डी है, रानी मण्डी है, जहां से 15।-- रुपये तक के कपड़े गांव वाले लेते हैं जो रेडिमेड होते है, अब उनके ऊपर भी आपने टैक्स लगा दिया। आपने यह बहुत ही गलत काम किया है। माननीय वित्त मंत्री जी, आपने यह आपकी घोषणा के विरुद्ध काम किया है। जनता इस बात को खूब समझती है। आपके इस काम से आम आदमी पर सीधा अटेक होता है। आप कहते हैं कि भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए टैक्स लगा दिये लेकिन क्या इससे आम आदमी पर जोर नहीं पड़ेगा, क्या उसको इससे कोई राहत मिलने वाली है? आप अगर भ्रष्टाचार दूर करना चाहते हैं तो आपकी जो मशीनरी है उसको आप टाइट कीजिये। आपने 25 पैसे की जगह एक रुपये का स्टाम्प लगाने की बात कही, और कहा कि ऐसा इसलिए किया गया कि रेजगी नहीं मिलती है। भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए अगर आप टैक्स लगाने की बात को ठीक समझते हैं तो यह उचित बात नहीं है, यह आपकी भूल है।

आपने जो चिकित्सा और पैन्शन के बारे में घोषणाएं की हैं। अभी मेरे साथी ने जो बातें कहीं, मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता हूं कि छोटे आदमियों को जो पैन्शन मिलती है उसमें ज्यादा वृद्धि की जानी चाहिए। आपको 120/- रु. की पैन्शन पर कम से कम 15/– रुपया की वृद्धि करनी चाहिए। जिस आदमी को कम पैन्शन मिलती है उसमें कम वृद्धि और जिसको ज्यादा पैन्शन मिलती है उसको ज्यादा वृद्धि, यह आपने क्या भलाई की बात की है। आपने कहा है ओल्ड ऐज पैन्शन में एक करोड़ की वृद्धि की गई है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूँ कि ओल्ड ऐज पैन्शन और अपंगों के लिए जो पैन्शन मिलनी चाहिए वह चार माह से नहीं मिल रही है। जैतारण तहसील के गांव मेट में छोटमल और पाटन में रूपली ने मुझको बताया कि उनको चार माह से पैन्शन नहीं मिली है। क्या जनता पार्टी का राज आने के बाद पैन्शन भी बन्द हो गई? आप वृद्धावस्था की पैन्शन भी देना नहीं चाहते हैं। आप चाहें तो मैं नाम बता सकता हूं। दो तीन नाम तो मैंने आपको बताये हैं। इनको

(श्री शंकरलाल)

पेन्शन चार महीने से नहीं मिल रही है। और नाम आप चाहें तो मैं उसकी लिस्ट दे सकता हूं। आपने हमारे लिए कथनी और करनी में अन्तर की बात कही लेकिन आपकी कथनी और करनी में तो अन्तर नहीं होना चाहिए।

सभापति महोदय, मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ इस बजट के अन्दर यह देखकर, कोई भी ऐसा बजट मैंने नहीं देखा राजस्थान के अन्दर आज दिन तक या दूसरे प्रान्तों में जहां भूमि सुधार की बात नहीं की जाय। वित्त मंत्रीजी, आप राजस्व मंत्रीजी भी हैं, कितनी जमीन सीलिंग से ली गई है, कितनी बांट दी गई है, कितने केसेज और बकाया रह गये हैं और कितनी भूमि अलाट हुई है, यह बातें भी आपने नहीं कही हैं। पहले की सरकार की बात तो आपने कह दी। लाखों एकड़ भूमि गरीबों में, शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों में बांट दी गई वह अब हरिजनों से वापस ली जा रही है। वित्त मंत्रीजी, पूरे हिन्दुस्तान में जनता पार्टी का राज आने के बाद यह हो रहा है। हरिजनों से भूमि छीनी जा रही है और उनके साथ मारपीट की जा रही है। जैतारण तहसील के आनन्दपुर गांव में हरिजनों को पट्टे दिये गये थे। वह पट्टे सरपंच ने नहीं दिये। बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों का पट्टे देने का अधिकार ले लिया गया था और विकास अधिकारियों को दे दिया गया था। उस वक्त विकास अधिकारियों ने उनको पट्टे दिये, उनके पास कब्जा मौजूद है। लेकिन जनता पार्टी का राज आने के बाद जनता पार्टी के लोग उन हरिजनों को आनन्दपुर गांव में हटाने लगे हैं, इसके बारे में मैंने केसेज भी दर्ज कराए हैं। लेकिन, सभापति महोदय, ताज्जुब है कि उनका चालान तक नहीं किया जाता। इस बात को माना जाता है कि उनका कब्जा है तो जो लोग उनको हटा रहे हैं और गड़बड़ियां कर रहे हैं उनका चालान क्यों नहीं पेश किया जाता? आपके जयपुर के अन्दर कुछ दिन पहले एक पंचायत हुई थी। आप लोग जे. पी. से प्रेरणा लेते हैं। वह स्वयं कहते हैं कि अगर जनता पार्टी ठीक काम नहीं करेगी तो वर्ग संघर्ष हो जायगा। क्या इससे भी आपका दिमाग ठीक नहीं होता? क्या इससे भी आपको समझ नहीं आती? आपने आम पब्लिक के लिए मूल्य वृद्धि को रोकने के बारे में भी कुछ नहीं किया। हरिजनों पर जो अत्याचार हो रहे हैं उनके बारे में आपने कुछ नहीं कहा। भूमि सुधार के बारे में कुछ नहीं कहा। सीलिंग के बारे में कुछ नहीं कहा। पहले की सरकार ने भूतपूर्व राजाओं से भी जमीन ली थी। उनके कई मुकदमे भी चल रहे हैं। आपने यह भी नहीं कहा कि क्या आप उन मुकदमों को वापस ले रहे हैं? सभापति महोदय, इस प्रकार की धारणा भी कई जगहों पर है कि मुकदमे वापस लिये जा रहे हैं। मैं अभी बाड़मेर गया था। वहां पर कार्यकर्ताओं की एक मीटिंग हुई थी। कई जागीरदार कहते हैं कि जागीरें मिलने का तो फैसला हो गया।

श्री रघुनाथ विश्नोई : उनका सोचने का तरीका ठीक है।

श्री शंकरलाल : इस प्रकार की बातें तो रेडियो पर सुना करते थे, चाहे आप आपातकाल की बात कह दें लेकिन बीस सूत्री कार्यक्रम के तहत जितने भी आवंटन होते थे

(श्री शंकरलाल)
तो गांव वालों को मालूम हुआ करता था, लेकिन आज इसका कोई पता नहीं लगता कि किसको जमीन अलाट की गई है। भूतपूर्व राजाओं की जमीनों के बारे में भी कोई पता नहीं है। माननीय वित्त मंत्री महोदय, क्या मैं यह समझूं कि राजस्थान सरकार इस काम को हाथ में नहीं लेना चाहती या इस काम को पूरा कर लिया गया है? इसलिए, सभापति महोदय, इस बजट से बड़ी निराशा हुई है, मैं यह कहना चाहूंगा कि....

श्री रघुनाथ विश्नोई : यह भी नहीं कहा कि खराब काम किया है लैण्ड रिकार्ड के बारे में पिछली सरकार ने।

श्री शंकरलाल : माननीय वित्त मन्त्री जी, आवास के लिए आपने कहा। राजस्थान में आवास की गम्भीर समस्या है। आपने कहा है कि एम. आई. जी. एच. और एल. आई. जी. एच. के तहत सरकारी आदमी ऋण नहीं ले सकेंगे और जनता के आदमी ही ऋण ले सकेंगे। इससे क्या हुआ? सवाल यह है, वित्त मंत्रीजी, हजारों लोग जो गांवों में बसे हुए हैं, जिनको आवास के भूखंड पहले वाली सरकार ने दिए थे लेकिन मकान नहीं बना पाए, उनके मकान बनाने के लिए कितना प्रावधान किया है? इसमें तो एक पैसा भी नहीं है। आपको पता है कि पहले की सरकार का एक प्रोसिजर था, हालांकि मैं उनकी भी आलोचना करता था, हाउसिंग को-आपरेटिव सोसाइटी होती थी, आप उसको 100 रु. दें, समाज कल्याण 300) रु. दे, उस पर 4000) उसको लोन मिले। आपने तो कोई योजना पेश नहीं की। आपने गांव में रहने वालों के लिए आवास-योजना का जिक्र तक नहीं किया। आप वोट लेते समय आवास योजनाओं की बात करते हैं, लेकिन अब कोई बात नहीं की।

शायद हमारे माननीय मनोहरसिंहजी को राजी करने के लिए कह दिया कि चार साल के अन्दर शराबबन्दी की भारत सरकार ने घोषणा की है, हम उससे पहले ही कर देंगे। पहले कब कर देंगे यह भी आपने नहीं कहा....

श्री एच. एन. शर्मा : आपकी वजह से नहीं कर रहे हैं। आपको नुकसान होगा?

श्री शंकर लाल : आपके माननीय सदस्य भी जानते हैं, मैंने शराबबन्दी का सवाल पहले भी उठाया है, पहले की सरकार को भी मैं नहीं बख्शता था। मैंने तो हाउस साइट्स और अलाटमेंट की बात की। शराबबन्दी के मामले में अगर पहले की सरकार ने नहीं किया तो आप कीजिए। मोरारजी भाई भी मानते हैं, यह बुरी कमाई है, तो फिर क्यों नहीं बन्द करते? आप कान्क्रीट बात करते कि पूर्ण शराबबन्दी करेंगे साल भर में, लेकिन आपने कोई तिथि घोषित नहीं की।

श्री प्रद्युम्नसिंह : मनोहरसिंहजी का मुंह बन्द करने के लिए 4 साल की बात कही गई है।

श्री शंकर लाल : एक सदस्य पूर्व में कह रहे थे प्रशासन के बारे में जिससे जनता का ताल्लुक है कि प्रशासन ठीक हो। आज जगह जगह हत्या, जगह जगह चोरी, जगह जगह डकैती हो रही है। बाड़मेर में, पाली में कभी भी दिन-दहाड़े ऐसे काम नहीं

(श्री शंकरलाल)

हुए। अब दिन–दहाड़े हत्यायें हो रही हैं। 28 को झगड़ा हुआ, पुलिस ने कुछ नहीं किया। 30 तारीख को हत्या हो गई। पुलिस कहां सो रही थी? मैंने अखबार में पढ़ा है, बूंदी के पास बच्चे को तालाव में फेंक दिया।

जहां तक प्रशासन का सवाल है, जो कुछ मैंने गत दो तीन महीने में देखा है, राजस्थान के इतिहास में ऐसा नहीं मिलेगा कि एक ही आदमी 7 दिन के अंदर 4–4, 5–5 जगह ट्रांसफर कर दिया गया हो···

(व्यवधान)

मैं किसी अधिकारी का नाम तो नहीं बताऊंगा लेकिन एक अधिकारी ऐसा है जिसका तबादला एक जगह से हुआ, उसने वापस दूसरी जगह जोइन किया। इस प्रकार 4–5 दिन के अन्दर चौथी जगह लगा दिया। मुझे एक बात याद आ गई। जब भूतपूर्व जोधपुर महाराजा के जमाने में जब हाकिम का हुक्म ही सब कुछ था, उस जमाने में एक बार एक कर्मचारी ऊंट पर जा रहा था। ऊंट तो आगे जा रहा था, लेकिन सवार कर्मचारी का मुंह पीछे था। जब दरबार ने उसको देखा तो उसको बुलाया। उससे पूछा, क्या बात है, तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं है? पीछे मुंह क्यों किया है? उसने कहा, एक हफ्ते के अन्दर 20 आदेश मुझे मिल चुके हैं इसलिये मैं पीछे देखता जा रहा हूं कि और भी कोई हुक्म तो नहीं आ रहा है। यही आपकी जनता पार्टी की हालत हो रही है। सरकारी कर्मचारी को एक आर्डर मिलता है लेकिन वह दूसरे आर्डर के इन्तजार में रहता है। मैं ऐसे कई उदाहरण पेश कर दूंगा।

आपने बड़े बड़े उद्योगों की आलोचना की है लेकिन छोटे व कुटीर उद्योगों के बारे में आपने ठोस बात कौनसी रखी है? आप बड़े बड़े उद्योगों की आलोचना तो भले ही करें लेकिन जनसंख्या बढ़ती जा रही है इसलिये आपको बड़े उद्योगों से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। इस संबंध में मोरारजी देसाई ने भी अपने को करेक्ट किया है। उन्होंने कहा है कि छोटे उद्योगों को पनपायेंगे लेकिन बड़े उद्योगों को नष्ट नहीं करेंगे। उनकी बात शायद आप नहीं पढ़ते लेकिन मैं बराबर पढ़ता हूं। आपने कुटीर उद्योगों के लिए भी कुछ नहीं कहा।

शिक्षा के क्षेत्र में मैंने राजनीति का चार्ज लगाया, वही चार्ज मेडिकल के बारे में भी लगाता हूं। जो भी पहले की सरकार ने अस्पताल खोलने के लिए घोषणा की थी, वह आपने रद्द कर दी। गांवों में भवनों की बात थी, 100 नई डिस्पेन्सरीज, 200 नए औषधालय खोलने की घोषणा की थी। दो करोड़ रुपए शिड्यूल्ड कास्ट्स व शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए बिजली के कनेक्शन के लिये रखने की बात थी। सब घोषणायें आपने क्यों रद्द कर दीं? लोगों से कहा था कि तुम्हारे पास मकान हैं, वह डिस्पेन्सरी के लिए दे दो। फर्नीचर लाओ। डाक्टर आने वाला है, कम्पाऊंडर है। वह आपने रद्द कर दी। विकास के काम में जितनी राजनीति लाओगे, उससे फायदा नहीं होगा। आप शुरू शुरू में बोलते तो कोई बात नहीं लेकिन जो घोषणायें हुई है उनको रद्द करने का साहस नहीं किया, दुस्साहस किया है। बने

(श्री शंकरलाल)
हुए को आपने तोड़ दिया, वह गलत है बने हुए को आप कायम रखें।

चिकित्सा सुविधा के संबंध में भी आप अमेंडमेंट करें और इस प्रकार की आज्ञा जारी करें। आज विधायक को भी अपनी दवाइयां उपभोक्ता भंडार से लेनी पड़ती हैं। तो आपने यह क्या आदेश निकाले हैं कि एम. एल. एज. को भी उपभोक्ता भण्डार से दवाइयां लेने पर ही उन दवाइयों के पैसे मिलेंगे। कई बार वहां पर दवाइयां नहीं मिलती हैं तो हमें एन. ए. सी. प्राप्त करने में बड़ी दिक्कत होती है। उपभोक्ता भण्डार वाला जब एन. ए. सी. देता है तो वह ऐसा अहसान करता है कि जैसे वह एन.ए.सी. नहीं देकर कोई अपाइन्टमेंट आर्डर दे रहा है। कोई हम पर अहसान कर रहा है···

श्री रघुनाथ विश्नोई : वह तो पिछली कांग्रेस सरकार ने किया था।

श्री शंकरलाल : अगर पिछली सरकार ने आदेश किये थे तो जैसे दूसरे आदेशों को चेन्ज किया है उसे भी चेन्ज कर दो।

इसके अलावा, सभापति महोदय, बजट में एक जगह हवाला दिया है, उसमें लिखा है कि नेशनल कौंसिल आफ एप्लाइड रिसर्च यह क्या है? हमारी तो समझ में नहीं आता। इसकी कोई किताब हो···

श्री रघुनाथ विश्नोई : सभापति महोदय, यह क्या किताब है? कम से कम हमें अवेलेबल तो होनी चाहिये ताकि हमें पता पड़े इसमें क्या है।

श्री शंकरलाल : इस नेशनल कौंसिल आफ एप्लाइड रिसर्च इन्स्टीट्यूट के बारे में जानकारी तो होनी चाहिये कि क्या यह सरकारी इन्स्टीट्यूट है या गैर सरकारी है? यह भी हमें पता नहीं है।

इसके अलावा अभी 15 अगस्त को कुछ पेम्फलेट बटे थे। उसमें प्रथम पेज पर एक गरीब आदमी बैठा है। उसके पास दीया पड़ा है। तो मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से उसमें राजस्थान की स्थिति का हाल बताया है। हो सकता है कि जो दीया बताया गया वह जनसंघ का द्योतक हो···

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : आप जनसंघ से अभी भी इतने घबरा रहे हैं क्या? वह तो रहा ही नहीं। सारी जनता पार्टी हो गयी।

श्री शंकरलाल : मैं तो नहीं डर रहा हूं। मैं तो जो प्रकाशन किया उसके बारे में बता रहा हूं। गुस्सा तो आपको आना चाहिये क्योंकि आपके अन्दर घटकवाद फैलाने की बात है। वह तो आपको समाप्त करनी चाहिये। बस सिर्फ यही गाना गाने से कि पिछली सरकार ने यह किया और वह किया कुछ होना जाना नहीं है। आप राजस्थान में क्या विकास का काम कर रहे हैं, यह आपने बजट में नहीं बताया। उद्योगों में कमी है उसको बढ़ाओ, शिक्षा का विकास करो। बेकार पिछली सरकार की बुराई करने से क्या फायदा। इसके अलावा आपके अन्दर जो घटक वाली बात फैल रही है उसको रोको। अगर आपको विश्वास नहीं हो तो आप पता लगा लें। सभापति महोदय, जब पिछला सत्र समाप्त हुआ तब मैं पाली गया तो वहां पर लोगों में

(श्री शंकरलाल)

यह बात थी कि जयपुर में आज कैसी सरकार है? यहां से जो लोग गये थे उन्होंने यह बताया कि जयपुर में नेकरिया सरकार है। नेकरिया सरकार का राज है। लोगों ने पूछा कि नेकरिया सरकार का राज क्या होता है? लोगों ने बताया कि अगर आप जनसंघी हैं तो भैरोंसिंह जी मुख्य मंत्री आपका काम कर देंगे, दूसरों का नहीं करेंगे। इसके अलावा अगर आप मास्टर आदित्येन्द्रजी के पास जायेंगे तो समाजवादी का ही काम वह करेंगे। इसी के साथ-साथ अगर कोई पुराना कांग्रेसी होगा तो उसका काम श्री सम्पतराम जी कर देंगे। तो इस प्रकार की व्यवस्था आज वहां है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि घटक वाली बात आप छिपाओ मत। यह बात सही है कि रोग को छिपाने से बीमारी बढ़ती है। आप तो अपने अन्दर जो रोग हैं उन्हें समाप्त करो, हरिजनों पर जो अत्याचार हो रहे हैं उन्हें समाप्त करो, चोरियां व डकैतियां हो रही हैं उन्हें रोको।

आपके इतने बड़े बजट में महंगाई को समाप्त करने के लिए भी कुछ नहीं है, कोई योजना नहीं है। आज आपके जो बड़े बड़े नेता हैं चाहे चन्द्रशेखर जी हैं, चाहे जय प्रकाश नारायण जी हैं, चाहे मोरारजी भाई हैं, सभी मानते हैं कि महंगाई बढ़ रही है, हरिजनों पर अत्याचार हो रहे हैं, उन्हें समाप्त करने के लिये कुछ भी नहीं हो रहा है। गरीबों को राहत देने के लिये आपने कुछ नहीं किया। सभापति महोदय, मैं तो यह कहूंगा कि कुल मिलाकर यह बजट एक निराशावादी बजट के सिवाय कुछ नहीं है। इससे गरीबों का भला होने वाला नहीं है, कोई विकास राजस्थान का होने वाला नहीं है इसलिये मैं इस बजट का समर्थन करने में असमर्थ हूं। बस इतना ही मुझे निवेदन करना है।

श्री सभापति : श्री अजीतसिंह।

श्री अजीतसिंह (टोंक) : सभापति महोदय, आज सदन में 1977–78 का जो परिवर्तित बजट माननीय वित्त मंत्री जी ने पेश किया है उसका समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। सभापति महोदय, सर्वप्रथम तो राज्य सरकार के वित्त मंत्री जी ने जो परिवर्तित बजट का प्रावधान किया है यह 196.53 करोड़ रुपये का किया है। इसमें विशेष तौर से गरीब और पिछड़े लोगों के विकास के लिये धनराशि जो आवंटित की है वह स्वागत योग्य है। इस काम के लिये कोई भी व्यक्ति राज्य सरकार की सराहना किये बिना नहीं रह सकता कि राज्य सरकार ने गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों की ओर ध्यान दिया है। इसके अलावा, सभापति महोदय, राज्य सरकार ने अपाहिजों और गरीब पेंशनर्स के लिये भी 1.20 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इसमें पहले की सरकार ने भी थोड़ी सहूलियतें दी थीं पर जो लोग गांवों में रहते हैं उन्हें बड़ी दिक्कत पेंशन पाने के लिये होती थी। अब उन लोगों को बैंकों के माध्यम से पेंशन मिल सकेगी जिससे जो पहले अधिकारी लोग गड़बड़ियां करते थे वह नहीं होंगी। बैंकों में उन लोगों के खाते खोल दिये जायेंगे और उनकी पेंशन वहां जमा हो जावेगी। इससे गरीब और अपाहिजों को पेंशन पाने में सहूलियत तो होगी। पर, सभापति महोदय, इस

(श्री अजीत सिंह)
बजट के अन्दर गरीब और पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए मकान, रोजी रोटी के बारे में, कपड़े के बारे में कुछ व्यवस्था नहीं की गयी है, इस बजट में इसके लिये कोई जिक्र नहीं किया गया है। सभापति महोदय, पिछली सरकार ने गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों और हरिजनों के हर परिवार से बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत उन्हें मकान की व्यवस्था के लिए प्लाट देने के लिए सौ सौ रुपये लिये थे पर उसने उन्हें कोई मकान नहीं दिया। अब वह पैसे तो, सभापति महोदय, राज्य सरकार के पास जमा हैं लेकिन न तो राज्य सरकार ने उन सौ रुपयों के बारे में कहा न ही उनको मकान देने के बारे में बजट भाषण में कुछ कहा। इसके अलावा समाज कल्याण विभाग ने भी इस बारे में कोई बात नहीं की। समाज कल्याण विभाग उनके लिए कोई व्यवस्था करने को तैयार नहीं है। इससे गरीब हरिजनों और गरीब वर्ग के लोगों में काफी असन्तोष है। इसलिए मेरा निवेदन है कि राज्य सरकार को चाहिए कि या तो उनको मकान दे या उनको उनके पैसे वापस करे। आपने इस बजट में उन गरीब लोगों के उन सौ सौ रुपये के बारे में कोई नीति स्पष्ट नहीं की जो कि की जानी चाहिए थी।

सभापति महोदय, आज गरीब वर्ग के लोगों के लिए रोटी-रोजी का सवाल बहुत ही गम्भीर है। यह बात सही है कि आज लगातार भावों में बढ़ोतरी हो रही है। यह तो सही है कि अनाज के भावों में तो कोई विशेष बढ़ोतरी नहीं हुई है लेकिन उद्योगों के उत्पादन के जो भाव हैं उनमें बहुत वृद्धि हो रही है। आज आप मंहगाई की तरफ ध्यान दें तो आपको पता पड़ेगा कि कपड़े के भावों में बहुत अधिक बढ़ोतरी हो गयी है। आज बीड़ी, माचिस और दूसरे औद्योगिक उत्पादन हैं उनके मूल्यों में भारी बढ़ोतरी हुई है। इसको रोकने के लिए राज्य सरकार क्या कदम उठाने जा रही है, इसके लिए बजट में कुछ भी नहीं कहा गया है इसको राज्य सरकार को कन्ट्रोल करने की आवश्यकता है लेकिन इस बजट में इसका कोई प्रावधान नहीं है। उपभोक्ता वस्तुएं किस प्रकार से आम जनता को सस्ती मिल सकें इसके लिए कुछ भी बजट में देखने को नहीं मिल रहा है। आज जब असेन्शियल कामोडिटीज के बारे में कोई जिक्र बजट में नहीं देखते हैं तो आम जनता के मन में शकायें बढ़ती हैं। तो आखिर राज्य सरकार उनके लिए किस प्रकार की व्यवस्था करना चाहती है, उसका तो उल्लेख होना ही चाहिए। गरीबों को सस्ता कपड़ा उपलब्ध कराने की दृष्टि से कन्ट्रोल का कपड़ा आ तो रहा है लेकिन गरीब उसका फायदा नहीं उठा पाते हैं। उसका वितरण ठीक तरह से नहीं होता है। वितरण उसका ठीक हो और गरीब आदमी को वह उपलब्ध हो ऐसी बात होनी चाहिए जो इस बजट में नहीं है।

सभापति महोदय, जो आम बात है विकास के अवरुद्ध होने की वह दो कारणों से है, एक तो है भ्रष्टाचार और दूसरा, परिवार नियोजन। भ्रष्टाचार पर अब तक कोई भी कन्ट्रोल नहीं हुआ है। भ्रष्टाचार वैसा का वैसा ही चल रहा है। लोग उसी प्रकार से गरीब आदमी को लूट रहे हैं जैसे पहले लूटते थे। कुल मात्रा में बढ़ा ही है लेकिन घटने का काम नहीं, सवाल नहीं। आप कितने ही विकास के लिए साधन जुटायें और विकास करें, उस विकास में जो गति आनी चाहिए वह आ नहीं सकती क्योंकि उसमें

(श्री अजीतसिंह)

ऐसे लोग आकर बैठ गये हैं जो अपने निजी फायदे के लिए विकास कर लेते हैं और गरीब लोगों को उनका फायदा नहीं मिल पाता है और न ही उनका विकास हो पाता है। परिणामस्वरूप वे अविकसित ही रह जाते हैं। भ्रष्टाचार के कई उदाहरण सामने आये हैं। लोकायुक्त है, एन्टीकरप्शन डिपार्टमेंट है, सतर्कता समिति है, उनमें एम.एल.एज. का नोमिनेशन नहीं हुआ है। जनता पार्टी ने, उसकी सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया है। लोकायुक्त निष्क्रिय होकर बैठा है। एन्टी करप्शन में वे ही लोग अप्रोच कर सकते हैं जो खर्चा कर सकते हैं। परिणामस्वरूप या तो शिकायतें रफा दफा हो जाती है या जो पकड़े जाते हैं वे बचकर निकल जाते हैं। भ्रष्टाचार निरोधक विभाग को या तो आप बंद कर दीजिये या जो शिकायतें आयें उनके लिए ऐसी व्यवस्था कीजिये कि उनका सही रूप में निराकरण हो सके। भ्रष्टाचार निरोधक में वास्तविक कोई कदम नहीं उठेगा तो उसको किसी हालत में भी कम नहीं कर सकते हैं। एन्टी करप्शन पर काफी गम्भीरता से विचार करना चाहिए और कोई योजना बनानी चाहिए।

परिवार नियोजन के सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि यह सब ही जानते हैं, कांग्रेस सरकार ने जो तरीका अपनाया परिवार नियोजन के सम्बन्ध में वह तरीका अच्छा नहीं था। परिवार नियोजन की गति को बढ़ाना है, उसको यों ही नहीं छोड़ देना है। यदि परिवार नियोजन के जरिये बढ़ती हुई जनसंख्या को नहीं रोका जायगा तो एक भयंकर समस्या पैदा हो जायेगी और विकास के जो भी कार्य होंगे वह समाप्त ही हो जायेंगे और उनका कोई भी फायदा नहीं मिल सकेगा। परिवार नियोजन के मामले में जबरदस्ती की गयी, लोगों को पकड़-पकड़ कर उनके आपरेशन किये गये, इस कारण जनता बड़ी नाराज थी वरना जनता ने इसको ठुकराया नहीं था। सही तरीका उसके लिये अपनाया जाना चाहिये था। इसके अलावा जो दिक्कत हैं दुनिया भर की उनका भी बजट में उल्लेख होना चाहिये था। जनसंख्या के मामले में कन्ट्रोल नहीं किया तो हालत बदतर हो जावेगी।

सभापति महोदय, 21। हैक्टेयर जमीन को लगान की छूट दी है। इसमें काफी भेद-भाव हो जायेगा। पश्चिमी राजस्थान में 21। हैक्टेयर कोई मायने नहीं रखता है किन्तु पूर्वी राजस्थान में 21। हैक्टेयर बहुत बड़ी बात है। इसलिए मेरा सुझाव है कि 21। हैक्टेयर के बजाय रुपयों पर यह छूट होनी चाहिये। 25 रुपये रख दीजिये कि इतने लगान तक माफी दी जावेगी। हैक्टेयर के रखने से दिक्कतें पैदा हो जावेंगी। पश्चिमी और पूर्वी राजस्थान की बात हो जावेगी और सबसे कमजोर व्यक्ति को राहत नहीं मिल सकेगी। इसलिए हैक्टेयर वाली बात हटा कर रुपयों पर छूट दे दें तो अच्छी बात होगी।

सिंचाई व्यवस्था में भयंकर गड़बड़ियां हैं। इसका उचित उपयोग होना चाहिये वह नहीं हो पा रहा है। आज हालत यह है कि सिंचाई के काम के लिए नहरें बनती हैं लेकिन हमारे पूर्वी राजस्थान में सीपेज होता है उस कारण जमीन बेकार होती जा रही है। चम्बल कमाण्ड हो या और कोई हो, जो लाभ किसानों को पहुँचना चाहिये वह नहीं पहुँच पा रहा है।

(श्री अजीतसिंह)
परिणामस्वरूप करोड़ों रुपया जो खर्च किया है वह बेकार चला जावेगा। सीपेज होता रहेगा तो जमीन कट जावेगी, बेकार हो जावेगी और जो लाभ मिलना चाहिये वह नहीं मिल पायेगा। इसलिये जो दिक्कतें हैं उनको मिटा कर जमीन को खराब होने से बचाइये ताकि यह जो दूसरी समस्या पैदा हो गयी है वह मिट जाय।

बैंकों के द्वारा ऋण दिया जा रहा है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि गयी सरकार ने ऋण व्यवस्था को बिलकुल ही बिगाड़ दिया। गांव में बैठा हुआ महाजन ऋण देने में कतराता है क्योंकि आपने महाजनों के तमाम लोगों पर पुराने ऋणों को कानून के द्वारा खत्म कर दिया। इसलिये या तो जो कानून बनाया उसको वापस लीजिये या ऋण व्यवस्था को ठीक करिये। हर गांव में ऐसा तरीका आप अपनायें कि बैंकों के द्वारा गरीब लोगों को ऋण सही तरीके से मिल सके। ऐसा तरीका आप अपनायें और गरीब लोगों को ऋण उन बैंकों के द्वारा उपलब्ध करायें। इसकी आपको उचित रूप से व्यवस्था करनी चाहिये। आज गांवों में गरीब लोगों के सामने बड़ी भारी दिक्कत है। पैसा उनको मिलता नहीं है। इसके साथ ही साथ राज्य सरकार को यह भी मालूम होना चाहिये कि जो महाजन लोगों को ऋण के रूप में दे दिया करते थे वह बन्द हो जाने से प्राइवेट मनी बिल्कुल ब्लाक हो गया है। यह बात तो निश्चित है और सही है कि कई बेईमान लोग लोगों को, गरीब लोगों को, परेशान करते थे, उनको लूटते थे लेकिन यह बात भी सही है कि बहुत बड़ी रकम प्राइवेट लोगों हाथ में है उसका सही रूप में उपयोग हो। गरीबों के विकास के लिए और खेती के विकास के लिये, गाय भैंस आदि के लिये गरीब लोगों को पैसा मिल जाया करता था वह सब बन्द हो गया। जो प्राइवेट रुपया सारा का सारा इस धन्धे में लगा हुआ था वह बन्द हो गया। एक ओर काश्तकारों के विकास में जो यह पैसा लगता था वह सब का सब बन्द हो गया दूसरी ओर आप उनके लिये कोई ऋण की व्यवस्था नहीं कर पाये। इस कारण बड़ी भारी दिक्कतें गांवों में पैदा हो गयी हैं। इसलिये इन बैंकों के जरिये से या और किसी जरिये से उन लोगों को राहत देनी चाहिये।

पेयजल की समस्या राजस्थान में विकट है। इसका समाधान होना कोई मामूली बात नहीं है। सरकार ने इसके लिए नियम बनाया वह स्वागत योग्य है। बनास योजना बनाने के लिए सरकार से सदन में कई बार निवेदन किया। इसका बड़ा भारी महत्व है। ब्यावर, किशनगढ़, जयपुर जैसे बड़े बड़े शहरों को इसका लाभ मिलेगा। पानी हर मानव के लिए, हर काम के लिये हर उद्योग के लिए आवश्यक है। पिछली सरकार के द्वारा वर्ल्ड बैंक से अनुदान मिलने की बात हुई थी। क्यों उसको खटाई में डाल दिया गया? यह एक इम्पोर्टेन्ट योजना थी जिसको बजट में नहीं दर्शाया गया है। मैं चाहूंगा कि बजट में बनास योजना के लिए प्रावधान हो ताकि जिन चार पांच शहरों का भाग्य इससे बन्धा हुआ है, जिनके लिये यह आवश्यक योजना है उनकी पेयजल की समस्या का आप समाधान करें। इसके अलावा छोटी छोटी योजनायें आपको चालू करनी थीं वह भी आपने पेन्डिंग रखी हैं। कईयों पर काम नहीं हो रहा है और आपके सारे पैसे जाम हो रहे हैं। इन

(श्री अजीतसिंह)

योजनाओं को आप पूरा करवायें और बाद में दूसरी योजनाओं को टेक-अप करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा ।

श्री रघुनाथ विश्नोई : आपकी बातें कोई सुन ही नहीं रहा है ।

श्री अजीतसिंह : रिकार्ड तो हो रही है ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : गृह मंत्रीजी बैठे है ।

श्री केदारनाथ : सुन रहा हूं ।

श्री अजीतसिंह : सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि रीजनल योजनायें पश्चिमी राजस्थान के लिए ज्यादा उपयोगी हैं लेकिन पूर्वी राजस्थान में रीजनल योजनायें आपने लागू की हैं यह ठीक नहीं है क्योंकि उनसे छोटे छोटे गांवों में बड़ी दिक्कतें पैदा हो गयी हैं । बड़ी लम्बी लम्बी लाइनें खींची गयी हैं जब कि वहां वैसे ही सभी जगह पानी की उपलब्धि है । इसलिये अब जो रीजनल योजनायें पूर्वी राजस्थान में बन रही हैं वह मेरे विचार में धन का अपव्यय है और इसको मैं उचित नहीं समझता हूँ । तो आप इसको कन्सीडर करके देखें कि रीजनल योजना पूर्वी राजस्थान के अन्दर लागू होनी चाहिए या नहीं ।

दूसरा निवेदन मुझे परिवहन सेवाओं के बारे में करना है । आपके पास बसें नहीं हैं और जो हैं उनकी हालत खराब है । इसके बावजूद आप और विकास करने जा रहे हैं । तो ऐसी हालत में जब तक आपके पास जो रूट्स चालरेहो हैं उनको ही आप ठीक ढंग से नहीं चला पाते हैं और दूसरे रूट्स को और लेना चाहते हैं । तो इस पर आपको विचार करना चाहिए कि क्या वह रूट्स लेने के काबिल है ? और रूटों का राष्ट्रीयकरण करके उन पर बसें और चलाई जा सकती हैं या नहीं ? इसके ऊपर विचार करके सरकार को आगे बढ़ना चाहिए क्योंकि परिवहन का मामला ऐसा है कि लोग हाथ हिलाते रह जाते हैं और आपकी बसें निकल जाती हैं । आपकी बसें टाइम पर नहीं चलती हैं । साथ ही इसमें दुनिया भर का भ्रष्टाचार है और वह घाटे में चल रही हैं । ऐसी योजनाओं को क्यों आप और बढ़ाना चाहते हैं, यह समझ में नहीं आता । 1 रुपया 62 पैसे के हिसाब से इसमें आमदनी होती है और 1 रुपया 60 पैसा खर्च हो रहा है । तो यह योजना उपयुक्त नहीं है । फिर भी आप आंख मीच कर राष्ट्रीयकरण करते जा रहे हैं । क्या यह जनहित में है ? मैं समझता हूं कि इससे दिक्कतें बहुत बढ़ रही हैं । आप ऐसे रूट्स लीजिए और ऐसा तरीका अपनाइये जिससे कि रोडवेज को फायदा हो । ऐसे रूट्स को आप छोड़ दें जिनसे जनता को परेशानी हो । खराब रूट्स पर आप खराब गाड़ियां लगा देते हैं तो जनता को काफी परेशानी होती है और लोग जनता पार्टी को गालियां निकालते हैं ।

डेयरी योजना के विकास के लिये जो काम किया है और इसके लिये जो सड़कें बनाने का वायदा किया है वह स्वागत योग्य है । सभापति महोदय, डेयरी योजना को जिस ढंग से लागू करना चाहिये था वह नहीं हो पाया है । इसमें भी दूध की खरीददारी नहीं होती । जिस तरह से दूध

(श्री अजीतसिंह)

के ऊपर आदमी रखने वाली बात थी और ट्रेनिंग देने वाली बात थी वह नहीं हुई। गांवों में बूथ बनाकर आदमी को ट्रेनिंग देनी चाहिए। इसलिए मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि उसको तुरन्त लागू कीजिए नहीं तो यह बड़ी भारी लूट हो रही है और लोग मनमाने ढंग से काम करते हैं। इस कारण बड़ी दिक्कतें पेश आती हैं। तो आप रूल्स तय कीजिए और ढंग से काम कीजिए। गरीब और छोटे आदमियों को यह लाभ देने वाली योजना है इसलिए इसकी तरफ पूरा ध्यान देकर इसको पूरा करें।

उद्योगों के लिए आपने 15 लाख रुपया दिया है, यह बहुत कम है। हमारे राजस्थान में 26 जिले हैं और उनके लिए 15 लाख रुपया कम होगा। 15 लाख में क्या उद्योगों को सहायता मिलेगी? तो इसलिए इस राशि को दुगना बढ़ा दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि कम से कम 5–5 लाख रुपया एक जिले के लिए नहीं मिलेगा तो उद्योगों का विकास नहीं हो सकेगा। यह आवश्यक है कि बेरोजगारी की समस्या का हल हो। बेरोजगारी की समस्या का हल तब तक जनता पार्टी नहीं कर पायेगी जब तक जनता में विश्वास नहीं होगा। इसलिए मैं चाहूंगा कि इस राशि को काफी बढ़ा दिया जाये ताकि इससे लाभ मिल सके।

शिक्षा के लिए 520 नयी प्राथमिक शालायें खोली गयीं। यह बहुत कम हैं। कांग्रेस के सदस्य ने भी अभी कहा था कि एक हजार प्राथमिक शालायें खोलने की बात थी तो यह कम क्यों कर दीं? जब आप पढ़े लिखों का पर्सेन्टेज बढ़ाना चाहते हैं तो जब तक स्कूलें नहीं खोले जायेंगे तब तक यह पर्सेन्टेज कैसे बढ़ेगा? इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा प्राइमरी स्कूल खोलिये और जो स्कूल हैं उनको चालू रखिये। आज गांव वालों की मांग यही है कि हमारे यहां स्कूल हो, प्राइमरी स्कूल हो, मिडिल स्कूल हो। शिक्षा के मामले में हम तो पहले ही बहुत पीछे हैं। गांव वाले आपको मकान बना कर देते हैं, आपको सारी सुविधायें देते हैं, ऐसी स्थिति में राज्य सरकार मदद नहीं करना चाहती है तो और क्या रास्ता हो सकता है? आप शहरों के अन्दर कालेज बनाकर देते हैं, होस्टल बनाकर देते हैं और गांव वाले खुद मकान बनाकर देते हैं तब भी मदद नहीं देते हैं। इसकी तरफ आपको ध्यान देना चाहिए। कम से कम मिडिल स्कूल तक की मांग आये तो उसको जरूर पूरा करना चाहिए। अगर पढ़ने वाले लड़के नहीं हैं तो आप उन्हें कैंसिल कर दीजिए लेकिन पढ़ने के लिए लड़के आते हैं और स्कूल की मांग गांव वालों की तरफ से है तो उसको आपको जरूर मानना चाहिए।

इतना ही मुझे निवेदन करना है।

श्री सभापति : श्री रामनारायण जी।

(अनुपस्थित)

शायद वक्ता महोदय नहीं हैं।

श्री हरचन्दसिंह।

श्री हरचन्दसिंह (पीलीबंगा) : माननीय सभापति महोदय, माननीय वित्त मंत्री महोदय ने जो अपना बजट भाषण पढ़ा और उसमें जो कहा गया है उसको देखते हुए ऐसा महसूस होता है कि वास्तव में हम किस

(श्री हरचन्द सिंह)

विकास की ग्रोर जाना चाहते हैं ? प्रजातंत्रीय पद्धति में जो घाटे के बजट पेश किये जाते हैं उनसे भी यह ट्रेण्ड साबित होता है, दिशा साबित होती है कि हम विकास की ग्रोर ग्रग्रसर होना चाहते हैं। लेकिन जिस तरीके से इसमें व्यवस्था की गयी है उसको देखते हुए जैसी हमें ग्राशायें थीं वह ग्रामीण क्षेत्र की ग्राशायें इस बजट मे पूरी होती हुई दिखाई नहीं दीं। ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल संबंधी समस्यायें हैं। लेकिन 33 हजार गांवों की संख्या बताकर उनमें से केवल 13 हजार गांवों में पेयजल ग्राज तक 30 सालों में उपलब्ध कराया गया है ग्रौर 20 हजार गांवों में वह समस्या हेरफेर कर उनकी संख्या तीन भागों में बांटकर कम दर्शाई गयी है। इसलिए विकास की बात बाद में करें, पहले उन लोगों के बारे में सोचना चाहिए जिन लोगों को पीने का पानी मुहैय्या नहीं होता। जिन गांवों के ग्रन्दर खारा पानी है या नारू ग्रादि कीड़ों से प्रभावित पानी है वहां हमको शुद्ध ग्रौर मीठा पानी पीने के लिए उपलब्ध कराने के काम को प्राथमिकता देनी चाहिए। इस बजट में ऐसी व्यवस्था नहीं होने से उन लोगों को बहुत निराशा होगी।

जहां तक शिक्षा का संबंध है, बार बार यह कहा गया है कि हम शिक्षा क्षेत्र के ग्रन्दर काफी प्रगति की ग्रोर बढ़ रहे हैं। राज्य सरकार ने मिडिल स्कूल, हाई स्कूल ग्रौर कालेज खोले हैं लेकिन इनको खोलने की जो प्रवृत्ति है उसमें राजनैतिक ग्राधार नहीं देख पाये तो शहर ग्रौर गांव के भेद को जरूर देख पायेंगे। जहां तक कालेज का सवाल है, शहरों में कालेज खोले गये हैं। कालेज देहाती क्षेत्र में नहीं खोले गये। हमारे देश के ग्रन्दर 80 फी सदी जो लोग देहाती एरिया में रहते हैं उनको इससे ग्राघात पहुंचा है ग्रौर उनकी ग्राकांक्षायें पूरी नहीं हुई हैं।

जहां तक साक्षरता का सवाल है, हमारे शिक्षा मंत्री का एक वक्तव्य शिक्षक दिवस के ऊपर टाइम्स ग्राफ इण्डिया में प्रकाशित हुग्रा है। उसमें इन्होंने बताया है कि साक्षरता के मामले के ग्रन्दर हमारा प्रदेश 21 वें स्थान पर है ग्रौर यही स्थान वित्त मंत्री महोदय ने अपने भाषण में बताया है। हमें इस बात का बड़ा ग्रफसोस है कि साक्षरता के लिये जो प्राथमिक शालायें खोलने की बात कही गई वह प्रतिशत भी देहाती जनता के प्रतिशत को देखते हुए बहुत कम है। उसका भी केन्द्रीयकरण शहरी क्षेत्र में किया गया है। इससे भी देहाती लोगों के मन पर ग्राघात पहुंचा है ग्रौर उनकी ग्राकांक्षायें पूरी नहीं हुई हैं।

शायद वित्त मंत्री को यह वहम हो, जहां बेरोजगारी की समस्या के समाधान का उन्होंने इस बजट भाषण में जिक्र किया है वहां वे सोचते होंगे कि देहाती लोग एम्पलायमेंट एक्सचेंज तक नहीं पहुंच पाते हैं इसलिये ग्रामीण बेरोजगारों की संख्या इसमें शामिल नहीं है। देहाती लोग ग्रगर ज्यादा शिक्षित हो जायं तो बेरोजगारी के संबंध में ग्रौर ज्यादा चिन्ता करनी पड़ेगी, यह शायद उनके मन में होगा इसलिये हो सकता है हाई स्कूल, मिडिल स्कूल ग्रौर कालेज देहाती क्षेत्र में नहीं खोलकर ग्रागे ग्राने वाली समस्या से बचने का रास्ता निकाला है। यह बड़े ग्रफसोस की बात है।

(श्री हरचन्द सिंह)

जहां तक नशाबन्दी का सवाल है, हमारे देश में मद्यपान का एक बहुत बड़ा रोग मानव जीवन में एक प्रकार से केन्सर के समान है। सारे देश में इस मद्य निषेध के ऊपर करीब करीब सभी पार्टियां हामल भरती हैं लेकिन जब करने का सवाल आता है तो उनका कदम पीछे उठता है। शरीर के एक हिस्से में यदि केन्सर हो जाये तो जल्द से जल्द उस हिस्से को अगर आपरेशन करके भी दूर करना पड़े और मानव के जीवन की रक्षा हो सके तो बहुत उत्तम होगा। मैं मानता हूं कि मद्यनिषेध से बजट प्रभावित होगा लेकिन यह नशा प्रवृति हमारे देश में इतनी भयंकर होने के साथ हमारे सामाजिक कार्यक्रमों पर बहुत ज्यादा प्रभाव डाल रही है। मैं चाहूंगा कि इस नासूर को समाप्त करने के लिए बजट में पूर्ण नशाबंदी लागू की जानी चाहिये थी। यह न करके अपने मन की शंका को कारण हमारे सामने पेश किया गया है। इससे हमें संतोष नहीं है।

दूसरा, इस आबकारी विभाग में जिस तरीके से भ्रष्टाचार है, शराब की दुकानों की नीलामी के वक्त जिस तरीके से भ्रष्टाचार का मसला हमारे सामने आया है उसकी मेरे पास फोटो स्टेट कापी है जो माननीय सभापति महोदय को पेश करता हूं। जोधपुर जिले के आबकारी अधिकारी ने एक दुकान 30,430 रुपये में नीलाम की और उसके आर्डर्स जारी कर दिये। उसी दौरान में ठेकेदार महोदय ने शायद जिला आबकारी अधिकारी महोदय से कोई पेशकश की, पत्रावली के ऊपर आर्डर्स हैं, उसी क्रम संख्या के आर्डर से वह नीलामी रकम 3200 दिखाई गई है। ऐसी भ्रष्ट वृत्ति को रोका जाये वरना सारे के सारे बजट का सन्तुलन बिगड़ जायेगा।

सिंचाई योजनायें, देश के विकास की आधार शिला हैं यह मैं मानता हूं लेकिन आज सिंचाई योजनाओं में एक तरीके से भ्रष्टाचार व्याप्त है। राजस्थान नहर परियोजना देश में सबसे बड़ी परियोजना है। उस पर जो नियमित व्यय होना था उसमें बार बार परिवर्तन किया गया है और योजना अभी भी पूरी नहीं हुई है। उसका एक कारण यह है कि उस योजना में जो इन्जिनियर्स हैं वे भ्रष्टाचार से लिप्त हैं। जो राशि उस योजना को पूरा करने में लगाई जानी है वह गलत बातों में और दूसरे खातों में चली जाती है। इस कारण योजना की प्रगति प्रभावित होती है। योजना पूरी करने में भ्रष्टाचार बहुत बड़ी बाधा बन गया है। यह हमारे सामने चुनौती है। चाहे कितनी बड़ी योजनायें हम बना लें, यदि भ्रष्टाचार समाप्त नहीं होगा तो बार बार हमें योजनाओं के बजट रिवाइज करने पड़ेंगे और योजनायें प्रभावित होंगी।

प्रशासनिक मामलों का जहां तक सवाल है, एक तरफ हम बात करते हैं विकेन्द्रीकरण की दूसरी तरफ हम केन्द्रीयकरण कर रहे हैं। जिला हैड क्वार्टर के ऊपर हम सारे के सारे प्रशासनिक कार्य केन्द्रित कर लेते हैं। दूर-दूर के इलाकों का जिला अधिकारी को पूरा पता नहीं होता। गंगानगर जिले के अन्दर मैं हनुमानगढ़ सब-डिविजन की बात करूं। हनुमानगढ़ सब-डिविजन में करीब 1100 गांव हैं और उसके अन्दर एक एस.डी.एम., दो एक्स्ट्रा मजिस्ट्रेट लगे हुए हैं। तीनों अधिकारी हनुमानगढ़ में ही केन्द्रित कर दिये

(श्री हरचन्द सिंह)

गये हैं। उनको इस कारण गांवों के आधे भागों में भी पहुंच नहीं है। उनको पता नहीं है कि लोगों की क्या समस्यायें हैं। परिणामस्वरूप प्रशासनिक कुशलता जहां आनी चाहिए थी वहां रुकावट आ गई है। जब किसी अधिकारी का पोस्टिंग करते हैं तो उसके बच्चों का ख्याल करते हैं। जहां उनके बच्चों को पढ़ने की सुविधा होती है वहां उनका हैड क्वार्टर कर दिया जाता है लेकिन गांव के लोगों के बच्चों का ध्यान नहीं रखा जाता। इसलिए जो पैसे वाले हैं, प्रशासनिक सेवा में जो लोग हैं, वे चाहते हैं कि उनके बच्चों को जहां शिक्षा की सुविधा है उनको वहीं जगह मिलनी चाहिए। जहां देहाती लोग हैं, गरीब लोग हैं, वहां पर जाने में वे संकोच करते हैं। इसलिए इससे बजट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा अगर उन कर्मचारियों को डी–सेन्ट्रलाइज करके दूर दूर गांवों में जहां जरूरत है, वहां तैनात किया जावे। इससे प्रशासन में चुस्ती आयेगी।

बीकानेर जिला गंगानगर जिले के अर्जुनसर से शुरू होता है। जिला हैडक्वार्टर से 145 किलोमीटर दूर है और उधर कई जिलों की बाउन्ड्री 40 किलोमीटर दूर है। इसलिये इतने लम्बे-लम्बे जो दूर दराज के इलाके हैं जिनको हैडक्वार्टर्स की फेसेलिटीज नहीं मिल पातीं, उन जिलों का रिआर्गेनाइजेशन होना निहायत जरूरी है।

दूसरी एक बात देहाती विद्युतीकरण की कही गई है और उसके लिये बजट में प्रावधान भी किया गया है। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हम एक तरफ तो यह कहते हैं कि हम समाजवादी समाज की तरफ बढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ हमारा बजट हमें उसके विरोधाभास की स्थिति में लाकर खड़ा कर देता है। जहां करोड़ों रुपयों का इन्वेस्टमेंट हुआ है वहां तो हम बिजली पांच पैसा प्रति यूनिट के हिसाब से इन्डस्ट्रीज को सप्लाई करते हैं जब कि हमारा बिजली का प्रोडक्शन भी पांच पैसा है। इसके विपरीत जहां कृषि उत्पादन का सवाल है, वहां जो बिजली मुहैय्या कराई जाती है उसके लिये 25 पैसे प्रति यूनिट की दर के हिसाब के साथ-साथ मिनिमम चार्जेज भी रख रहे हैं।

हमारी जनता पार्टी ने अपने घोषणा-पत्र में जो वायदे किये हैं और जो प्रशासन का मार्ग प्रदर्शित करने की गाइड लाइन दी है उसमें कहा है हम एक और दस के अनुपात में बढ़ेंगे। यह घोषणा पत्र के प्रतिकूल हो रहा है इसलिये मैं माननीय सभापति जी के माध्यम से माननीय मंत्री महोदय को यह कहना चाहूंगा, अगर आप और कुछ नहीं कर सकते है तो कम से कम इतना तो करिये कि इन्डस्ट्रीज में दी जाने वाली बिजली और कृषि व्यवसाय में खपत की जाने वाली बिजली की जो दरें हैं, उन दोनों में समानता हो, उसमें इतना बड़ा भेद नहीं होना चाहिये, जिससे हम लोग राहत महसूस कर सकें। इससे बजट पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा लेकिन हम लोगों को राहत मिलेगी और जो बड़े इन्डस्ट्रियलिस्ट हैं वे भी इसको महसूस नहीं करेंगे।

खान और खनिज हमारे प्रदेश के अन्दर प्रचुर मात्रा में हैं। कुछ ऐसे खनिज भी हमारे यहां उपलब्ध हैं जिनका सीधा सम्बन्ध कृषि से है, जैसे जिप्सम। जिप्सम प्रचुर मात्रा में पाया

(श्री हरचन्द सिंह)

जाता है। जिप्सम खाद का कच्चा माल है। करोड़ों टन जिप्सम यहां से खोदकर सिन्दरी भेजा जाता है और वहां से तैयार माल राजस्थान, पंजाब और हरियाणा को खाद के रूप में भेजा जाता है जिसमें ट्रान्सपोर्ट के चार्जेज इतने हो जाते हैं कि वह हमको यहां महंगी मिलती है। इसलिये मैं सभापति महोदय के माध्यम से वित्त मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस बजट के अन्दर ऐसी व्यवस्था कर दी जाती कि सार्वजनिक क्षेत्र में जहां जिप्सम प्रचुर मात्रा में है, वहां एक खाद का कारखाना लगाया जाय ताकि इस प्रदेश को सस्ती खाद मुहैय्या हो जाय। इससे कृषि उत्पादन भी बढ़ता और किसान राहत महसूस करता। इसलिये मेरा विशेष रूप से अनुरोध है कि गंगानगर जिले में जहां से करोड़ों टन जिप्सम सिन्दरी जाता है वहां सार्वजनिक क्षेत्र में एक खाद का कारखाना लगाया जाय। खाद के कारखाने के लिये और जो आवश्यकताएं हैं वे भी वहां मुहैय्या हो सकती हैं। प्रचुर मात्रा में पानी है और बिजली अगर बिजली मंत्री महोदय खुश हों तो हमें मिल सकती है। पानी हमारे पास बहुत ज्यादा है इसलिये वहां खाद का कारखाना लगाया जाय तो जिले की हरित क्रान्ति में वृद्धि होगी और कृषक वर्ग भी समृद्धशाली बनेगा।

वित्त मंत्री महोदय ने जो दो-तीन रियायतें दी हैं। कृषि उप-कर समाप्त करने की जो घोषणा आपने की है वास्तव में कृषक समाज इसके लिये आपका शुक्रिया अदा करेगा। इसके साथ ही मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि ट्राली टैक्स के बारे में कोई बात नहीं कही है। मैं चाहूंगा कि ट्रक-ट्राली भी काश्तकार का एक औजार है, हथियार है इसलिये इस पर कोई टैक्स नहीं रहना चाहिये जिससे कृषि उत्पादन में बढ़ावा मिले।

इसके अलावा . . .

एक माननीय सदस्य : वापस लगा दिया इन्होंने।

(व्यवधान)

श्री हरचन्द सिंह : इसके साथ जो ट्यूब वैल्स पर मिनिमम प्रायोरिटी लिमिट है उसे समाप्त करने की घोषणा की जाय तो वह काश्तकार के बहुत हित में होगा। जो ढाई हैक्टेयर पर लगान माफ करने की घोषणा की है, उसके बजाय वास्तव में 50/- रु. तक जो लगान देते हैं, चाहे सिंचित हो या असिंचित केवल 50/- रु. तक देने वाले जो लोग हैं उनको ही राहत दी जाय, ऐसी मैं आकांक्षा करता हूं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मेरा स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री सभापति : श्री रतन लाल वर्मा।

श्री रतन लाल वर्मा (भिनाय) : सभापति महोदय, बजट आया, भाषण हुआ, कुछ सन्तुष्टी हुई और कुछ असन्तुष्टी हुई। असन्तुष्टी के कारण क्या हैं वह मैं थोड़े शब्दों में निवेदन करता हूं। 30 वर्ष कांग्रेस ने राज्य किया और 30 वर्ष तक उन्होंने बजट बना-बना कर प्रस्तुत किया लेकिन उसमें गांवों के विकास के लिये किंचित मात्र भी कोई कदम नहीं उठाया। इस बजट में यह कदम जरूर उठाया कि किसानों की किराना फसलों पर कर जो

(श्री रतनलाल वर्मा)

कांग्रेस सरकार ने उप-कर लगाया था, उसको हटा दिया, उसको जनता पार्टी ने हटा दिया

(व्यवधान)

आप सुनिये तो सही ।

यह काम तो इस बजट के अन्दर किसानों के हित का हुआ है लेकिन जहां तक दूध उत्पादन का सवाल है, पशु-पालन का सवाल है मैं, सभापति महोदय, निवेदन करूं कि डेअरी जयपुर में है, अजमेर में है, जोधपुर में है लेकिन उनमें गाय, भैंस 4–5 भी नहीं है और डेयरी का नाम दे रखा है। मैं स्पष्ट निवेदन करूंगा इन डेअरी में बहुत बड़ा घोटाला होने लग गया है। बिल्कुल स्पष्ट बात है कि जिन किसानों के घरों में, जिन गरीब किसानों के घरों में दूध पैदा होता है उन गरीब किसानों के बच्चों को तो छाछ मिलना तक बन्द हो गया। जहां पहले उनको छाछ मिलती थी आज हरामखोर खाने लग गये हैं। इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। सभापति महोदय, जब दूध लिया जाता है, उस किसान से उस यूनिट पर उस वक्त तो बीस लीटर दूध होता है मगर जब उसकी रिपोर्ट मिलती है तो मालूम होता है कि दूध 18 लीटर ही रहा। जो दूध लेकर जाने वाले हैं जो जमा कराने वाले हैं वे बीच में चीमागोई कर जाते हैं और दूसरों के नाम से दूध दिखा कर उसका पैसा खुद रख लेते हैं। इसकी जांच की जाय तो मैं इसको साबित करने के लिये तैयार हूं। हर दूध की डेअरी का यही हाल हो रहा है। ये लोग पैसे खाते चले जा रहे हैं और गरीबों के बच्चों को दूध तक नहीं मिल रहा है। इसलिए यह जो डेअरी की स्कीम है इस पर फिर से विचार किया जाय और गम्भीरता से इस पर बहुत सोच विचार किया जाय। जितना किसान इसमें फंसता जायगा, जितना पैसा खर्च होता जाएगा उतना ही किसान कमजोर होगा। किसान यदि दूध नहीं पी सकेगा, उसको घी नहीं मिल सकेगा, उसको छाछ नहीं मिल सकेगी तो वह पुरुषार्थी नहीं हो सकेगा। वह पुरुषार्थ प्राप्त नहीं कर सकता, वह ताकतवर नहीं हो सकता, पुरुषार्थी नहीं हो सकता तो वह लगन से, मेहनत के साथ खेती नहीं कर सकता। खेती बातों से नहीं होती है। सभापति महोदय, खेती बातों से नहीं होती है, कागजों के अन्दर लेख लिखने से खेती नहीं होती है, दीवारों पर पोस्टर चिपकाने से खेती नहीं होती है, अधिकारियों को बड़ी बड़ी तनख्वाहें देने से नहीं होती है। खेती मेहनत और परिश्रम से होती है। जब चोटी से पसीना एडी तक जाता है तब गेहूं की फसल होती है। लेकिन हमारी सरकार कागजों के अन्दर योजनाएं बनाती है। किसानों को धोखा दिया गया है, किसानों को गड्ढे में उतारा गया है। मैं आपको साफ कहता हूं कि पिछले तीस सालों में किसानों के साथ यही हुआ है। पहले भी यही होता रहा है और आगे भी यही होता रहेगा और मैं कहता हूं यह जरूर होगा। 33 करोड़ की योजना विश्व बैंक से आ रही है लेकिन मैं कहता हूं उससे भी कुछ होने वाला नहीं है सिवाय टी.ए.,डी.ए. में खर्च करने और जीपों में पैट्रोल जलाने के सरकारी नौकरों का पालन करने के कोई चीज नहीं होगी। इसमें तालाब की मोरियों को पक्का बनाने का कोई जिक्र नहीं है, किसानों के कुओं के घोरे पक्के बनाने का कोई जिक्र नहीं है।

(श्री रतनलाल वर्मा)

(व्यवधान)

तो, सभापति महोदय मैं यह निवेदन करूं कि यह जो योजना बनाई जा रही है और अभी भी यह लघु सिंचाई की योजना तैयार की गई है इसके बारे में मैं निवेदन करूं कि एक बांध बनाया जा रहा है उस पर पांच करोड़ रुपया खर्च होगा । राजस्थान नहर पर अरबों रुपया खर्च हो रहा है, अरबों रुपया खर्च हो गया और अरबों रुपया अभी भी खर्च हो जाएगा। जब किसान उसके पानी से खेती करेगा, और फसल पैदा करेगा, उस वक्त किसान से पिलाई ली जाएगी । लेकिन एक किसान ने लैंड मोर्टगज बैंक से अपना कुआ खोदने के लिए पांच हजार रुपया कर्ज का लिया और कुआ खोदते वक्त चट्टान निकल गई और एक बीघा की सिंचाई लायक भी पानी नहीं मिला तो साल—डेढ़ साल का समय तो कुआ खोदने में लग गया, किसान कर्जदार हो गया, कर्ज पर ब्याज जिस दिन रकम बैंक से निकली उसी दिन से चालू हो गया दस पर्सेंट, पन्द्रह पर्सेंट जो भी ब्याज लगता है, वह चालू हो गया। रकम लेते ही वह कर्जदार हो गया । सभापति महोदय, यह कोई छोटी सी बात नहीं है । एक तरफ जो एक किसान लघु सिंचाई करता है, कुआ खोदता है, वह कर्ज लेता है और कर्जा ले कर के कुआ खोदता है, कर्जा ले कर के नाड़ा बनाता है, उस पर ब्याज की मार पड़ती है, वह कर्जदार होता है और दूसरी तरफ सरकार करोड़ों रुपया लगा लगा कर के बांध बना रही है। छोटे किसानों के लिए सरकार अगर लगान समाप्त नहीं कर सकती, खेती के लिए पानी का इन्तजाम नहीं कर सकती तो मैं स्पष्ट शब्दों में कह देना चाहता हूं कि मशीनगनें लगा कर छोटे छोटे गरीब किसानों को भून देना चाहिए ताकि किस्सा ही समाप्त हो जाय । यह बिल्कुल सही बात है । मैंने छोटे किसान की हालत देखी है। एक कुआ खोदने में पांच हजार रुपया लग जाता है और ब्याज शुरू हो जाता है। सिंचाई करने के लिए दो बैल भी चाहिए, दो बैलों के साथ चरस चाहिए । एक और एक किसान की औरत के बच्चा हो जाय तो दस दिन का नावण पूजा है, उसके घर में कोई दूसरा आदमी नहीं होता तो उस औरत को पानत में खड़ा होना पड़ता है लेकिन दूसरी ओर दो दो हजार रुपया पाने वाले ऑफिसरों की बीबियां और बच्चे सरकारी जीपों में घूम रहे हैं । अभी भी घूम रहे हैं । अभी भी सरकारी जीपें, सरकारी मोटर सिनेमाओं के सामने मिलेंगी। रामनिवास बाग में मिलेंगी और आमेर में मिलेंगी । आज भी सरकारी अधिकारियों की बीबी और बच्चे घूमते हैं और उस किसान की औरत जिसके दस दिन का बच्चा नहीं हुआ खेत में पाणत कर रही है। सभापति महोदय, एक किसान को, आप सोचिए विचार करिये कि बैल के लिए कर्ज लेना पड़ता है वह कोआपरेटिव का कर्जदार हो जाता है, वह लैंड मार्टगेज का कर्जदार हो जाता है, बीज और खाद के लिए कर्जदार हो जाता है। अगर फसल पैदा नहीं हुई तो इसमें उसका कोई दोष नहीं होता। भगवान ने बरसात नहीं करी इसलिये फसल पैदा नहीं हुई इसमें उसका कोई दोष नहीं होता। अब इस साल बरसात से फसल गल चुकी है और वह कर्जदार का कर्जदार हो गया है । आज लैंड मार्टगेज डिपार्टमेंट की जीप, सैंट्रल कोआपरेटिव

(श्री रतनलाल वर्मा)

बैंक की जीप उसकी छाती पर कर्जा वसूल करने के लिए खड़ी हुई है। वह छुपता फिरता है, नजरें बचाता फिरता उस है। इधर पंचायत समिति का कर्जा उस पर अलग से है। पंचायत समिति का पटवारी कर्जा वसूल करने के लिए मुंह फाड़े खड़ा है। वह उस किसान को निगल जाना चाहता है। तो सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस थोथी योजना से, इस थोथे आडम्बर से उस किसान का हित होने वाला नहीं है। लघु सिंचाई के लिये मेरा निवेदन है कि जिन किसानों ने इस्तमरारदारों के समय में कुए खोदे हैं, महाराजा जयपुर और महाराज किशनगढ़ और ठिकानों के टाइम में, छोटे छोटे ठिकानों के टाइम में कुए किसान ने खोदे हैं, उस वक्त भी इस्तमरारदारों ने किसान का कुआ कभी नहीं माना और उसका मुआवजा सरकार ने इस्तमरारदारों और जागीरदारों को दिया है। कोई बात नहीं, अभी तक तो आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी लेकिन आज भी आपकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। उसको खोलो पहले भी कुआ किसान ने खोदा, आज भी किसान कुआ खोद रहा है लेकिन इस बजट के अन्दर किसान को कोई अनुदान देने का प्रावधान नहीं है किसान की कर्जदारी का प्रावधान है। उसको यह कर्जा दिया जायगा, उसको कुए के लिए कर्जा दिया जायगा। इसमें प्रावधान है कि 14 हजार मीटर लम्बी नाली बनाई जायगी। यह कोई शहर है कि जहां चौदह हजार मीटर लम्बी नाली बना देंगे और पानी बह कर चला जायगा। चौदह हजार क्या होती है? एक मील होता है। यह अजीबो गरीब स्थिति है, सभापति महोदय, इस बजट के अन्दर। चौदह हजार मीटर लम्बी नाली बनाई जाएगी। बड़ी अजीबो गरीब समस्या है। कोई किसान की परिस्थिति को समझने की कोशिश नहीं करता। न खुद समझते हैं और न समझने की कोशिश करते हैं न राहत पहुंचाने की बात सोचते हैं। इसलिए···

श्री मूलचन्द डागा : आप इनको समझाओ।

श्री रतनलाल वर्मा : यह किसानों की समस्या है, हम अपने आप समझ लेंगे आपकी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने तो तीस साल तक खूब लूटा है। मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूँ कि आज जनता पार्टी का राज है। तीस साल तक कुशासन था। तीस साल की कोशिश के बाद आज मौका मिला है। मुझे ऐसा लगता है कि वैश्यायें भी सतियां बनती जा रही हैं। इनकी बात से, इनकी विचार-धारा से ऐसा मुझे प्रतीत होता है कि वैश्यायें सती बनती जा रही हैं। तो, सभापति महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि जिस प्रकार जो उधर से इधर स्थान बदल कर आ गये हैं उनके विचार बदल गये हैं शायद इधर आकर इनके विचार भी बदल सकते हैं।

सभापति महोदय, मेरा यह निवेदन है कि सिर्फ एक ही मंत्री महोदय यहां पर मौजूद हैं, दूसरे मंत्री महोदय सब गायब हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप मेहरबानी करके मुख्य मंत्रीजी से, राजस्व मंत्रीजी से, सिंचाई मंत्रीजी से मेरी बात कहिए, उन तक मेरी बात पहुंचाइये कि या

(श्री रतनलाल वर्मा)

तो किसानों को कुओं का मुआवजा दीजिए, या मुआवजा नहीं देते हैं तो चाही भूमि का लगान समाप्त करिये और बारानी भूमि का लगान समाप्त करिये तभी जाकर किसान को लघु सिंचाई में सहायता मिलेगी। जो पैसा चाही भूमि के लगान के रूप में वसूल किया है उस पैसे को उन्हीं किसानों को अनुदान के रूप में पक्की नालियां बनाने के लिए, कुओं के धोरों को पक्का बनाने के लिए अनुदान के रूप में दे दें तो आपका उत्पादन अपने आप बढ़ जाएगा। जहां दस बीघा की पिलाई उस कुए से होती है वहां 15 बीघा जमीन की पिलाई उससे होने लग जाएगी और किसान की मेहनत वही रहेगी, यह मेरा आपसे नम्र निवेदन है।

इसी तरह से जिन किसानों ने नाडे बनाए हैं, नाडे से मतलब है छोटे तालाब। इन नाडों को बनाने में किसान ने खुद ने महनत की है, उसने अपने बाल बच्चों व अपने पेट पर पट्टी बांध कर इनको बनाया है, अपने बाल बच्चों और घर की औरतों के साथ रात दिन महनत करके 100.100 फीट प्रति व्यक्ति मिट्टी रोज डाल कर इन नाडों को तैयार किया है। सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इन नाडों की जमीन को तालाबी घोषित कर दिया और तालाबी का लगान भी लगा दिया, आबी का लगान लिया जाता है परन्तु वह भी नहीं छोड़ा जिन किसानों ने स्वयं ने मेहनत कर नाड़े बनाए हैं, उन किसानों को मुआवजा दिया जाए। यदि मुआवजा नहीं दिया जाए तो उसने जो महनत करके तालाब बनाया है और जमीन को तालाबी बनाया है, उसका लगान सरकार माफ कर दे और लगान भी माफ नहीं कर सके तो उससे बारानी जमीन का लगान लिया जाये। यह भी सरकार कर दे तो हम को सन्तोष हो जाय, विश्वास हो जाय कि हकीकत में किसानों को राहत दी जा रही है, परन्तु वह भी नहीं मिली है। इसके कारण आज किसानों में असन्तोष है और हम असन्तुष्ट हैं।

आप क्या कर रहे हैं—सूअर पालन करेंगे। सूअरों का पालन करेंगे। अरे, तीस साल तक सूअर ही पले हैं और आप फिर सूअर पाल रहे हैं। तीस साल कांग्रेस ने सुअर ही तो पाले हैं। कौनसी गाय पाली हैं या भैंस पाली हैं। या तो मुर्गे पाले या सूअर पालन किया। इसलिए मेरा सरकार से, सभापति महोदय, आपके माध्यम से निवेदन है कि यह सूअर पालन, मुर्गी पालन तो तीस साल तक हो चुका। महरबानी कर के इनको अब बंद करो और गाय, बैल पालन का कार्यक्रम चलाओ ताकि गरीब किसान को राहत मिले। यह एक गंभीर बात है। इस पर सरकार को विचार करना चाहिए।

सभापति महोदय, मेरा एक और निवेदन है। इस बजट भाषण में यह भी बताया गया है कि 50 नए पशु चिकित्सालय खोले जाएंगे। अभी, सभापति महोदय, एक एक पंचायत समिति में तीन तीन जानवरों के डाक्टर हैं और आदमियों का एक डाक्टर है। कांग्रेस के राज्य में तो जानवरों को ही महत्व दिया गया इसलिए जानवरों के डाक्टर, कम्पाउन्डर ज्यादा हैं। पशुओं के अस्पताल ज्यादा खोल दिए गए हैं और आप भी यही काम कर रहे हो। अरे भई, नकल मत करो। नकल भी करो तो अकल से काम

(श्री रतनलाल वर्मा)

लो। कम से कम आदमियों की बात भी सोचो ताकि गरीबों का भी हित हो। सभापति महोदय, उस गरीब किसान को यह नहीं कहा गया इस बजट में कि जिसकी कर्जा चुकाने की क्षमता नहीं है, जो कोग्रापरेटिव का कर्जदार है, पंचायत समिति का कर्जदार है, लैन्ड मोर्टगेज बैंक का कर्जदार है उस किसान का कर्जा माफ कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं कहा गया है तो फिर उत्थान किस का करना चाहते हैं ? किस का उत्थान होगा, यह मेरी समझ में नहीं आ रहा है। क्या सूअर पालन और मुर्गी पालन करने वालों का उत्थान हो रहा है ? किसान तो कोई सूअर नहीं पालता है, मुर्गी नहीं पालता है। वह तो गाय पालेगा या भैंस पालेगा। उससे कहा गया, बछड़ा पालो। बिना गाय के बछड़ा कहां से आएगा। आप पैदा कर दें। क्या कोई इन्जेक्शन आपने ईजाद कर दिया है कि बछड़ा अपने आप पैदा हो जाएगा। इस विषय में मेरा यह निवेदन है कि किसानों को कर्जदार बनाने की बात मत करो। किसान कर्जा लेकर चुका नहीं सकता। किसान आज दुखी है। आज कांग्रेस के पाप का भार उस किसान के सिर पर चढ़ कर बोल रहा है उसको परेशान कर रहा है। उसके साथ ज्यादतियां हुई। परिवार नियोजन में ज्यादती हुई और उसका नतीजा यह है कि हम आज सत्ता में बैठे हैं। सत्ता में बैठ कर हम यह कहें कि किसान को जाग्रत करो, संगठित करो। यह कोई अकलमन्दी की बात आप नहीं कह रहे हैं। उसकी वजह से ही तो आप सत्ता में आए हो। सड़क पर डोल रहे थे, साईकिल पर चल रहे थे और उसकी बदौलत आज आप कारों में घूम रहे हैं, तिरंगे झण्डे वाली कार में घूम रहे हैं और फिर कहते हैं, किसानों का संगठन होना चाहिए, गरीबों को संगठित होना चाहिए। यह क्या बात हुई ? यह कोई समझदारी की बात नहीं है।

सभापति महोदय मैं आपके जरिए मंत्री महोदय को यह निवेदन करना चाहता हूं कि गरीबों का उत्थान करने के लिए सिर्फ एक योजना इसमें आई है और वह है वृद्धावस्था पेन्शन। पहले 50 लाख रुपये का प्रावधान था उसको बढ़ा कर आपने एक करोड़ कर दिया। यह सराहनीय कदम है। जो अप्रवाहित है, अपंग हैं, उनके लिए आप ने ठीक किया है परन्तु यह भी हाथी की सूंड़ में तिल के समान है। गांव जितने हैं, एक एक गांव में भी 5-7 ऐसे आदमी हों तो उनके हिस्से में कितना रुपया आएगा ? इसके लिए जो आपने फार्म बनाया है वह भी लम्बा चौड़ा दो पेजों का फार्म है। इसको आप सरल बनाइये। उसका नाम, पिता का नाम, गांव का नाम, तहसील और जिला, इतनी ही बात उसमें हो और सरपंच उसको वेरीफाई कर दे, एम. एल. ए. वेरीफाई कर दे या तहसीलदार, एस. डी. ओ. वेरीफाई कर दे और कलेक्टोरेट द्वारा उसको पेंशन मन्जूर हो जाए। ऐसा आप करेंगे तो लोगों को राहत होगी। अभी इस फार्म के दो पेज हैं।

श्री मूलचन्द डागा : आपका ही वेरीफिकेशन काफी होगा।

श्री रतनलाल वर्मा : तो, सभापति महोदय, इसमें परिवर्तन करना चाहिए।

इधर यह वन विभाग है। यह डाकू डिपार्टमेन्ट है। जिन जिन सदस्य महानुभावों

(श्री रतनलाल वर्मा)

के एरियाज में जंगलात हैं उनको यह मालूम होगा कि यह डिपार्टमेन्ट शराबी है, लूटेरा है, बेईमान है। ये सारे अवगुण इस डिपार्टमेन्ट में आ गये हैं। यह मेरा खुला आरोप रहा इस पर भी इस बजट में यह कहा जा रहा है कि किसानों को झाड़ियां दी जाएंगी, टहनियां दी जाएगी, पौधे दिए जाएंगे। अरे कांग्रेस वालों ने भी अरबों, खरबों पौधे लगाए हैं। उनमें से क्या पांच पौधे भी लगे हैं? फिर आप करोड़ों रुपया खर्च करने की बात सोच रहे हैं। पहले का हिसाब तो मेहरबानी कर के आप बता दीजिये। सभापति महोदय, आपके द्वारा मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि सन् 1954 से लेकर दिसम्बर 1976 तक कितने तो पौधे लगाये गये और इन पौधों के लगाने पर वन विभाग ने कितना पैसा खर्च किया? इसका हिसाब दो-पांच दिन में जब भी आप उचित समझें तो सदन के सामने रखें। कितना पैसा खर्च हुआ और उससे आपको कितनी सफलताएं मिली, इस पर भी विचार किया जाए। यह नहीं सोचा गया कि किसान को लाभ मिल रहा है या नहीं? सभापति महोदय, मेरे पास गाय है। गाय के चरने के लिए जंगलात विभाग दस रुपया एक गाय का लेता है। मैं यहां पर उदाहरण दे रहा हूं। दस रुपया एक गाय का एक किसान जंगलात विभाग को देता है। उस पर श्री वन मन्त्री महोदय ने लिख कर दिया है। डिपार्टमेण्ट को आठ–दस रोज पहले लिखकर दिया है। इस डिपार्टमेण्ट में डी.एफ.ओ. और ऊपर से लेकर नीचे तक चूकते के चूकने भ्रष्ट हैं। जहां हिरन और खरगोश ढेरों डोला करते थे वहां सब समाप्त हो गये हैं। वन विभाग कायम है। हमारी सरकार डेढ़ करोड़ रुपया वनों पर खर्च करने जा रही है। वन विभाग मौजूद है लेकिन वन समाप्त हो गये हैं। उस कुल्हाड़े को रोका जाये जिससे दरख्त साफ किये जा रहे हैं।

श्री मूलचन्द डागा : यह कुल्हाड़े राजस्थान में हैं क्या?

श्री रतनलाल वर्मा : धोंकड़ा, बकैनी, खेजड़ी को काटकर ऐसे वृक्ष लगाये जा रहे हैं जिनको बकरी भी नहीं खाये। दूसरे दरख्त कटवा दिये और लगातार कटवाये जा रहे हैं। उनकी जेबें भरती जा रही हैं। सोने के जेवर बन गये हैं।

इसके अलावा यह डेयरी की योजना क्यों चलाई? सभापति महोदय, यह इस लिए चलाई गई है कि कहीं ग्रामीण जनता पावर फुल हो गई तो हमारा मुकाबला करेगी। किसानों को कमजोर करने के लिए और शहर वालों को पालने के लिए डेयरी योजना बनाई है।

श्री मूलचन्द डागा : यह सुझाव बड़े मास्टर पीस हैं।

श्री रतनलाल वर्मा : मैं और भी सुना दूंगा।

श्री एच.एन. शर्मा : अभी तो और सुनिये, डागा जी।

श्री रघुनाथ विश्नोई : आपके हित की बात कह रहे हैं।

श्री रतन लाल वर्मा : सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इन तीस सालों में वेश्यावृत्ति करने वाली औरतें बढ़ी हैं।

श्री मूलचन्द डागा : अरे, बाप रे।

श्री रतनलाल वर्मा : मैं सरकार से निवेदन करूंगा, साल भर के अन्दर, 6 महीने के अन्दर सरकार इस प्रकार की व्यवस्था करे कि कोई इस प्रकार के पेशे से नहीं कमाये।

एक माननीय सदस्य : सही बात।

श्री रतनलाल वर्मा : आप कृपया सुन लें। क्यों बात करते हैं, बीच में।

सभापति महोदय, यह भांणमति वृत्ति है, यह वृत्ति चली या किसी ने इसको चलाया लेकिन अब जनता पार्टी का शासन आ गया है हम बोलेंगे और अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे और अन्याय नहीं होने देंगे। न भांणमति वृत्ति रहने देंगे। आप उनके लिए चाहे एक गांव बसा दें या दो गांव बसा दें, चाहे उनके यहां ही बसा दें...

एक माननीय सदस्य : हमने तो आपके सुपुर्द कर दिया।

श्री रतनलाल वर्मा : जुआखोरी को सरकार ने बन्द कर दिया। शराब के लिए सरकार ने 4 साल की बात कही है। इसके खिलाफ वही बोलते हैं जो खुद पीते हैं।

एक माननीय सदस्य : क्या बोल रहे हैं?

श्री रतनलाल वर्मा : यह वेश्या वृत्ति भी बन्द हो जाएगी। माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन है कि उनके बसाने के लिए बजट में कुछ नहीं है जिससे कि हमारी चरित्रवान महिलाएं चरित्रहीन न बनें। यह हमारी सरकार से आपके द्वारा निवेदन है।

शिक्षा के क्षेत्र में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि भिनाय इतना बड़ा क्षेत्र है फिर भी वहां कालेज नहीं है। मेरा निवेदन है कि भिनाय में कालेज खोला जाये। अजमेर हिन्दू और मुस्लिम दोनों धर्मों की दृष्टि से एक पवित्र स्थान है। अजमेर के पास ही पुष्कर है। अजमेर जैसे स्थान में भी विश्वविद्यालय नहीं है। अजमेर के बारे में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि शिक्षा के बारे में अजमेर का बहुत बड़ा स्थान था। आज हिन्दुस्तान के कोने कोने में अजमेर में पढ़े हुए लोग बड़ी बड़ी पोस्टों पर काम कर रहे हैं। आज जनता पार्टी के युग में भी अजमेर का दुर्भाग्य है कि वहां पर विश्वविद्यालय नहीं खोला गया है। यह दुर्भाग्य की बात है। मेरा निवेदन है कि अजमेर, जो कि एक राज्य था, आज एक जिला बना दिया गया है। वहां पर हाई कोर्ट था। उस हाई कोर्ट को हटा दिया गया है। वहां पर विश्वविद्यालय भी नहीं खोला गया है। तो मैं निवेदन करूंगा, सभापति महोदय, अजमेर में विश्वविद्यालय खोला जाये। मेरा एक निवेदन है कि एकीकरण की बात करते हैं, विकेन्द्रीकरण की बात करते हैं, पंचायत राज की बात करते हैं लेकिन उसका कोई प्रावधान नहीं है। तो मेरा यह निवेदन है, सरकार का इसमें बड़ा खर्चा नहीं होगा।

मेरा निवेदन है कि एम. एल. ए. कान्स्टीट्यूएन्सी को गोल दायरे में बनाया जाये। गोल दायरे में बनाकर तहसील हैडक्वार्टर, पंचायत समिति हैडक्वार्टर पर पी.डब्ल्यू.डी., डीवाई.एस.पी., और समस्त अधिकारी हों। एक एम. एल. ए. कम प्रधान वहां के अधिकारियों के काम को देखे। इस

(श्री रतनलाल वर्मा)
पर सरकार को नया खर्चा नहीं करना पड़ेगा।

श्री मूलचन्द डागा : बिल्कुल ठीक है।

श्री रतनलाल वर्मा : यह काम बी.डी.ओ. कम एस.डी.ओ. का है। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा, वित्त मंत्री जी आ गये हैं, मैं पंचायत समिति का सरपंच और प्रधान रहा हूं। मेरी कान्स्टीट्यूएन्सी पहले रिजर्व कान्स्टीट्यूएन्सी थी इसलिए मैं पहले नहीं आ सका। जनता ने अब मुझे भेजा है। मेरा निवेदन है कि बड़े अफसरों ने किसानों को लूटने के सिवाय कोई कानून नहीं बनाये हैं। अब तक की सरकार ने किसानों को लूटा ही है और किसानों को कर्जदार बनाया है, इसलिये मेरा निवेदन है कि इस विषय में यह बात की जाय।

दूसरी बात यह है कि 80 प्रतिशत गांव हैं, 80 प्रतिशत लोग ग्रामीण हैं, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि 80 प्रतिशत किसान कह देने से, 80 प्रतिशत की बात किताबों में लिखने से ही कोई काम नहीं चलेगा। 80 प्रतिशत विकास का पैसा भी आप गांवों के विकास में लगायें, 80 प्रतिशत गांव के छात्रों को आप छात्रवृत्ति दें, गांवों को आप 80 प्रतिशत अनुदान दें, विधान सभा में भी आप 80 प्रतिशत गांवों के लोगों को प्रतिनिधित्व दें तभी न्याय की बात होगी, मेरी यह बिल्कुल दृढ़ मान्यता है।

आज आपने 105/- पेन्शन पाने वालों के लिये केवल पांच रुपये बढ़ाये हैं और बड़े खुश हो रहे हैं। आपको चाहिए था कि उस गरीब के 15 रु. बढ़ाते। जिनको पहले से ही ज्यादा मिल रहा है उनके आपने ज्यादा बढ़ाये हैं, जिन्होंने सोने के जेवर बनाये हैं और जो चांदी के रूप में पाय रहे हैं, उनके ज्यादा बढ़ा दिये। मेरा निवेदन यह है कि अगर इसी तरह की बातें की गईं तो कोई सुधार नहीं हो सकता।

सभापति महोदय, शिक्षा का जहां तक सवाल है, गांवों के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं अधिक नहीं दो मिनट और लूंगा।

श्री मूलचन्द डागा : 60 मिनट बोलना चाहिए आपको।

श्री सभापति : ऐसा है, आप दो मिनट ले लीजिये।

श्री रतनलाल वर्मा : सभापति महोदय, यह कहा गया है कि पांच हजार की जनसंख्या के गांवों को सड़कों से मिलाना चाहिए। सभापति महोदय, यह तो वही बात हुई कि 2 पैसे में मुर्गी लायेंगे, फिर वह अंडे देगी, अंडे बेचकर शादी करेंगे और उसके बाद बच्चे होंगे, और फिर बच्चे कहेंगे कि पापाजी खाना खाने चलो तो सिर हिलायेंगे और टोकरा नीचे गिर जायेगा। आप पांच हजार की बात छोड़िये। आपको चाहिए कि पंचायत हैडक्वार्टर को सड़कों से लिन्क किया जाय। जयपुर में आप लाखों रुपया खर्च करते हैं, बड़ी-बड़ी पुलिया बना रहे हैं। लेकिन जो आपको अनाज खिला रहे हैं, आपको घी और दूध दे रहे हैं उनके लिए आप सड़कें नहीं बना सकते। तो सभापति महोदय, मैं यह कहूंगा कि हमारे जैसा निकम्मा कोई

(श्री रतनलाल वर्मा)

दूसरा नहीं हो सकता। वह अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाता उनको छाछ पिलाता है और हमको दूध पिलाता है, हम उसका अनाज खाकर के, उसका दूध पी करके, अनाज खाकर उनको राहत नहीं पहुंचा सकते तो कोई सुधार नहीं होने वाला है। किसान एक ऐसी हरी घास है जिसको चरते चरते दुष्ट नहीं धापते। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि···

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

मैं अपनी पूरी बातें नहीं कह सका, सभापति महोदय, आपकी आज्ञा का पालन करना चाहता हूं।

सभापति महोदय, तीस वर्षों में नक्शे में किसानों के खेत सही नहीं हुए, मोरियां सही नहीं हुई, रास्ते सही नहीं हुए और सैंकड़ों मर्डर हुए। तीस साल के नक्शों में खेत सही नहीं बने तो क्या यह नहीं माना जाय कि किसानों के साथ मखौल हो रहा था, उनके साथ भारी अन्याय हो रहा था। मैं, सभापति महोदय 15 अगस्त, 1947 से संघर्ष करता आ रहा हूं और अब भी सरकार को चुनौती देता हूं कि किसानों की ओर सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो संघर्ष होगा। यही मेरा निवेदन है। सभापति महोदय,

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

अगर सरकार ने नक्शों में किसानों के खेत, मोरियां सही करवा दिये तो उनका बहुत सा भार हल्का हो जायगा और जो पटवारी, गिरदावर और एस. डी. ओ. उनको लूट रहे हैं वह बन्द हो जायेगा। इसी भावना के साथ मैं कुछ तो धन्यवाद देता हूं और कुछ ओलम्भा भी देता हूं, दोनों के साथ कुल मिला कर धन्यवाद देता हूं और निवेदन करता हूं कि जो बातें मैंने बताई हैं अगर इस 6 महीने के बजट में आप पूरी नहीं कर सकें, अभी नहीं कर सकें तो आयन्दा के लिए इनको ध्यान में रख कर विचार करें। मैं यह सब बातें रिकार्ड से स्पष्ट करने के लिए तैयार हूं, अगर मैं आपको विश्वास नहीं दिला दूं तो मैं निकम्मा होऊंगा और एम. एल. ए. के लिये लायक नहीं होऊंगा।

श्री सभापति : श्री माणकलाल ठाकोर।

श्री माणकलाल ठाकोर (बून्दी) : आदरणीय सभापति महोदय, समय कम रह गया है। मैं काफी विषयों का और ध्यान दिलाना चाहता हूं इस सदन का। फिर भी जितनी देर बोल सकता हूं उतनी देर बोल कर आपकी आज्ञा का पालन कर रहा हूं, मुझे आशा है कि आप मुझे कल अपना भाषण कन्टीन्यू रखने की आज्ञा प्रदान करेंगे।

जो बजट हमारे सामने संशोधित बजट के रूप में आया है, इसका आम तौर पर स्वागत हुआ है। अध्ययन के आधार पर और अनुभव के आधार पर मैं यह कह सकता हूं कि पिछले तीस सालों के अन्दर कम्पेरेटिवली यह बजट सबसे उत्तम है। मैं विरोधी पक्ष की उदारता के लिये भी उनको धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने भी इस बजट के कुछ अंशः का स्वागत किया।

जनता पार्टी की सरकार के निर्माण के साथ जनता पार्टी के विधायक और मंत्री लोग ईमानदारी और महनत से कार्य कर रहें हैं इसमें कोई शक नहीं। यह जो बजट

(श्री माणकलाल ठाकोर)

आया है यह आशावान भी नहीं है। लेकिन मैं एक बात की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि आप कितनी ही महनत और ईमानदारी से कार्य करें, लेकिन अगर नौकरशाही आप पर हावी रही तो कितना ही अच्छे से अच्छा बजट हो, और आपकी अच्छी से अच्छी योजनाएं हों वह असफल हो जायेंगी। मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि जनता पार्टी की सरकार के निर्माण के साथ-साथ प्रशासन और विशेष रूप से पुलिस जनता पार्टी की सरकार को असफल करने में लगी हुई है। इससे पूर्व की सरकार के जमाने में विशेष रूप से आपातकाल स्थिति के दौरान जो लूट खसोट के अवसर उनको थे, वे इस समय उनके पास नहीं हैं, इसलिए हर सूरत में आप लोगों को असफल करने में वे लगे हुए हैं। मुझे शर्म के साथ कहना पड़ता है कि हमारी सरकार के राज में पिछले कुछ महीनों में जो अत्याचार हुए हैं पुलिस द्वारा, उनकी तुलना आपातकाल स्थिति के अत्याचारों से कर दी जाय तो गलत नहीं होगा। मेरे स्वयं के गांव में जहां मेरी जन्मभूमि है नैनवा बूंदी जिले में और जहां से मैं जीतकर विधायक बना वहां पर 19–7–77 को जिस प्रकार का जुल्म हुआ है, अन्याय हुआ है, अगर आप उसकी पूरी तरह से जानकारी लेना चाहे विधायकों से, चाहे विपक्षी भाइयों से, चाहे जनता पार्टी के सत्ताधारी लोगों से अथवा मंत्री महोदय जाकर पता लगायें तो मालूम पड़ेगा कि इस प्रकार की हत्या कभी नहीं हुई। मैं संक्षेप में निवेदन करूं कि एक दिन पहले 18–7–77 को नैनवा गांव में कबड्डी की दो टीमों में झगड़ा हो गया। उसमें जनता के कुछ आदमी भी शामिल हो गए, उनकी आपस में हाथापाई और मारपीट हो गई। उसके बाद वहां के हैडमास्टर के विरुद्ध कुछ लोग हो गए। पुलिस ने हैडमास्टर को गिरफ्तार किया और हथकड़ी डालकर उसको घुमाया गया। वहां पर पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए अश्रु गैस और लाठी चार्ज किया। दूसरे दिन, क्योंकि हैडमास्टर का अपमान हुआ था, छात्रों ने जुलूस निकाला। वहां के स्कूल बन्द हो गए, बाजार बन्द हो गए, और छात्रों ने प्रदर्शनों द्वारा इस बात की मांग की कि जिन पुलिस अधिकारियों ने हैडमास्टर का अपमान किया है, उनको बरखास्त किया जाए और उनके खिलाफ कार्यवाही की जाय। यह जुलूस शांतिपूर्वक एस.डी.ओ. को ज्ञापन देकर वापस लौट ही रहा था कि बूंदी के डी-वाई. एस. पी. गोयल, देई के थानेदार और बूंदी के डिप्टी डी. डी. ओ. जीप में जुलूस के सामने से निकले। बच्चों ने उनको घेर लिया। उन्होंने मांग की कि डीवाई. एस. पी. नैनवा को बरखास्त किया जाए, देई के थानेदार को बरखास्त किया जाय। इससे तनातनी फैल गई। इस बीच में एस. डी. एम. जनता पार्टी के नेता श्री शांती लाल जैन एडवोकेट और सूरज कुमार एडवोकेट जो कांग्रेस के नेता हैं, दोनों को, अपनी जीप में बिठाकर लाये। विद्यार्थी पहले से ही शांत थे लेकिन तनातनी हो रही थी। उन लोगों को समझाया और अधिकारियों ने इज्जत के साथ एस. डी. ओ. के बंगले पर बिठा दिया। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि किसी प्रकार की जनता के अन्दर कोई भी अशांति नहीं थी। अगर थोड़ी बहुत मान भी ली जाए तो कम से कम उस समय कोई अशांति नहीं थी लेकिन थोड़ी देर में

(श्री माणकलाल ठाकोर)

क्या होता है कि पुलिस की टुकड़ियां तीन तरफ से आती हैं, अश्रु गैस के गोले फेंके जाते हैं और सैंकड़ों व्यक्तियों पर लाठियों का वार किया जाता है, लाठी चार्ज शुरू किया जाता है। छोटे छोटे 01–10, 12–12 साल के बच्चों पर लाठियों का प्रहार किया जाता है। इससे कम से कम 50 व्यक्तियों को जबर्दस्त, संगीन और साधारण चोटें, आयीं। जो लोग समझाने आए थे श्री शांतीलाल एडवोकेट और सूरज कुमार, उनके साथ भी अत्याचार हुआ। शांतीलाल के पीछे पुलिस पड़ जाती है। वह जान बचाकर तालाब में गिर जाते हैं तो तालाब में भी उन पर वार किया जाता है। सूरज कुमार पर देई के थानेदार डंडे का वार करता है और वहां का डी.डी.ओ. भी उनको पकड़कर भेज देता है। यह व्यवहार उन लोगों से किया गया जो शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे। उनको कोई चेतावनी नहीं दी गई। जिनको वहां पर बुलाया गया था उनको यह भी नहीं कहा गया कि आप लोग चले जाइये, हम लोग लाठी चार्ज करने वाले हैं। इसके अलावा एक उछव लाल जैन अपनी दुकान में बैठा हुआ था, उसको अन्दर से खींचकर बाहर लाया गया और उससे कहा गया कि मनोहरलाल बाबा कहां है? कुछ दिन पहले उसने नेनवा पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन किया था। उछव लाने कहा कि, मुझे पता नहीं तो कम से कम 25 व्यक्तियों द्वारा उसको पीटा गया। वह डीजल आईल का धंधा करता है, उस पर लट्ठ बरसाये गये। वह भागकर तालाब में गिर गया वहां भी उसको लट्ठ लगाये गये। खींचकर उनको बाहर लाया गया। उसके कपड़े बनियान आदि फट गये। उसको उठाकर थाने पर ले गये। एक बासी नाम का व्यक्ति पंचायत समिति का क्लर्क है, उसने कहा है कि इस बेचारे को क्यों पकड़ लिया, क्यों मारते हो तो उस पर 8–10 लट्ठ बरसाये गये...

श्री मूलचन्द डागा : यह अन्याय है। श्री रतनलाल जी, आप इस पर हड़ताल करो।

श्री माणकलाल ठाकोर : डागा साहब सुनिए।

श्री सभापति : सदस्यों की भावना को देखते हुए, माननीय सदस्य के भाषण के समाप्त होने तक सदन का समय बढ़ाया जाता है।

श्री माणकलाल ठाकोर : मैं चाहता था कि कल जब गृह मंत्री और मुख्य मंत्री यहां पर हों तो उनके सामने अपनी बात कहूं..

(व्यवधान)

श्री सभापति : सदन की कार्यवाही कल गुरुवार दिनांक 8 सितम्बर, 1977 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म. पू. 5.00 बजे वृहस्पतिवार दिनांक 9 सितम्बर, 1977 के म. पू. 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई।)

परिशिष्ट

(समयाभाव के कारण सदन में नहीं पूछे जा सके तारांकित व उनके उत्तर)

डेगाना इडवा सड़क पर पुलिया बनाने की स्वीकृति

9. **श्री रामरघुनाथ** (डेगाना) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या डेगाना-इड़वा, जिला नागौर की ग्रेवल सड़क पर तीलानेस ग्राम के पास गांव के तालाब में पानी पहुंचाने के लिए नहर सड़क को काट कर जाती है ?

(2) क्या यह सही है कि करीब चार महीने तक, जब तक कि सड़क पर पानी सूख नहीं जाता, इस रास्ते पर बसों का आवागमन बिल्कुल ही बन्द हो जाता है क्योंकि बसें सड़क के आसपास की जमीन पर चिकनी मिट्टी होने के कारण नीचे नहीं उतर सकती हैं ?

(3) क्या इस स्थान पर सड़क पर कोई पुलिया बनाये जाने की स्वीकृति हो चुकी है ? अगर हां, तो पुलिया कब तक बन कर तैयार हो जायगी ?

उत्तर

(1) जी नहीं। पानी सड़क के डिप से पहुंचाया जाता है।

(2) जी हां।

(3) जी नहीं। धनाभाव के कारण पुलिया का निर्माण करवाया जाना सम्भव नहीं।

झालावाड़ जिले के लिए अलाट की गई राशि

11. **श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा** (मनोहर थाना) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) झालावाड़ जिले में गत वर्ष सार्वजनिक निर्माण विभाग को कितनी राशि अलॉट हुई थी एवं कितनी खर्च हुई ?

(2) क्या यह सही है कि पहले 96 लाख रुपया फिर 32 लाख रुपया और फिर तीन लाख रुपया ही दिया गया ? यदि हां, तो बाकी राशि कहां खर्च की गई ?

उत्तर

(1) वर्ष 1976–77 में झालावाड़ जिले के लिए सड़कों के प्लान मद में 8.80 लाख रुपया आवंटित किया गया था जिसमें से 7.31 लाख रुपया व्यय हुआ।

(2) जी नहीं, स्वीकृत प्रावधान जिले में ही व्यय किया गया है।

बाड़मेर जिले में वन विकास कार्य

12. **श्री गंगाराम चौधरी** (गुढ़ा-मालानी) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) जिला बाड़मेर में जब से वन विकास कार्य आरम्भ हुआ है तब से अब तक वन विकास हेतु अथवा चारागाह विकास हेतु कौन कौन से ऐसे भूखण्ड वन विभाग ने

(श्री गंगाराम चौधरी)
अपने आधिपत्य में लिये जो पूर्व मे चरागाह की भांति उपयोग में लिए जा रहे थे अथवा राजस्व रिकार्ड में चरागाह दर्ज थे ?

(2) क्या यह सही है कि कथित चरागाह भू-खण्ड वन विभाग ने अपने कब्जे में इस शर्त पर लिये कि चरागाह विकास करने पर इन भू-खण्डों पर स्थानीय ग्रामवासियों को अपने पशु चराने की 'रोटेशनल ग्रेजिंग' के तरीके से सुविधा प्रदान की जाएगी।

(3) क्या यह सही है कि ऐसी कोई सुविधा किसी भी भू-खण्ड के सम्बन्ध में अब तक नहीं दी गई ?

(4) क्या यह सही है कि इस कारण स्थानीय ग्रामीणों को अपने पशु चराने की भारी समस्या उत्पन्न हो गई है ?

(5) इस समस्या के हल हेतु क्या सरकार ऐसे सभी भू-खण्डों को अथवा उनके कुछ भाग को पुनः चरागाह में परिवर्तन हेतु राजस्व विभाग/पंचायत को सौंपने को तैयार है ? यदि नहीं, तो इसका क्या विकल्प सोचा जा रहा है ?

उत्तर

(1) सूची संलग्न है।

(2) जी हां।

(3) जी नहीं। 1972-73 व 1973-74 के दुर्भिक्ष में समस्त क्षेत्र चराई के लिये खोले गये व वर्तमान में भी यह सुविधा प्राप्त है। स्थानीय लोगों द्वारा मांग करने पर चरागाह की स्थिति को देखते हुये समय समय पर चरागाहों व वन विकास स्थलों को चराई के लिए खोला जाता रहा है।

(4) जी नहीं। वरन् स्थानीय लोगों के लिए उन्नत किस्म के चरागाहों की व्यवस्था हुई है।

(5) वर्तमान व्यवस्था उचित है। विकसित चरागाह क्षेत्रों को राजस्व अथवा पंचायत को सौंपने पर नियन्त्रण की कमी से वनस्पति का ह्रास होने की संभावना हो सकती है।

नाम चरागाह	क्षेत्रफल हैक्टेयर में	वर्ष निर्माण	रेन्ज	योजना	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6
1. सिनली–I	137	70–71	बालोतरा	मरू विकास योजना	
2. जागसा	151	,,	,,	,,	
3. गंगावास	90	,,	,,	,,	
4. नागाना–I	195	,,	,,	,,	
5. पटाउ	48	71–72	,,	,,	
6. उमरलाई	66	,,	,,	,,	
7. कुसीप–I	267	70–71	सिवाणा	,,	
8. कुसीप–II	194	71–72	,,	,,	
9. सवाऊ	99	,,	,,	,,	
10. सिपघरी	162	70–71	,,	,,	
11. सिरघरीबैंड–I	133	71–72	,,	,,	
12. सिपघरीबैंड–II	60	,,	,,	,,	
13. डंडाली	78	70–71	,,	,,	
14. सड़ा	58	,,	,,	,,	
15. खुडाला	207	,,	,,	,,	
16. मण्डावला	160	71–72	,,	,,	
17. कैराहू	78	,,	बाड़मेर	,,	
18. आलमसर	21	70–71	,,	,,	
19. भीमथल	50	71–72	,,	,,	
20. डांगरीया	34	70–71	,,	,,	
21. गादेवी	119	,,	,,	,,	
22. मीयांड	154	,,	शिव	,,	
23. कानासर–I	136	,,	,,	,,	ओरण
24. कानासर–II	135	71–72	,,	,,	,,
25. उण्डू	173	70–71	,,	,,	,,
26. भूकाभगतसिंह	125	71–72	सिवाणा	डी.पी.ए.पी.	
27. समदड़ी	60	72–73	,,	,,	
28. कोटड़ी	80	,,	,,	,,	
29. आवाड़ीमानजी	915	74–75	,,	,,	
30. रेवाड़ा	50	72–73	बालोतरा	,,	
31. पायला	50	70–71	सिवाणा	डी. डी. पी.	

नाम पहाड़ी क्षेत्र	क्षेत्रफल हैक्टेयर में	वर्ष निर्माण	रेन्ज	योजना	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6
1. मैवानगर–I	612	70–71	बालोतरा	मरु विकास योजना	
2. मैवानगर–II	360	71–72	,,	,,	
3. कुसीप–I	400	70–71	सिवाणा	,,	
4. कुसीप–II	259	71–72	,,	,,	
5. बैसाला	292	70–71	बाड़मेर	,,	
6. कैराड़ू–I	137	,,	,,	,,	
7. कैराड़ू–II	279	71–72	,,	,,	
8. रामसर	69	70–71	,,	,,	
9. खडीन	70	,,	,,	,,	
10. बाड़मेर	300	,,	,,	,,	
11. संगेरा	74	,,	,,	,,	
12. मारूड़ी–I	241	,,	,,	,,	
13. मारूड़ी–II	81	,,	,,	,,	
14. जूनापतरासर–I	837	,,	,,	,,	
15. जूनापतरासर–II	623	,,	,,	,,	
16. तारातरा	375	,,	,,	,,	
17. नीमड़ीमाता	208	,,	,,	,,	
18. घोरीमना	56	,,	,,	,,	
19 धीरा	300	72–73	सिवाणा	डी.पी.ए.पी.	
20. मेवानगर–III	300	,,	बालोतरा	,,	
21. मेवानगर–IV	200	74–75	,,	–	
22. कुण्डल	200	74–75	सिवाणा	–	

क्षारीय भूमि सुधार

1. वागुण्डी	394	70–71	बालोतरा	मरु–विकास योजना	
2. पाटोदी	108	,,	,,	,,	
3. थोब	134	,,	,,	,,	
4. साजियाली	70	,,	,,	,,	
5. पीपराली	183	,,	बाड़मेर	,,	
6. झाकरड़ा	333	,,	,,	,,	
7. कोट, तिलानी	113	,,	,,	,,	
8. बाव तलाई	77	,,	,,	,,	

ढाणी डालमिया में पानी सप्लाई हेतु पम्पिग सैट की व्यवस्था

13. श्री रघुवीरसिंह कौशल (बारां): क्या जनस्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि चिड़ावा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत 'ढाणी डालमिया' में जलदाय विभाग की ओर से कुवे में पानी सप्लाई हेतु कोई पम्पिग सैट लगाया गया है ? यदि हां, तो कब और किसके आदेश से ?

(2) क्या यह सही है कि ढाणी डालमिया के लिए बिना कोई स्वीकृत स्कीम के और बिना ढाणी में बिजली हुए यह सैट लगाया गया है ? यदि हां, तो दोषी अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

(3) क्या यह सही है कि अधिशासी अभियन्ता जलदाय विभाग झुंझूनूं ने उक्त ढाणी डालमिया में लगे पम्प को हटाने की कार्यवाही की है ? यदि हां, तो क्या परिणाम रहा ?

उत्तर

(1) दिनांक 6 जून, 1977 को पम्पिग सैट पहुंचाया गया व दिनांक 10 जून, 1977 को कुए में पाईप फिटिंग की गई । यह कार्य अधिशासी अभियन्ता झुंझूनूं के आदेश से किया गया ।

(2) ढाणी में वितरण व्यवस्था के सुधार के लिये योजना के रख-रखाव के मद से स्थानीय कुआ चालू करने का कार्य प्रारम्भ किया गया। ढाणी में बिजली है ।

(3) जी नहीं ।

भवन एवं भूमि कर का स्थगन

15. श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि भूतपूर्व राज्य सरकार ने एक आदेश प्रसारित करके भवन एवं भूमि कर अधिनियम को स्थगित कर दिया था ? यदि हां, तो यह आदेश कब लागू हुआ ? आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) क्या यह सही है कि उक्त अधिनियम से छोटे मकान मालिकों को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या इस अधिनियम को राज्य सरकार वापस या निरस्त करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(3) क्या यह भी सही है कि ऐसे अधिनियम को एक राज्य सरकार ने वापिस ले लिया है ? यदि हां, तो वह कौन सा राज्य है ?

उत्तर

(1) जी नहीं ।

भूतपूर्व सरकार ने भूमि एवं भवन कर को समाप्त करने का निर्णय लिया था, परन्तु उनको क्रियान्वित नहीं किया गया और नई सरकार के आदेशार्थ रख लिया गया । अन्तिम निर्णय तक के लिए दिनांक 1-4-77

(श्री दिग्विजय सिंह)
से कर की वसूली को केवल स्थगित किया गया था।

(2) यह सही है कि छोटे मकान मालिकों को इस कर से कठिनाई का सामना करना पड़ा है, अतः सरकार ने यह निर्णय ले लिया है कि कर से छूट की सीमा पचास हजार से बढ़ाकर एक लाख रुपया कर दी जाय। इस कर को वापस लेने का प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि जो समृद्ध व्यक्ति कर देने में सक्षम हैं उन्हें कर से मुक्त करने का कोई औचित्य नहीं है।

(3) उत्तर प्रदेश सरकार ने विधान सभा सत्र 74-75 में दिनांक 11-6-74 को भूमि एवं भवन कर को समाप्त करने की घोषणा की थी।

ग्राम पंचायत बारोली

16. श्री एच.एन. शर्मा (बेगू) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पंचायत समिति भैंसरोड के तहत बारोली ग्राम पंचायत का निर्माण कब किया गया था तथा ऐसे कौन से कारण उपस्थित हो गए जिनके कारण इस नई ग्राम पंचायत का निर्माण करना पड़ा ?

(2) क्या इस पंचायत को बनाये रखना जरूरी है जब कि ग्राम पंचायत रावतभाटा वहां से केवल एक-डेढ़ किलो मीटर पर स्थित है ?

(3) क्या यह सही है कि महज सरपंच श्री सुखस्वरूप लाल को इस पद पर बनाये रखने के लिए ही इस नई ग्राम पंचायत का निर्माण किया गया था ? यदि हां, तो इस ग्राम पंचायत को भंग किये जाने के बारे में राज्य सरकार ने अब क्या किया ?

उत्तर

(1) पंचायत समिति, भैंसरोड़गढ़ में बारोली नाम की कोई नई पंचायत का निर्माण नहीं किया गया है। स्वायत्त शासन विभाग द्वारा राजस्व गांव रावतभाटा को अधिघोषित क्षेत्र घोषित किये जाने के कारण दिनांक 6-8-76 को रावतभाटा ग्राम पंचायत के शेष क्षेत्र की नई ग्राम पंचायत बाडोलिया गठित की गई है।

(2) जी हां।

(3) जी नहीं।

जेलों में सुधार

17. श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : क्या कारागृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में जेल की कितनी श्रेणियां हैं ? वे श्रेणियां किस आधार पर बनाई गई हैं ? क्या राज्य सरकार उक्त आधार में कुछ परिवर्तन लाना चाहती है ? यदि हां, तो किस प्रकार ?

(2) राज्य में राज्य के निर्माण से लेकर अब तक क्या क्या जेल सुधार किये गये ? सदन को विस्तृत जानकारी देने की कृपा करें।

(3) क्या नई सरकार जेलों में और भी सुधार करना चाहती है ? यदि हां, तो किस प्रकार ? विस्तृत रूप रेखा सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

(4) उन सुधारों को कब तक क्रियान्वित किया जायेगा ?

उत्तर

(1) राज्य में जेल की पांच श्रेणियां हैं:—

1. केन्द्रीय कारागार
2. जिला कारागार "ए" श्रेणी
3. जिला कारागार "बी" श्रेणी
4. उप-कारागार
5. खुले बन्दी शिविर

(i) इन श्रेणियों का सम्बन्ध बन्दियों की दण्डावधि से है।

(ii) इन श्रेणियों में कोई परिवर्तन विचाराधीन नहीं है।

(2) राजस्थान के निर्माण के बाद कारागृहों में निम्नलिखित मुख्य सुधार किये गये हैं:—

1. खुले बंदी शिविर की स्थापना
2. पैरोल सुविधा
3. बैंक द्वारा ऋण की सुविधा
4. कारागारों के सलाहकार मण्डल का गठन जो अवधि पूर्व रिहाई के मामलों पर सलाह देते हैं।
5. राज्य—स्तरीय सलाहकार समिति का गठन।
6. शिक्षा सुविधा।

(3) जी हां, 1976 में स्वीकृत पुनर्गठन योजना की क्रियान्विति की जा रही है; कारागार उद्योगों के पुनर्गठन की योजना विचाराधीन है। जेल मैन्युअल में संशोधन भी विचाराधीन है।

(4) सुधारों की क्रियान्विति का क्रम निरन्तर जारी है।

भेड़ व ऊन विभाग

18. श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़): क्या भेड़ व ऊन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) भेड़ व ऊन विभाग के मुख्य क्या क्या कार्य हैं ?

(2) क्या ऊन खरीदने का कार्य विभाग द्वारा किया जाता है ? यदि हां, तो इस वर्ष कितनी, किस भाव से ऊन खरीदी गई है ?

(3) क्या यह सही है कि काफी मात्रा में इस विभाग के कर्मचारी बिना काम बैठे हैं और उन्हें दूसरा कोई विभाग लेने को तैयार नहीं है ?

(4) क्या यह विभाग जितना जल्दी बढ़ा था, उतना ही जल्दी घट कर छोटा हो गया है ? यदि हां, तो अब इसे बढ़ाने की क्या योजना है ?

(5) भारत की कुल प्रतिशत में से कितने प्रतिशत ऊन राज्य में होती है ? राज्य में इसका क्या उपयोग है ? और राज्य से बाहर कितनी जाती है ?

उत्तर

(1) विभाग के मुख्य कार्य निम्न प्रकार हैं:—

भेड़ पालकों में भेड़ पालन सम्बन्धी आधुनिक ज्ञान का प्रसार, संकर प्रजनन कृत्रिम गर्भाधान विधि से करके भेड़ों की नस्ल सुधार, भेड़ों में होने वाले रोगों की रोकथाम, उपचार एवं उनसे सम्बन्धित अनुसन्धान कार्य, ऊन का आधुनिक और उन्नत तरीके से कल्पन करके खरीदने, उसको वर्गीकरण (ग्रेडिंग) कर उपभोक्ताओं को आवश्यकतानुसार ऊन उपलब्ध कराना, ऊन प्रयोगशाला में संकर प्रजनन से प्राप्त सन्तति की ऊन का विश्लेषण, भेड़ प्रजनन फार्म पर विदेशी नस्ल की भेड़ों और मेंढों का प्रजनन तथा उनसे संकर प्रजनन के कार्य हेतु मेंढे उपलब्ध कराना। उसके अतिरिक्त सूखा सम्भाव्य क्षेत्र विकास योजना (ड्रोटप्रोन ऐरिया डेवलपमेंट) के अन्तर्गत चार जिलों में चरागाह विकास हेतु भू-खण्डों का चयन और चरागाह विकसित करने का कार्य, सहकारी समितियां बनाकर चरागाह विकास। नवीन पशुपालन कार्यक्रम के अन्तर्गत लघु, सीमान्त कृषकों तथा भूमिहीन खेतीहर मजदूरों (मारजीनल फार्मर एण्ड लैन्डलेस लेबर) को उनकी आमदनी बढ़ाने हेतु भेड़ इकाइयां खरीदने के लिये बैंक से ऋण तथा राज्य से अनुदान दिलवाने का कार्य भी किया जाता है।

(2) जी हां, विभाग द्वारा ऊन खरीदने का कार्य किया जाता है। इस वित्तीय वर्ष में 26,139 किलोग्राम ऊन रुपये 3,73, 482 मूल्य की क्रय की गई जिसका औसत क्रय मूल्य रुपये 14.29 प्रति किलो रहा।

(3) जी नहीं, विभाग में कोई कर्मचारी बेकार नहीं बैठे हैं। अतः अन्य विभागों द्वारा उन्हें न लेने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

(4) जी नहीं, विभाग छोटा नहीं हुआ है बल्कि इसका धीरे धीरे और विस्तार हो रहा है।

(5) राजस्थान में भारत की कुल 45% ऊन होती है। राज्य में इसका उपयोग गलीचे, नमदे एवं धागा बनाने में होता है। राज्य में उत्पन्न ऊन का लगभग 70 प्रतिशत भाग राज्य से बाहर जाता है।

ग्राम पंचायत उण्डवा तथा डोलिया के सरपंचों के विरुद्ध जांच

20. **श्री हरिश कुमार शर्मा** (रामगंज मंडी) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या ग्राम पंचायत उण्डवा, तहसील रामगंज मंडी के सरपंच श्री फूलचन्द सांवला, पंच श्री रतनलाल, चपरासी श्री मांगीलाल एवं ग्रुप सचिव, श्री ताराचन्द जैन के विरुद्ध जिलाधीश कोटा ने जांच की है? यदि हां, तो जांच के क्या परिणाम हुए तथा उनके विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की?

(2) क्या ग्राम पंचायत, डोलिया के सरपंच श्री नाथूसिंह, पंचायत समिति, लाडपुरा के विरुद्ध भी जांच की गई है? यदि हां, तो क्या परिणाम सामने आये हैं? तथा सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की?

उत्तर

(1) जी हां। श्री मांगीलाल चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एवं श्री ताराचन्द जैन ग्रुप

(पंचायत मंत्री)
सचिव के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के लिए आरोप पत्र दिनांक 26-7-77 को दिये गये हैं। श्री मांगीलाल चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को निलम्बित किया जा चुका है। श्री फूलचन्द सरपंच को दि. 26-7-77 को स्पष्टीकरण भेजने हेतु नोटिस दिया गया है। स्पष्टीकरण प्राप्त होने के पश्चात् ही राजस्थान पंचायत अधिनियम, 1953 की धारा 17(4) के तहत कार्यवाही की जावेगी।

(2) जी हां। सरपंच के विरुद्ध राजस्थान पंचायत अधिनियम, 1953 की धारा 17(4) के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही जारी है।

सुपर बाजार, उदयपुर के अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही

22. श्री गोविन्द सिंह शक्तावत (कुम्भलगढ़) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि उदयपुर सुपर बाजार में कुछ अधिकारियों के द्वारा भ्रष्टाचार किया जा रहा है जिससे सस्ता कपड़ा आम व्यक्तियों को नहीं मिलता ?

(2) यदि हां, तो राज्य सरकार ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रही है ?

उत्तर

(1) जी नहीं। उदयपुर सुपर बाजार में भ्रष्टाचार होने के बाबत कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। किसी व्यक्ति से भी सस्ता कपड़ा न मिलने के बावत कोई शिकायत नहीं मिली है।

(2) क्योंकि कोई शिकायत ही नहीं मिली है अतः किसी कार्यवाही की आवश्यकता का प्रश्न नहीं उठता।

स्टेट मोटर गैराज

23. श्री मूलचन्द डागा (पाली) : क्या मंत्री स्टेट गैराज यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) स्टेट गैरेज में कुल कितनी गाड़िया हैं ? इनमें से कितनी गाड़ियां काम आने के लायक हैं और कितनी गाड़ियां बेकार हैं ?

(2) स्टेट गैराज में सन् 1975–76 व 77 में गाड़ियों को मरम्मत पर कुल क्रमशः कितना खर्चा आया ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) स्टेट गैराज का प्रतिवर्ष का प्रशासनिक खर्चा कितना है जिसमें कौन-कौन सी तरह के कर्मचारी काम करते हैं और उनकी तनख्वाह क्या है ? पूरा विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) स्टेट मोटर गैराज में कुल 89 गाड़ियां हैं। इनमें 80 गाड़ियां काम में आने लायक हैं, शेष अयोग्य हैं।

(2) सन् 1975–76 में रु. 4,31, 659-93 एवं 1976–77 में रुपया 5,15, 891–18 स्टेट मोटर गैरेज, राजस्थान, जयपुर की गाड़ियों की मरम्मत पर खर्चा आया। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) स्टेट गैराज का वर्ष 1975-76 का प्रशासनिक खर्चा रुपया 14,70,000) एवं 1976–77 का खर्चा रु. 16,48,000) हुआ है। विस्तृत सूची सदन की मेज पर रखदी गई है।

स्टेट मोटर गैराज, जयपुर की गाड़ियों पर सन् 1975–76 व 1976–77 का माहवारी खर्चे का विवरण निम्न प्रकार है :—

वर्ष	खर्चा
1975–76	
1. अप्रेल	30,272–44
2. मई	39,818–64
3. जून	31,990–97
4. जुलाई	29,595–93
5. अगस्त	29,582–29
6. सितम्बर	36,926–68
7. अक्टूबर	39,911–17
8. नवम्बर	35,556–72
9. दिसम्बर	41,001–82
10. जनवरी	40,197–38
11. फरवरी	40,583–62
12. मार्च	36,222–27
योग	4,31,659–93
1976–77	
1. अप्रेल	36,108–68
2. मई	41,516–48
3. जून	42,953–73
4. जुलाई	41,384–99
5. अगस्त	46,782–24
6. सितम्बर	51,918–13
7. अक्टूबर	49,163–75
8. नवम्बर	44,832–76
9. दिसम्बर	56,110–82
10. जनवरी, 77	50,960–42
11. फरवरी	31,194–43
12. मार्च	22,964–75
	5,15,891–18

1975–76	4,31,659–93
1976–77	5,15,891–18
कुल योग	9,47,551–11

Page No 102

(102)

कार्यालय मुख्य अधीक्षक, मोटर गैराज, जयपुर।

क्र.सं.	पद का नाम	योग		वेतन श्रृंखला
1	2	3		4
1.	मुख्य अधीक्षक	1	(22)	1150—50—1650
2.	आटोमोबाइल इंजीनियर	1	(19)	750—30—1020—40—1300—50—1350
3.	सहायक लेखाधिकारी	1	(17)	620—20—707—25—1010—30—1100
4.	अधीक्षक मण्डलीय गैराज	1	(15)	550—20—710—35—1010
	योग	4		

राजपत्रित

1.	लेखाकार	1	(14)	500—20—740—25—940
2.	कार्यालय अधीक्षक	1	(13)	470—10—490—20—830
3.	अधीक्षक, सामग्री विभाग	1	(13)	,, ,,
4.	शीघ्र लिपिक	1	(12)	460—10—490—20—770
5.	कार्यालय सहायक	1	(12)	,, ,,
6.	कनिष्ठ लेखाकार	8	(12)	,, ,,
7.	वरिष्ठ लिपिक	7	(9)	385—10—415—15—490—20—650
8.	कनिष्ठ लिपिक	26	(7)	355—10—415—15—550—20—570
9.	फोरमेन	3	(13)	470—10—490—20—830
	योग	49		

1.	ड्राईवर	105	(7)	355-415—15—550—20—570
2.	मैकेनिक ग्रेड प्रथम	10	(8)	370—410—15—530—20—590
3.	,, ,, द्वितीय	2	(6)	295—8—355—10—395—500
4.	फिटर ग्रेड प्रथम	9	(8)	370—410—15—530—20—590
5.	,, ,, द्वितीय	1	(6)	295—8—335—10—395—15—500
6.	इलेक्ट्रिशियन	4	(8)	370—410—15—530—20—590
7.	टरनर ग्रेड प्रथम	3	(8)	,, ,,

8.	टरनर ग्रेड द्वितीय	1	(6) 295—8—335—10—395—15—500
9.	मोल्डर	1	(8) 370—410—15—530—20—590
10.	वैल्डर	2	(8)
11.	कारपेन्टर	4	(8)
12.	लुहार	3	(8) „ „
13.	कोच बिल्डर	1	(8) „ „
14.	पैन्टर	3	(6) 295—8—335—10—395—10—500
15.	वेलकेनाइजर	3	(6) „ „
16.	बैटरीमैन	2	(6) „ „
17.	मोची	2	(6) „ „
18.	इलेक्ट्रोपेन्टर	1	(6) „ „
19.	हेल्पर	31	(3) 250—4—270—6—300—8—340—10—360
20.	क्लीनर	39	(1) 240—3—270—4—290
21.	चतुर्थ श्रेणी	19	(1) „ „
22.	जमादार		(2ए) 245—3—257—4—265—3—310

पंचायत समिति, टोडाभीम में गबन

24. श्री बत्तीलाल (टोडाभीम) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि टोडाभीम पंचायत समिति में चार लाख रुपये का गबन हुआ है जिसमें कैशियर को जुम्मेदार ठहरा कर अभियुक्त को हिण्डौन पुलिस हिरासत में ले रखा है ?

(2) क्या यह भी सही है कि इस धन-राशि के गबन में प्रधान एवं विकास अधिकारी का हाथ था ? इस बारे में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

उत्तर

(1) पंचायत समिति, टोडाभीम में 2,21,423-57 रुपये का गबन हुआ है। जिसमें कैशियर को जुम्मेदार ठहराया जाकर पुलिस हिरासत में ले लिया गया था। अब पुलिस कार्यवाही उसके विरुद्ध विचाराधीन है।

(2) आडिट रिपोर्टों में निम्नलिखित विकास अधिकारियों को गबन में सहयोग अथवा लापरवाही के लिए दोषी बतलाया गया है:—

(1) श्री करुणा शंकर दवे, विकास अधिकारी

(2) „ हरिमोहन गुप्ता „

(पंचायत मंत्री)
(3) श्री सत्येन्द्रसिंह विकास अधिकारी
(4) ,, धन्नालाल ,, ,,

आडिट रिपोर्ट के अनुसार इसमें प्रधान का हाथ होना नहीं बताया गया है। यह सारा मसला सी0 आई0 डी0 (सी0 बी0) जयपुर के यहां विचाराधीन है। उनसे प्रतिवेदन प्राप्त होने पर आगे आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

टोडाभीम—पदमपुरा सड़क का सर्वे

25. श्री बत्तीलाल मीणा (टोडाभीम) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि टोडाभीम से पदमपुरा की दूरी 5 मील है?

(2) क्या यह भी सही है कि पदमपुरा और टोडा भीम के बीच 6 पंचायतें पड़ती हैं?

(3) क्या यह सही है कि वह राजस्थान का सबसे धनी आबादी वाला देहाती क्षेत्र है?

(4) क्या यह सही है कि इस क्षेत्र में सड़क बनवाने के बहाने भूतपूर्व सरकार ने अनेकों बार नकली सर्वे करवाया? यदि हां, तो क्यों और इसके लिए कौन जिम्मेवार है?

उत्तर

(1) टोडाभीम से पदमपुरा की दूरी 9 किलोमीटर है।

(2) जी नहीं।

एलाइनमेंट निर्धारित होने पर ही इसके बारे में बताया जा सकेगा।

(3) सार्वजनिक निर्माण विभाग से सम्बन्धित नहीं है।

(4) जी नहीं।

ग्राम पंचायत सांचोर के भूतपूर्व सरपंच के विरुद्ध आरोप

26. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत सांचोर के भूतपूर्व सरपंच श्री धरमाराम के विरुद्ध गम्भीर अनियमितताओं के क[...] आरोप लगाये गये थे? अगर हां, तो कब एवं किसके द्वारा? इस बारे में राज्य सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की ग[...] है एवं भविष्य में क्या कार्यवाही की जावेगी

(2) क्या यह सही है कि उक्त भूतपू[...] सरपंच ने कई वर्षों तक सरपंच का का[...] किया? अगर हां, तो कुल कितने वर्षों तक उक्त समय में उक्त ग्राम पंचायत का कितन[...] बार ऑडिट करवाया गया एवं उनके विरु[...] ऑडिट द्वारा क्या-क्या आरोप लगाये गए ऑडिट एतराज के संबंध में अब तक राज[...] सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ए[...] भविष्य में क्या-क्या कार्यवाही की जावेगी

(3) क्या यह भी सही है कि उ[...] भूतपूर्व सरपंच के विरुद्ध आबादी पट्टों देने में गम्भीर आरोप होने के कारण कु[...] समय तक के पट्टो की फाइलें जिला विका[...] अधिकारी जालोर द्वारा सील करके जि[...] कार्यालय में मंगवाई थी? अगर हां, तो क[...]

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

एवं कितनी फाइलें मंगवाई गई थीं ? सील की गई फाइलों के पट्टों के बारे में राज्य सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

उत्तर

(1) जी हां। अंकेक्षण दल (Audit party) द्वारा वर्ष 1967-68 में निर्माण एवं भूमि विक्रय अभिलेख (Record) संबंधी कार्यों में अनियमितता करने के आरोप लगाये गये जिसके बारे में श्री धर्माराम भूतपूर्व सरपंच का स्पष्टीकरण चाहा था और वहां के लेखों का विशिष्ट अंकेक्षण (Special Audit) भी करवाया गया। इस संबंध में जांच करवाई जा रही है। जांच परिणाम के आधार पर ही आवश्यक कार्यवाही संभव हो सकेगी।

(2) जी हां। यह सही है कि भूतपूर्व सरपंच ने बारह साल तक सरपंच के पद पर कार्य किया। इस पंचायत का वर्ष वार अंकेक्षण होता रहा है। अंकेक्षण में निर्माण कार्यों एवं भूमि विक्रय संबंधी आरोप हैं। इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा जांच करवाई जा रही है। जांच परिणाम के आधार पर ही आवश्यक कार्यवाही संभव हो सकेगी।

(3) जी हां। यह सही है कि भूतपूर्व सरपंच श्री धर्माराम के विरुद्ध धांधली भूमि के पट्टे देने संबंधी गंभीर आरोप होने से जिला विकास अधिकारी जालौर द्वारा कुछ सील शुदा अभिलेख मंगाये गये थे। ग्राम पंचायत सांचौर के इस अभिलेख की जांच की गई जो अभी तक विचाराधीन है।

तिलिस्मा—सींगोली सड़क

27. श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि बिजोलिया से तिलिस्मा तक पक्की सड़क बनी हुई है ?

(2) क्या यह सही है कि तिलिस्मा से सींगोली (मध्य प्रदेश) जाने के लिए केवल चार या पांच माइल की सड़क बन जाये तो पूरे मध्य प्रदेश का रास्ता खुल जाता है ?

(3) क्या इस रास्ते का पहले भी सर्वे हुआ है और प्लान मंजूर हुआ है ? यदि नहीं हुआ है, तो जनहित में इतने छोटे से टुकड़े की स्वीकृति प्रदान करके क्या राज्य सरकार दो प्रांतों का सुखद आना जाना प्रारम्भ करेगी ?

उत्तर

(1) बिजोलिया से तिलिस्मा तक वाया सलावटिया पक्की सड़क बनी हुई है।

(2) यह सही है कि सींगोली की ओर मध्य प्रदेश की सीमा तिलिस्मा से 4 किलोमीटर दूरी पर है।

(3) जी नहीं।

धनाभाव के कारण इसका निर्माण करवाना सम्भव नहीं है।

जयपुर के टायर ट्यूब के कारखाने को दिया गया ऋण

30. श्री कौशल किशोर जैन (भीलवाड़ा) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि भू.पू. मंत्री श्री शिवचरण माथुर के लड़के ने जयपुर में टायर ट्यूब का कारखाना खोला था ?

(2) क्या यह सही है कि इस उद्योग को खनिज उद्योग विकास निगम राजस्थान ने बड़ी राशि ऋण के रूप में दी थी ? यदि हां, तो कितनी रकम किन शर्तों पर बतौर कर्ज के दी गई है ? शर्तों की प्रति सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(3) अब यह कारखाना किस स्थिति में चल रहा है तथा क्या दिया गया ऋण पूरा का पूरा वसूल हो गया है ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) निगम ने 9½ प्रतिशत के 1,00,000 रुपये के डिबेन्चर्स खरीदे हैं जो सन् 1981 में रिडीमेबिल है व 55,824 रुपये का अस्थाई ऋण दिया है। जिसकी वार्षिक ब्याज दर 9½ प्रतिशत है ।

(3) यह कारखाना बन्द पड़ा है। दिया हुआ ऋण वसूल नहीं हुआ है ।

जोधपुर विश्वविद्यालय की परीक्षाएं

19. श्री बिरदमल सिंघवी (जोधपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जोधपुर विश्वविद्यालय में इस वर्ष कौन—कौन सी कक्षा की, कौन—कौन सी परीक्षाएं निर्धारित समय पर नहीं हुईं व उन्हें स्थगित कर बाद में करना पड़ा ? उन्हें स्थगित करने के क्या कारण थे ?

(2) क्या यह सही है कि कुछ परीक्षाएं दुबारा भी ली गईं ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या सारे परीक्षा परिणाम घोषित हो गए हैं ? यदि नहीं, तो कौन—कौन से परीक्षा परिणाम अभी तक घोषित नहीं हुए हैं ?

(4) इस सत्र के परीक्षा परिणाम देरी से घोषित होने से सफल छात्रों को अगले वर्ष के लिये जो कठिनाई उत्पन्न होगी उसके निवारण के लिये राज्य सरकार क्या कदम उठा रही है ?

उत्तर

(1) जो परीक्षाएं स्थगित की जाकर बाद में करनी पड़ीं उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। ये परीक्षाएं प्रधानतः लोक सभा चुनाव, विधान सभा चुनाव एवं छात्र असन्तोष के कारण स्थगित करनी पड़ीं।

(2) जी हां। क्योंकि कुछ विद्यार्थियों द्वारा परीक्षाओं का बहिष्कार किया गया तथा परीक्षा में विघ्न डाला गया।

(3) जी नहीं। जो परीक्षा परिणाम अभी तक घोषित नहीं किये गये उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(4) जोधपुर विश्वविद्यालय एक आवासीय विश्वविद्यालय है। अतः वहां अध्ययन करने वाले छात्र मूलतः वहीं अग्रिम कक्षाओं में प्रवेश लेते हैं। अतः उसी विश्वविद्यालय में उनके प्रवेश प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। अन्य विश्वविद्यालयों में प्रवेश उनके नियमानुसार ही दिये जा सकेंगे।

जोधपुर विश्वविद्यालय की जो परीक्षाएं स्थगित की जाकर बाद में करनी पड़ीं उनकी सूची

(अ) कला संकाय:–

(1) बी.ए. भाग 1
(2) बी.ए. भाग 2
(3) बी.ए. अंतिम वर्ष
(4) बी.ए. आनर्स भाग 1
(5) बी.ए. आनर्स भाग 2
(6) एम.ए. (पूर्व) अंग्रेजी
(7) ,, ,, संस्कृत
(8) ,, ,, हिन्दी
(9) ,, ,, इतिहास
(10) ,, ,, फिलोसफी
(11) ,, ,, साइकोलोजी
(12) ,, ,, अर्थशास्त्र
(13) ,, ,, राजनीतिक विज्ञान
(14) ,, ,, सामाजिक शास्त्र
(15) ,, ,, भूगोल
(16) एम.ए. (अंतिम वर्ष) अंग्रेजी
(17) ,, ,, संस्कृत
(18) ,, ,, हिन्दी
(19) ,, ,, इतिहास
(20) एम.ए. (अंतिम वर्ष) फिलोसफी
(21) ,, ,, साइकोलोजी
(22) ,, ,, अर्थशास्त्र
(23) ,, ,, राजनीतिक-विज्ञान
(24) ,, ,, सामाजिक-शास्त्र
(25) ,, ,, भूगोल

(ब) विज्ञान संकाय:–

(1) बी. एससी. भाग 1
(2) बी. एससी. भाग 2
(3) बी. एससी. अन्तिम वर्ष

(स) अभियांत्रिक संकाय:–

अंतिम वर्ष बी. ई. सभी शाखाएं

(द) विधि संकाय:–

विधि संकाय की सभी परीक्षाएं।

जोधपुर विश्वविद्यालय की जिन परीक्षाओं के परिणाम अभी तक घोषित नहीं किये गये उनकी सूची

(अ) वाणिज्य संकाय

1. कास्ट एंड वर्क्स अकाउन्टेन्सी का डिप्लोमा

(ब) विज्ञान संकाय

1. बी. एससी. भाग 2

(स) अभियान्त्रिक संकाय

1. बी. ई. अन्तिम वर्ष सभी शाखाएं

(द) कला, सामाजिक विज्ञान एवं शिक्षा संकाय

1. बी. ए. भाग 2
2. बी. ए. अन्तिम वर्ष
3. सभी एम. ए. पूर्व एवं अन्तिम वर्ष
4. सभी बी. ए. आनर्स पूर्व एवं अन्तिम

(इ) विधि संकाय

1. सभी विधि संकाय

(110)

सीमेंट के उत्पादन का जिलों में वितरण

29. श्री रघुनन्दन व्यास (सिरोही) : क्या खाद्य व भ्रापूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) राज्य के जिलों में सीमेंट का वितरण किस अनुपात में होता है ?

(2) क्या यह सही है कि जनवरी, 1977 से और विशेष कर अप्रेल, 1977 से 31 जुलाई, 77 तक आवंटित अनुपात से सीमेंट जिलों में नहीं पहुंचा है ? यदि हां, तो कितने टन सीमेन्ट पहुंचाया गया और कितने टन सीमेंट नहीं पहुंचाया गया ? जिलेवार आंकड़े सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(3) क्या यह सही है कि व्यापारी ट्रकों से सीमेंट लाने को तैयार थे लेकिन खाद्य व आपूर्ति कमिश्नर ने परमिशन नहीं दी ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) क्या यह सही है कि राज्य में सीमेंट उत्पादन केन्द्रों से माल उठाने नहीं दिया गया जब कि राजस्थान के सीमेंट उत्पादन केन्द्र राज्य को पूर्ण माल देने को तत्पर हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

(5) राज्य में सीमेंट उत्पादन केन्द्र कुल कितने हैं ? उनमें से कितने राज्य में सीमेंट देने को तत्पर हैं और कितने नहीं हैं ?

उत्तर

(1) भारत सरकार द्वारा सीमेंट की आवंटित मात्रा को जिलों की मांग को ध्यान में रखते हुए उचित मात्रा में आवंटन किया जाता है ।

(2) जी नहीं । फ्री सेल में जनवरी से जून तक 1,43,325 टन आवंटन हुआ एवं 1,67,267 टन उठाया गया । जुलाई से सितम्बर तक के लिए 80,950 टन आवंटन किया गया जिसके मुकाबले में माह जुलाई में 29,630 टन उठाया जा चुका है । जिलेवार आवंटन की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है । जिलेवार उठाने के आंकड़े प्राप्त करने में समय लगेगा ।

(3) जी नहीं । यह अधिकार जिलाधीशों को दिये हुए हैं ।

(4) भारत सरकार द्वारा आवंटन किये जाने के कारण सीधा राज्य के उत्पादन केन्द्रों से उठाने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

(5) राज्य में पांच उत्पादन केन्द्र हैं । आवंटन भारत सरकार द्वारा होता है ।

राजस्थान सरकार

(खाद्य एवं रसद विभाग) (मात्रा मैट्रिक टनों में)

विषय:—जनवरी, 1977 से सितम्बर, 1977 तक का फी सेल हेतु जिलेवार आवंटन (मात्रा)

क्र.सं.	नाम जिला	जनवरी से मार्च, 77	अप्रेल से जून, 77	जुलाई से सितम्बर, 77	जुलाई से सितम्बर, 77 (अतिरिक्त)
(1)	अजमेर	4695	4460	4825	250
(2)	अलवर	5670	5387	5670	500
(3)	बांसवाड़ा	955	907	955	500
(4)	बाड़मेर	1085	1031	1085	—
(5)	भरतपुर	5250	4987	5250	500
(6)	भीलवाड़ा	2250	2133	2250	150
(7)	बीकानेर	2025	1924	2025	200
(8)	बून्दी	600	570	600	100
(9)	चितौड़गढ़	1700	1615	1700	200
(10)	चूरू	2140	2033	2140	500
(11)	डूंगरपुर	790	750	790	—
(12)	गंगानगर	5100	4845	5100	300
(13)	जयपुर	12900	12255	13030	1200
(14)	जैसलमेर	260	247	260	—
(15)	जालोर	1100	1045	1100	100
(16)	झालावाड़	750	712	750	100
(17)	झुंझुनूं	1875	1782	1875	100
(18)	जोधपुर	3450	3278	3580	500
(19)	कोटा	3075	2921	3105	500
(20)	नागौर	2025	1924	2025	100
(21)	पाली	2550	2422	2580	500
(22)	सवाई माधोपुर	1910	1814	1910	—
(23)	सीकर	2140	2033	2140	—
(24)	सिरोही	1275	1211	1275	200
(25)	टोंक	880	836	880	—
(26)	उदयपुर	7050	6698	7080	500
	योग	73500	69825	73950	7000
				80950	